खण्ड-242, अंक-8
सोमवार, 29 आश्विन, शक संवत् 1885
(21 अक्टूबर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०३१–१०३५
सदन के वैधानिक रूप सेगठित न होने पर आपत्ति	१०३५–१०३७
प्रश्नोत्तर (जारी)	१०३७–१०४५
श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी द्वारा सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के उपरान्त सदन में उपस्थित रहने पर आपत्ति (जारी)	१०४६
प्रश्नोत्तर (समाप्त)	१०४६–१०६८
श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी द्वारा सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के उपरान्त सदन में उपस्थित रहने पर आपत्ति	१०६८–१०७२
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के कारोबार संबंधी प्रतिवेदन, लाभ-हानि का विवरण तथा लेखा परीक्षकों का निरीक्षण प्रतिवेदन (सदन की मेज पर रखा गया) ..	१०७२
नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियों को सदन में रखने पर आपत्ति ..	१०७२–१०७३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उपप्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों के निपटारे की) नियमावली (सदन की मेज पर रखी गयी) ..	१०७३
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विधेयक, १९६३ (सदन की मेज पर रखा गया) ..	१०७३
श्री हरगोविन्द सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	१०७४
१४ अक्तूबर को शपथ लेने वाले मन्त्रियों द्वारा गोपनीयता भंग करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना ..	१०७४
दैनिक पैट्रियट के सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना	१०७४–१०७५
विधान सभा को १६ सितम्बर को आहूत करने तथा बिना प्रथम विज्ञप्ति को निरस्त किये दूसरी विज्ञप्ति में २३ सितम्बर को बुलाने के निमित्त विज्ञप्ति निकालने के संबंध में निदेशक सूचना विभाग के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय ..	१०७५–१०७६
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की अन्य सूचनाएं	१०७६
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा पुराने प्रपत्र में शपथ ग्रहण करने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१०७७–१०८०
भूमि-भवन-कर के शहरी क्षेत्रों में लागू किये जाने के विरुद्ध जनभावना के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१०८०–१०८१
जिला मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा नवाबगंज के ताड़ीखाने का एलाटमेंट करने और नये ठेकेदार को जबर्दस्ती कब्जा दिलाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१०८१–१०८२

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	१०८२
संविधान के १६वें संशोधन अधिनियम में उल्लिखित प्रपत्र में सदन के सभी वर्तमान सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के विषय को उठाने के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना	१०८२–१०८६
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	१०८६–१०८७
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिए समय निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	१०८७–१०९१
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	१०९१–१०९९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र-समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अननुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	१०९९–११२६
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (जारी)	११२६
डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड को पूर्णरूप से लागू न किये जाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	११२७–११४०
सत्रियां	११४१–११६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ अक्तूबर, १९६३

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नायराव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण द्विवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री

नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नसिंह)
बंशोधर पाण्डेय, श्री
बंशोधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बल्वनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्द पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री

रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लल्लीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नक्वी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री

शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखलालाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल चुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगंगराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—शिक्षा मंत्री, श्री केशवप्रकाश, गृह मन्त्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप-मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

सदन के वधानिक रूप से गठित न होने पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं एक वैधानिक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि यह सदन संविधान के नियमों के मुताबिक गठित नहीं है इसलिये जब तक यह संविधान के नियमों के मुताबिक गठित नहीं हो जाता है तब तक इस सदन की कार्यवाही रोक दी जाय और नियमों और विधान के मुताबिक इसका गठन होने के बाद फिर कार्यवाही शुरू की जाय।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप प्वाइन्ट बतला दीजिये फिर उसको डेवलप कीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं बिल्कुल प्वाइंट पर ही आ रहा हूं। मेरा कहना यह है कि.....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

प्रश्नों का घंटा इतना अमूल्य होता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी इस तरह की कार्यवाही उस बीच में न हो ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह सदन नियमों के मुताबिक गठित नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—

कौन-सा नियम भंग हुआ है यह बतला दीजिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आपके समक्ष कांस्टीट्यूशन सिक्सटीन्थ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था और जिस पर आपने अपनी व्यवस्था दी थी जिसके अनुसार ग्यारह आदरणीय मंत्रि परिषद् के सदस्यों ने शेड्यूल ३ के मुताबिक शपथ ली थी मैं उसी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय वह बिल आदरणीय पार्लियामेंट के सम्मुख पेश किया गया था उस समय उसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स में क्या था .....

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे यह बता दीजिये कि कौन सी बात है जिसके कारण आप कहते हैं कि सदन उचित रूप से गठित नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, हमारे नियमों और विधान में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि विधान की धारा १८८ के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो उसमें यह है कि.....

श्री अध्यक्ष—

यह आर्गूमेंट है । हमें कृपा करके यह बताइये कि गठन में क्या खराबी है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह खराबी है कि शेड्यूल ३ के मुताबिक एफीर्मेशन और सालेम्नटी का जो अमेंडमेंट किया गया है उसके मुताबिक हमने अपनी शपथ ग्रहण नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष—

हमने, माने ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आदरणीय सदन के सदस्यों ने ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप व्यवस्था न दें । आप मुझे पहले सुन लें उसके बाद व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं वही माननीय बृजभूषण शरण ने लिखित रूप में मुझे नियम ३०१ में भेजा है और उसी में यह होना भी चाहिये । तो अब प्रश्न यह है कि सारे

सदस्यों को दूसरी शपथ लेनी चाहिये या नहीं ? इस पर प्रश्नों के समय के बाद विचार करेंगे, इस समय नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा कहना तो यह है कि इस समय यह सदन नियमों और विधान के मुताबिक गठित नहीं है इसलिये अगर कोई कार्यवाही इस समय की जायगी तो वह वैधानिक नहीं होगी । इसलिये आप पहले मेरी बात सुन लें उसके बाद व्यवस्था दें फिर कार्यवाही शुरू कीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

शरण साहब ने यही प्रश्न उठाया है । अब हम तीन दिन से बराबर कार्य कर रहे हैं । आपने इसको पहले नहीं उठाया । माननीय शरण जी ने इसको पहले उठाया है और इस सम्बन्ध में मैंने स्टडी कर लिया है और मैं समझता हूं कि जो आपत्ति शरण साहब ने उठायी है या जिसको आप पेश करना चाहते हैं वह गलत है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप मेरी बात सुन कर व्यवस्था दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था प्रश्नों के बाद होगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप इस सदन की मान मर्यादा, विधि विधान के रक्षक हैं इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको सुन लीजिये । यह कोई बात नहीं है कि किस सदस्य ने उठाया । मैं यह कहता हूं कि क्वेश्चन आवर भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह सदन नियमों के मुताबिक गठित नहीं है । आप पहले मुझे सुन लें उसके बाद व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में काफी विवाद हो चुका है । यह प्रश्न यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखा गया लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ चुका है । मैंने इस बात का संकेत कर दिया था, जब मैंने यह निश्चय किया कि जिन महानुभावों ने २ अक्तूबर, १९६३ को शपथ ली है वह शपथ वैधानिक है, यह मैंने निर्णय कर दिया है । अगर वह वैधानिक है तो उसी प्रकार से हमने जो शपथ ली है वह भी वैधानिक है । एक तरीके से जो प्रश्न आप उठा रहे हैं उसका फैसला हो गया है । लेकिन यदि आप फिर से उठाना चाहते हैं तो प्रश्नों के घंटे के बाद मैं उस को सुनूंगा ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २१ अक्तूबर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

योजना आयोग का परिपत्र

**१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार को योजना आयोग का कोई परिपत्र मिला है जिसमें योजना आयोग ने राज्य सरकार द्वारा कृषि, रोजगार तथा उद्योगों के क्षेत्रों में तृतीय पंचवर्षीय योजना में विफलताओं की ओर संकेत किया है ?

विद्युत उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

योजना आयोग समय-समय पर सभी प्रदेशों की योजनाओं की प्रगति का विश्लेषण करता है और अपने विचारों से राज्य सरकारों को भी अवगत कराता है। आयोग की सलाह से राज्य सरकार हर साल बजट में धन की व्यवस्था करती है। जहां तक सरकार को ज्ञात है योजना आयोग से कृषि, रोजगार तथा उद्योगों के विषय में कोई परिपत्र जिसमें इस प्रदेश की विफलताओं की ओर संकेत किया गया हो हमें प्राप्त नहीं हुआ।

**२—श्री गेंदासिंह—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त क्षेत्र में योजना आयोग को यह भी शिकायत है कि आयोग द्वारा स्वीकृत धन का उपयोग भी नहीं हो पाया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस प्रदेश के बारे में ऐसी किसी विशेष शिकायत की सूचना सरकार को नहीं है।

**३—श्री गेंदासिंह—

कृपया नियोजन मन्त्री उक्त पत्र को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदासिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो साल का समय गुजर गया है इस बीच में प्लानिंग कमीशन ने उत्तर प्रदेश की कृषि और उद्योग की प्रोग्रेस देखने के बाद अपने विचार व्यक्त किये हैं तो फिर से देख लीजिये कि इस तरह का कोई परिपत्र आया है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में योजना आयोग ने तमाम देश की योजना पर विचार किया है, और हमेशा हर दूसरे साल के बाद वह विचार करता है, और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि तमाम देश में कृषि और इंडस्ट्रीज की उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये। इसलिये उसने तमाम देश के प्रदेशों को एक जनरल सरक्यूलर भेजा है और ऐसा हमारे पास भी आया है।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमान्, मेरे पूछने का मतलब यह है कि सारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का नम्बर क्या है और मेरी जानकारी तो यह है कि हम इस दिशा में बहुत पिछड़े हुये हैं ? क्या इस पर इस सरकार ने विचार किया है, यदि हां तो कृपा कर के बताये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब बजट का समय आता है तो सरकार विचार करती है लेकिन बजट बनाने में हम मांग करते हैं तो एक बात होती है कि तुम अपने पास से कितना रुपया दोगे। अगर सदन ज्यादा रुपया देने को तैयार हो गया तो ज्यादा मांग कर सकेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या आयोजना आयोग ने उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थिति को देखते हुये इस प्रदेश के अन्दर एक योजना मंडल गठित करने के आदेश भेजे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

माननीय गेंदासिंह जी के प्रश्न के उत्तर में जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि सारे प्रदेशों के लिये एक जनरल सरक्यूलर है और उसकी एक कापी हमारे पास भी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस प्रदेश की विशेष परिस्थिति को देखते हुये एक योजना मंडल बनाने के संबंध में कोई आदेश आये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

एक योजना मंडल बनाने का विचार बहुत दिन से है । मैंने अभी कार्यभार लिया है, मैं इस पर विचार कर रही हूं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

जो जनरल परिपत्र भेजा गया है उसमें उत्तर प्रदेश की कृषि और उद्योग के बारे में कोई खास बात कही है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जनरल परिपत्र देश के हर प्रदेश में गया है । हमारे अधिकारी जिलों में जा रहे हैं और वे विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, प्रश्न इतना ही है कि उक्त परिपत्र में उत्तर प्रदेश की कृषि और रोजगार के संबंध में क्या विचार व्यक्त किये गये हैं । अगर किये गये हैं तो क्या ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने उत्तर दे दिया था कि उत्तर प्रदेश के लिये कोई विशेष नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो परिपत्र उनको प्राप्त हुआ है उसमें योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारे में विशेष रूप से कुछ कहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उस परिपत्र में तो कुछ नहीं कहा है ।

श्री गेंदासिंह--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का या माननीय उपमंत्री जी का ध्यान तीसरे प्रश्न की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे, और उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा क्यों नहीं की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह तो एक ऐसा परिपत्र है जो माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम है । ऐसा तो है नहीं कि सदन में रख दिया जाय । कांफीडेंशनल नेचर का है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान समाचार पत्रों के उन समाचारों की ओर गया है जिनमें कहा गया है कि योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश को शिक्षा और ऐग्रीकल्चर में सबसे पिछड़ा पाया है ? यदि हां, तो क्या यह सब बातें भी परिपत्र में वर्ण हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अखबार की बात है, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी इस बात की ओर संकेत किया कि योजना मंडल बनाने की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया गया है । कितने अखबारों में छप चुका है और उसमें नाम दिये जा चुके हैं कि यह यह उसमें लिये जा रहे हैं । क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि जो नाम अखबारों में छपे हैं, क्या योजना मंडल में उन्हीं लोगों को रखा जायगा जो मंत्रि पद से हटाये जा चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अखबारों में बहुत सी बातें छपती हैं, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है । मैंने अभी तक नामों पर विचार नहीं किया है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर में जो यह बताया गया है कि इस प्रदेश के बारे में ऐसी किसी विशेष शिकायत की सूचना सरकार को नहीं है, इसका तात्पर्य यह लगाया जाय कि बिल्कुल शिकायत नहीं हुई या साधारण शिकायत हुई थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने बार-बार यह कहा है कि जो परिपत्र आया है वह मुख्य मंत्रियों के नाम है । उसकी नकल हमारे पास भी आयी है । उसमें यह दिया हुआ है कि ऐग्रोकल्चर और इंडस्ट्रीज में जितना प्रयास होना चाहिये उतना इस देश में नहीं हुआ और उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गदासिंह और सदन के सदस्य यह चाहते हैं कि जो पत्र आया है उसको मेज पर रखा जाय, उसके लिये वह तैयार नहीं हैं, तो अच्छा होता कि उसको पढ़ दें ताकि जो रहस्य है सब को मालूम हो जाय, तो क्या उस पत्र को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गेंदासिंह जी ने इस प्रदेश की जो बात कही थी उस तरह का कोई पत्र है नहीं लेकिन अगर आप चाहें कि सर्कुलर के कुछ एक्सट्रेक्ट्स पढ़ दूं, तो लम्बा है ज्यादा समय लगेगा, अगर माननीय गेंदासिंह चाहें तो मैं उनसे मिल लूंगा या वह मुझ से मिल लेंगे, उनको दिखा दूंगा ।

विश्वविद्यालय खोलने का आयोजन

**४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कहां-कहां चालू वित्तीय वर्ष या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन विश्वविद्यालय खोलने का आयोजन है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

चालू वित्तीय वर्ष में कोई आयोजन नहीं है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन मेरठ, कानपुर तथा नैनीताल में विश्वविद्यालय खोलने का आयोजन है ।

**५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन विश्वविद्यालयों पर सरकार का अलग-अलग कितना-कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

व्यय का ब्योरा देना अभी सम्भव नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह विश्वविद्यालय प्रमुखतः किन-किन विषयों के खोले जायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विश्वविद्यालय में तो विषय स्वयं विश्वविद्यालय ही तय करते हैं। जब विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न होता है तो उस समय कोई विशेष रूप से यह प्रश्न सामने नहीं रहता।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये विश्वविद्यालय रुड़की के तरीके के विश्वविद्यालय होंगे या इलाहाबाद और लखनऊ के तरीके के विश्वविद्यालय होंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ये विश्वविद्यालय रुड़की के तरीके के नहीं होंगे क्योंकि रुड़की का विश्वविद्यालय विशेष रूप से इंजीनियरिंग के लिये है। यह जो विश्वविद्यालय खोले जायंगे यह इलाहाबाद और लखनऊ के तरीके के होंगे यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालय विशेषकर रेजीडेंशयल विश्वविद्यालय हैं और इस प्रदेश में आगरा और गोरखपुर जैसे भी विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों का क्या रूप होगा यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विश्वविद्यालयों को खोलने के लिये कोई कमेटी बनाई गई है, उनके जरिये इसकी रूपरेखा तय की जायगी या किसी विशेष अधिकारी को इसके लिये नियुक्त किया गया है जो इसकी रूप-रेखा और खर्च आदि का विवरण तैयार करे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

पूरा विवरण इन विश्वविद्यालयों के संबंध में इस समय मेरे पास है नहीं है किन्तु अब तो प्रदेश में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी बन गई है और मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय खोलते समय इस समिति की सलाह ली जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री का ध्यान यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की उस रपट की ओर गया है कि विश्वविद्यालय खोलने में इस बात का सरकार अब ध्यान रखे कि विश्वविद्यालय देहात में खोले जायं और देहाती वातावरण जैसा विश्वभारती में है, उस पैटर्न पर नये तरीके से विश्वविद्यालय खोले जायं, तो क्या इस तरह की बात सरकार के विभाग में है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अब विश्वविद्यालय की योजना बनायी जायगी तब सरकार के सामने वह सब चीजें जो किन्हीं रिपोर्टों में आ चुकी हैं या जो सरकार के अनुभव में आ चुकी हैं, रहेंगी ।

विधान भवन से रद्दी की चोरी

**६—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९६३ के द्वितीय सप्ताह में सचिवालय भवन से सरकारी फाइलें, किताबें तथा रद्दी आदि चुरा कर ले जाते हुये कोई आदमी पकड़ा गया ? यदि हां तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दिनांक ६ अक्तूबर, १९६३, को सायंकाल लगभग ७–३० बजे विधान भवन में स्थित पुलिस गार्ड ने एक व्यक्ति को विधान भवन से तीन बोरे कागजात अनधिकृत रूप से ले जाते हुये पकड़ा और उसको हजरतगंज पुलिस थाने में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा धारा ४५७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत केस रजिस्टर कर लिया गया है ।

श्री बसन्तसिंह—

**७—क्या यह सत्य है कि जो आदमी चुराकर ले जाते हुये पकड़ा गया वह सचिवालय के किसी अधिकारी से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो किस से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं । जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसने अपना नाम लल्लू आत्मज अब्दुल करीम, साकिन कड़ा, थाना सैनी, इलाहाबाद, मुलाजिम हाफिज अली, रद्दीवाला, साकिन नखास, थाना चौक, लखनऊ बताया है। वह सचिवालय के किसी भी अधिकारी से सम्बन्धित नहीं है। बाद का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जो कागज पकड़े गए हैं उनमें जो फाइलें हैं वह किस विभाग से सम्बन्धित हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

फाइल कोई नहीं है। हुआ यह था कि ५ तारीख को यहां से कुछ रद्दी बेची गयी थी ३० बोरे और उन ३० बोरों को जिस आदमी ने नीलाम में लिया था उनमें से २७ बोरे तो वह ठेला में भर कर ले गया, तीन बोरे बाकी छोड़ गया और कह गया कि मेरे पास अभी जगह नहीं है, मैं इसको दूसरे रोज ले जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि फाइलें किस विभाग की थीं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो रद्दी कागज थे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

फाइलों का जिक्र नहीं किया कि फाइलें किस विभाग की थीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो शायद आपको यह पूछने की आवश्यकता न पड़ती । इसीलिए मैं डिटेल में सब बता रहा था । तो दूसरे रोज तीन बोरे ले जाते हुए यह व्यक्ति पकड़ा गया और चूंकि उसके पास वैलिड कोई परमिट नहीं था इसलिए गार्ड ने पकड़ कर उसे थाने में भेज दिया । चूंकि वह केस रजिस्टर हो गया और वह सब कागजात सील हो गए इसलिए यह पता नहीं चल सका कि वह क्या है लेकिन फाइल उसके अन्दर नहीं हो सकती । हो सकता है कि फार्म वगैरह कुछ ऐसी चीजें हों ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह बतलाया गया कि उन बोरों में कुछ फाइलें भी थीं तो वह फाइलें किस विभाग से संबंधित थीं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आपके बयान में फाइल का जिक्र था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे उत्तर में फाइल का जिक्र नहीं है। उसमें तो यह है कि "दिनांक ६ अक्तूबर, १९६३ के सांयकाल लगभग ७।। बजे विधान भवन में स्थित पुलिस गार्ड ने एक व्यक्ति को विधान भवन से ३ बोरे कागजात को अनधिकृत रूप से ले जाते हुये पकड़ा और उसको हजरतगंज पुलिस थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा धारा ४५७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत केस रजिस्टर कर लिया गया है।"

जी नहीं, जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसने अपना नाम लल्लू आत्मज अब्दुल करीम, साकिन कड़ा, थाना सेनी, इलाहाबाद मुलाजिम हाफिज अली, रद्दीवाला साकिन नखास, थाना चौक, लखनऊ बतलाया है। वह सचिवालय के किसी भी अधिकारी से संबंधित नहीं है। बाद का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बसन्तसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह कागजात उसने किस स्थान से उठाये और उस स्थान की देखभाल का उत्तरदायित्व किसके ऊपर था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जगह की मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन वह नम्बर ३ गेट के पास कहीं रखे थे।

श्री अध्यक्ष—

वह स्थान बतलायें आप जहां से उसने उनको उठाया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस थाने में गार्ड ने ले जाकर एफ० आई० आर० रिपोर्ट लिखाई तो क्या उन कागजात की इन्वेन्टरी बनाई, यदि हां, तो उस इन्वेन्ट्री में कौन-कौन सी चीजें शामिल की गईं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह उसको थाने में ले गया और उन्होंने चार्ज लगाकर केस रजिस्टर्ड कर लिया।

श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके लिये पास किसके द्वारा इशु हुआ था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन बोरों का साइज क्या था जो कि एक ट्रक में २७ लाद दिये गये और ३ बोरे रह गये ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

बोरों का साइज वही था जो आमतौर पर होता है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी सही जांच कराने के बाद यह बतलायेंगे कि इसमें किसी अधिकारी का हाथ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पता लगेगा तो उसको सजा होगी ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किसी सचिवालय के अधिकारी की यह रिपोर्ट है कि उसके यहां से कोई फाइल गायब है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलिया के छात्र श्री सुरेन्द्रनाथ उपाध्याय की मृत्यु

**८—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या गृह मंत्री को मालूम है कि श्री सुरेन्द्रनाथ उपाध्याय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलिया के ९वें दर्जे के छात्र की मृत्यु एक अध्यापक द्वारा पीटे जाने से हुई ? यदि हां, तो अभी तक उस अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया ?

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

श्री सुरेन्द्रनाथ उपाध्याय की मृत्यु १० सितम्बर, १९६३ को अस्पताल में हुई । मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच हो रही है । जांच से यदि किसी अपराध का पता चलेगा तो मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब उस लड़के की मृत्यु अस्पताल में हुई तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसलिये कि यह खयाल नहीं था । न लड़के को खुद न डाक्टरों और न दूसरे लोगों को इसका खयाल था कि इसकी मृत्यु हो जायगी ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिस लड़के के मरने के बारे में यह बात कही जाती है कितने दिनों के बाद यह बात कही गई कि यह लड़का मारा गया है या किसी प्रकार कहीं से गिरकर चोट लगी है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी हां, यह बात ७,८ रोज के बाद कही गई ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि लड़के की मृत्यु के कई दिन बाद कुछ लोगों ने इस प्रकार की अफवाह फैलाई कि लड़के की मृत्यु मारने के कारण हुई है और उसी के कारण लड़कों का एक जलूस कुछ नेताओं की साजिश से उस राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में गया और एक अध्यापक को साइंस क्लास से घसीट कर मारा पीटा गया और विद्यालय के सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिस कालेज का यह लड़का है उस कालेज के लड़कों ने कोई जलूस नहीं निकाला, बल्कि दूसरे कालेज के लड़कों ने नेताओं के कहने से जिसमें एम० पीज भी हैं, इस जलूस को निकाला ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी की यह इच्छा है कि वह इस मामले की दुबारा पूरी जांच करायें और जांच करा कर उसे सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच तो होगी और जो बात आपने कही वह सत्य है । वह इत्तला हमारे यहां है । जांच हो रही है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस लड़के का पोस्टमार्टम हुआ था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, उससे मालूम हुआ कि स्टमक के रैप्चर के कारण उसकी डेथ हुई है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी सदन को सूचित करने की कृपा करेंगे कि जिन माननीय नेताओं के उकसाने पर यह घटना घटी, वे नेता किस दल के हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जहां तक अभी मालूम हुआ है वह जनसंघ दल से सम्बन्धित हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री मुरली मनोहर जी कांग्रेस के एम० पी० हैं या जनसंघ के ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उन्होंने नेता के बारे में पूछा था कि किस ने उकसाया, उन्हीं के बारे में मैंने बतलाया था ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी द्वारा सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के उपरान्त सदन में उपस्थित रहने पर आपत्ति

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आई स्पाई ए स्ट्रेन्जर इन दि हाउस। (I spy a stranger in the House) मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन में सुदामाप्रसाद जो बैठे हैं। उनका स्तीफा आप के पास पहुंच चुका है। मेम्बर्स पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पैरा २३९ और २४० के अनुसार अब वे स्ट्रेन्जर हैं और उनको यहां नहीं रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। आप शान्त रहें, मैं इस मामले को देख रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, सदन की भाषा हिन्दी है। इसलिये किसी का अंग्रेजी में बोला हुआ आपको नोटिस में नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। अब प्रश्न संख्या ९ लिया जायगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास

**९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने वर्तमान सीजन में गन्ने की सप्लाई अधिक करने, गन्ना फैक्टरियों के क्षेत्रों को बांधने, गुड़, राब आदि पर लाइसेंस लगाने आदि के बारे में कोई नियम बना कर उनके पास भेजा है? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

केन्द्रीय सरकार द्वारा डिफेंस आफ इण्डिया रूल, १९६२ में रूल, १२५-बी के अन्तर्गत गन्ने के लिये विशिष्ट व्यवस्था से सम्बन्धित कुछ प्रावधान किये गये हैं जो प्रमुखतया इस प्रकार हैं :

(१) सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को दो-तिहाई गन्ना मिलों को देने के लिए बाध्य किया जाय।

(२) चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र की सीमा के बाहर गन्ने का निर्यात न किया जा सके।

(३) पावर क्रशर्स तथा गुड़ व खंडसारी यूनिटों की पेराई की अवधि तथा समय सुनिश्चित किया जाए।

गन्ना उत्पादकों के कोल्हू (क्रशर) पर कोई प्रतिबन्ध इस प्रकार के नहीं लगाये जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब किसान को गुड़, राब आदि बनाने से मिल के गन्ने की कीमत के मुकाबले में ज्यादा पैसा मिलता है, तो उसको इस प्रकार से क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वह मिलों को गन्ना दे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

भारत सरकार यह चाहती है कि १५ लाख टन चीनी इस साल पैदा की जाय उसके अनुसार मिल वालों को ज्यादा गन्ना देना चाहिए ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री जी की ओर से केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि भारत सरकार द्वारा जो गन्ने की कीमत निश्चित की गयी है वह कम है, वह बढ़ायी जाय? यदि सुझाव दिया गया और भारत सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया तो भारत सरकार से क्या यह कहा जा रहा है कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों उनको मजबूर किया जा रहा है कि कम कीमत पर गन्ना दें जबकि उनको गुड़, राब बनाने से ज्यादा फायदा हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

कंट्रोल्ड इकोनामी में यह चीजें होती रहती है ।

श्री झारखण्डेराय---

अबतक सरकार ने जितने प्रयास किये हैं उनके फलस्वरूप गुड़, राब, देशी चीनी और मिल की चीनी इन चारों के कारोबार में ताल-मेल नहीं हो पाया, तो अब सरकार कौन से नये मजर्स अडाप्ट करने जा रही है जिससे इन चार प्रकार के उद्योगों में आपस में ताल-मेल हो सके और सब कारोबार ठीक प्रकार से चल सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस समय तो सबसे बड़ा प्रयास यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीनी पैदा करें जिसको हम बाहर भेज सकें और हम फारेन एक्सचेंज प्राप्त कर सकें ।

श्री झारखण्डेराय---

मैंने तो प्रश्न में चारों प्रकार के उद्योगों में ताल-मेल की बात पूछी थी, मंत्री जी फारेन-एक्सचेंज का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

जहांतक मैं समझा वह यह कह रहे है कि वह यह प्रश्न इस वजह से नहीं देख रहे है कि हमें चीनी का उत्पादन बढ़ाना है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए जहां एक तरफ किसानों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है वहां दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी और दूसरी ड्यूटीज में मिल मालिकों को छूट दी जा रही है, तो वह छूट क्या और किसानों पर प्रतिबन्ध क्यों है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह छूट इसलिये दी जा रही है कि गन्ना पहले पेरना शुरू करें । चूंकि नवम्बर माह में चीनी ज्यादा निकलती नहीं, इसलिये यह छूट दी जाती है ताकि उनको नुकसान न हो ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो टार्गेट गुड़ और खांडसारी शकर का बनाने का था, वह उससे कितना कम या ज्यादा हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस नियम से किसानों में बहुत असंतोष फैलेगा, क्या वे केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि इस नियम को यहां पर लागू न किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हमारा प्रयास यही रहेगा कि चीनी का उद्योग भी बचा रहे और अन्य उद्योग भी बचे रहें । कभी-कभी दोनों के इन्टरेस्ट में जब क्लैश होने लगता है तो कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है और हम वही रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे जिससे दोनों उद्योग पनप सकें ।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

खांडसारी का उद्योग बन्द कर देने से करीब ९ लाख आदमी बेकार हो गये हैं । तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी जिससे इन लोगों की रोजी बनी रहे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

खांडसारी का काम बन्द नहीं कर दिया गया है । जो कृषक हैं वे तो गुड़ आदि बना ही सकते हैं । दूसरी चीजों पर कुछ प्रतिबन्ध है ।

श्री रामायणराय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो छूट अन्य प्रकार के कच्चे माल पैदा करने वालों को है, वही छूट गन्ना पैदा करने वाले किसानों को देने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गन्ना एक ऐसी चीज है जिसके दाम पहले से फिक्स रहते हैं और उसी हिसाब से दाम दिलाये जाते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो १५ हजार टन ज्यादा पैदा करने का लक्ष्य है, वह जब पूरा हो जायेगा तो उसमें से कितनी चीनी बाहर जायेंगी और कितनी की खपत अपने प्रदेश में होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह लक्ष्य १५ हजार का नहीं, १५ लाख का है । हमारा अभी तो यही प्रयास होगा कि उस लक्ष्य की पूर्ति में हम जितना भी अग्रसर हो सकें, उतना अग्रसर हों ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम विचाराधीन है कि किसान को भी शुरू में गन्ने की कीमत ज्यादा दी जाय चूंकि उसका गन्ने का शुरू में वजन कम होता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गन्ने की वजन तो मैं नहीं जानता लेकिन शुगर कन्टेंट शुरू में कम होता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

गन्ने को प्रति एकड़ जो फार्म पर कीमत पड़ती है उसके हिसाब से सरकार दाम दिलावेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तमाम भारतवर्ष की पालिसी है, लेकिन जो लोग गन्ने की खेती करते हैं वे आपकी इस राय से सहमत नहीं होंगे ।

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कल यह विषय ढाई घंटे के लिये आ रहा है । उस समय बहस कर लीजियेगा ।

गन्ने का मूल्य

*१०—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों में गन्ने की कीमत क्या निर्धारित की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

भारत सरकार ने जो वर्तमान आदेश जारी किये है उनके अनुसार गन्ने का दाम चीनी की रिकवरी पर आधारित किया है । इसके अनुसार ९ प्रतिशत या उससे कम की रिकवरी पर गन्ने का दाम १.५६ रु० प्रति मन अर्थात ४.१९ रु० प्रति क्वींटल निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ रिकवरी के बढ़ने पर गन्ने का मूल्य भी बढ़ता जायगा । १०.२ प्रतिशत की रिकवरी पर गन्ने का दाम १.७५ रु० प्रति मन या ४.६९ रु० प्रति क्वींटल तक हो जायेगा । इसी के साथ-साथ अभी हाल में पार्लियामेंट में जो वक्तव्य भारत सरकार की ओर से हुए हैं उसके अनुसार जहां गुड़ तथा खांडसारी से प्रतियोगिता अधिक है वहां फैक्टरियों से कहा जायगा कि वे कम से कम १.७५ रु० प्रति मन या ४.६९ रु० प्रति क्वींटल के हिसाब से गन्ने का मूल्य देंवे ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

मैंने प्रश्न किया था कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों के गन्ने के रेट में क्या अन्तर है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे उत्तर में यह है । पश्चिम और पूरब का सवाल नहीं है । जिस एरिया में रिकवरी ज्यादा हैं वहां यह आदेश दिया गया है कि १.७५ रुपये दें और दूसरे में रिकवरी बेसिस पर दाम दिये जावेंगे ।

श्री कल्पनाथसिंह—

गन्ने की कीमत तय करने में क्या यह भी कोशिश की गई है कि कोल्हू पर इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाया जाय कि गुड़ के वायदे पर प्रतिबन्ध हो जाय और वह प्रदेश के बाहर न जाय और इस प्रकार से पश्चिमी जिलों में भी कीमत कम करने की कोशिश की जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गन्ने की कीमत तो निश्चित कर दी गई है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह जानते हुए कि रिकवरी मिल वाले जानबूझ कर कम दिखाते हैं और इस पर बड़ा झगड़ा रहता है, क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि रिकवरी सही तरीके से मालूम करके किसानों का हित किया जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह दिखाने का सवाल इसलिये नहीं उठता कि गन्ने का वजन मालूम है और जितनी चीनी उससे बनती है वह मालूम है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जैसे मदरास की सरकार किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिल वालों से दिलाती है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी कमाई का पूरा दाम दिलाने के लिये क्या सरकार मिलवालों को मजबूर करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा सदन ने प्रस्ताव पास किया था, भारत सरकार से ज्यादा दाम देने की बात पिछली दफा कही थी । अगर माननीय सदस्य फिर कोई प्रस्ताव लाएंगे तो हम फिर भारत सरकार से कहेंगे ।

श्री गेंदासिंह—

अगर काश्तकार इस कीमत पर गन्ना मिलों को न दे तो सरकार उसे कैसे बाध्य करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिस समय गन्ने के दाम कम थे और मिलवालों को सरकार ने ज्यादा दाम देने पर मजबूर किया था, इसी तरह की कोई बात सोच लेंगे ।

श्री रामायणराय—

पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे मेरे ही जिले में, १३/१४ मिल हैं, तो जो लोग आपात की स्थिति में अधिक चीनी उत्पादन में अधिक रामैटीरियल दंग उनको सरकार कम पैसा दिलावेगी और जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें ज्यादा दिलावेगी, यह पक्षपात् की नीति सरकार की क्यों है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां ज्यादा गन्ना है वहां भी १.७५ रुपये मिल सकते हैं अगर गन्ने की किस्म वे अच्छा पैदा करें ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अभी मंत्री जी ने कहा है कि जहां क्रशर्स की संख्या ज्यादा होगी वहां गन्ने के दाम ज्यादा मिलेंगे । तो क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि ज्यादा और कम का क्या मापदंड है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैंने तो १.७५ रुपये कहा है ।

यह तो भारत सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं और उनके अनुसार बैठकर निश्चय कर लेंगे, अभी तक निश्चय नहीं किया कि कहां क्या हो ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या वह यह महसूस नहीं करते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने जो गन्ने की कीमत मुकर्रर की है, वह कम है । इसलिये अगर किसानों ने गन्ना नहीं दिया तो वह उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी और किस तरह से वह उनको मजबूर करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सब से पहले तो हम आपसे ही दरख्वास्त करेंगे कि आप किसानों से दरख्वास्त करें कि वे गन्ना दें ।

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपको यह अधिकार है कि जिस तरह का जो प्रश्न करना चाहें वह करें और जैसा उत्तर वे देना चाहें वह दें, यह उन्हें अधिकार है । अगर आप उससे संतुष्ट न हों तो दुबारा प्रश्न कर सकते हैं फिर भी अगर उनका उत्तर असंतोषजनक है तो नियम ५० आपके लिये ओपिन है, उसके अन्तर्गत आप बहस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बीच में खड़े होने से कुछ कठिनाई हल नहीं, होने वाली है ।

श्री जगवीरसिंह—

हमारे प्रदेश में आधे से ज्यादा किसान सेंटर्स पर गन्ना सप्लाई करते हैं, लेकिन वहां उनको कम कीमत दी जाती है । इसलिये क्या माननीय मंत्री जी के विचाराधीन कोई ऐसी भी स्कीम है कि गेट और सेंटर्स पर बराबर कीमत दिलाई जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यकसां तो नहीं लेकिन पहले ऐसा होता था कि गेट की कीमत में और सेंटर्स की कीमत में कुछ डिस्टिंक्शन था और वह सेंटर्स पर डिस्टेंस के अनुसार दाम काट लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नियम बनाया गया है कि १२ पैसे से ज्यादा दाम न काटे जायं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना भी मिली है कि पूर्व और पश्चिम की गन्ना फैडरेशन्स ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि यदि किसानों को गन्ने का दाम दो रुपया मन न दिलाया जायगा और किसानों को गन्ना देने के लिये मजबूर किया जायगा तो किसानों को भी मजबूर होना पड़ेगा दूसरा कदम उठाने के लिये, और इससे उत्पादन भी कम हो जायगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

दिल्लीपति मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दी का फैजाबाद कारागार से प्रार्थना-पत्र

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री दिल्लीपति मृत्यु दंड प्राप्त कैदी ने जो फांसी यार्ड नं० २, जिला कारागार फैजाबाद में बन्द है, एक दरख्वास्त कारागार मंत्री, महानिरीक्षक कारागार तथा जिलाधीश फैजाबाद को दी है और ८ जुलाई, सन् १९६३ से अनशन शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी हां, कथित प्रार्थना पत्र शासन तथा जिलाधीश फैजाबाद को प्राप्त हुआ था परन्तु बन्दी ने ८ जुलाई से अनशन नहीं किया। प्रार्थना-पत्र की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११४१–११४३ पर)

*२—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि उसकी दरख्वास्त १२ जुलाई, सन् १९६३ के दैनिक 'आज' बाराणसी में भी प्रकाशित हो गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१२ जुलाई को ऐसी कोई दरख्वास्त दैनिक आज में प्रकाशित नहीं हुई।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यदि ८ जुलाई से अनशन नहीं हुआ तो कब से हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अनशन नहीं किया। एकाध दिन खाना लेने से इंकार किया था लेकिन बाद में खाना ले लिया।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि फैजाबाद जेल के अवीक्षक और जेलर के खिलाफ तथा वार्डर के खिलाफ दरख्वास्त की कोई प्रतिलिपि उन्हें प्राप्त हुई थी जिसमें उनके ऊपर ११ आरोप लगाये गये थे ? इस दरख्वास्त की जांच किस अधिकारी से कराई गयी और उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब ये आरोप यहां आये तो उस समय जो माननीय सभा सचिव थे वे स्वयं वहां गये और उन्होंने जाकर जांच की।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच हुई उसका फल क्या हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

माननीय सभा सचिव ने वहां जाकर जांच की तो दो आरोपों के संबंध में उन्होंने कहा कि इनमें कुछ तथ्य हो सकता है, बाकी आरोप निराधार पाये गये। जिन आरोपों में तथ्य पाये गये उनमें एक तो यह था कि दिल्ली पति जी के साथ वार्डर ने अभद्र व्यवहार किया। दूसरा आरोप यह था कि एक आम का बगीचा था जो पहले ३०० रुपये में बेचा गया था, इस साल केवल ७० रु० में ही बिका। जांच के बाद यह हुआ कि जो वार्डर था उसको वहां से हटा दिया गया और उस पर ५ रु० जुर्माना हुआ। बकिया मामले में अभी जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी ने जो आम के बगीचे के बारे में बतलाया कि पहले ३०० रु० में बेचा जाया करता था लेकिन इस साल केवल ७० रुपये में बिका, यह भी एक आरोप है लेकिन

मेरी जानकारी है कि आम का बगीचा बेचा तो गया ३०० रुपये में ही, लेकिन सरकारी कागज में ७० रुपये में ही बिका दिखलाया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जेलर और अधीक्षक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच हो रही है।

श्री ऊदल—

दो आरोप जो जांच से सत्य पाये गये उनमें एक आम के बगीचा वाला भी था।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि उसकी जांच हो रही है ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैंने कहा कि दो आरोपों के संबंध में कुछ तथ्य पाये गये। इनमें से एक मामले में तो उन्होंने फैसला किया और यह आदेश दिया कि वार्डर को वहां से हटा दिया जाय और उसके ऊपर ५ रु० जुर्माना भी कर दिया गया। जहां तक आम के बगीचे वाले मामले का संबंध है, इसके लिये यह कहा कि इसमें कुछ तथ्य मालूम होता है और संकेत किया कि कुछ बात सच हो सकती है। उसकी जांच मुकम्मल तरीके से हो रही है।

[२१ अक्तूबर, १९६३ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

डी० आई० जी, प्रिजन्स के अधिकार

*१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रिजन्स ऐक्ट में डी० आई० जी० का कोई पद नहीं है, न जेल मैनुअल में किसी प्रकार का अधिकार है तो किन परिस्थितियों में उनको अधिकार दिया जा रहा है ? जो अधिकार उनको दिये गये हैं क्या सरकार उनको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रिजन्स ऐक्ट में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करके डी० आई० जी० प्रिजन्स को अधिकार दिये गये हैं। जो कार्य व अधिकार उन्हें दिये गये हैं उनका विवरण जेल मैनुअल के पैरा ९५० ए में दिया हुआ है जिसका उद्धरण संलग्न तालिका में दिया गया है इसके अतिरिक्त संलग्न तालिका में वर्णित पदों के लिये उनको नियुक्ति अधिकारी भी घोषित किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११४४ पर)

जेल में फिनायल के ड्रमों का विक्रय तथा जेल ट्रेनिंग स्कूल की जमीन का किराया

*२—श्री हिम्मतसिंह—

क्या कारागार मंत्री दिनांक २४ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या ५ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बनारस के किसी फर्म ने कोई प्रार्थना-पत्र १३ रुपया प्रति ड्रम के हिसाब से भूतपूर्व अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, वाराणसी एवं कारागार महानिरीक्षक को दिया था ? यदि हां, तो उसके उपरान्त भी गर्ग केमिकल, लखनऊ को ड्रम बेच दिये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, किन्तु उस फर्म ने खाली ड्रमों को जो काम लायक थे, १३ रुपये प्रति ड्रम के हिसाब से खरीदने के लिये लिखा था। परन्तु न तो ऐसे ड्रम जेल विभाग द्वारा बेचे जाते हैं और न इस प्रकार के ड्रम केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में उपलब्ध ही थे। गर्ग केमिकल लखनऊ के हाथ अन्य जेलों के कुछ निष्प्रयोज्य ड्रम बेचे गये।

*३—श्रीहिम्मतसिंह—

क्या कारागार मंत्री दिनांक २४ दिसम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या ६ के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जब जेल कोआपरेटिव सोसाइटी ५ रु० प्रतिशत की दर से सरकार को किराया देती थी और कानून विरुद्ध sub-tenant को allow कर के ४० रुपया प्रतिमास सोसाइटी को वसूल करने का अवसर दिया गया और इस प्रकार से ३५ रुपया प्रतिमास की जो हानि हुई उसे मुख्य किरायेदार से वसूल किया जायगा अथवा नहीं ? सरकारी भूमि पर sub-tenant को क्यों आज्ञा प्रदान की गयी इसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं, सब-टेनेन्ट रखने पर कोई प्रतिबन्ध लीज-डीड में नहीं किया गया था।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनसे पूछा गया कि वे काम लायक किसको समझते हैं और इससे उनका क्या मतलब है कि "जो काम लायक नहीं थे" ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ऐसा होता है कि जेल में फिनाइल वगैरह के ड्रम्स आते हैं उनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो काम लायक होते हैं यानी जिनका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। उनको तो वे दूसरी जेलों में भेज देते हैं, लेकिन जो खराब हो जाते हैं और जिनसे काम नहीं लिया जा सकता, ऐसे ड्रम्स थे, जो उनको दे दिये गये।

गोरखपुर की नजूल भूमि सम्बन्धी राजाज्ञा

*४—श्री कल्पनार्थीसिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १६ नवम्बर, १९६२ का पत्र-संख्या २०५२ (बी)/११-ख, नगरपालिका (ख) विभाग के द्वारा जिलाधीश गोरखपुर के नाम जारी किया गया है कि नगरपालिका गोरखपुर के नजूल की भूमि को बिना सरकार के आदेश के जनता को न दिया जाय ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

प्रश्नगत् राजाज्ञा केवल आराजी छावनी में नजूल भूमि पर बने बंगलों को सरकारी अधिकारियों के रहने के लिये सुरक्षित रखने की दृष्टि से जारी की गई है। उक्त राजाज्ञा की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११४५ पर)

नोट—सारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को इस बात की भी सूचना है कि बावजूद उपरोक्त आदेश के नगरपालिका के नजूल भूमि का प्रबन्ध कुछ गैर सरकारी व्यक्ति के नाम किया गया है ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जिलाधीश की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि प्रश्नगत् राजाज्ञा का कोई उलंघन नहीं हुआ है।

*६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार इस आदेश के विरुद्ध जो कार्यवाही हुई है उसे रोकने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

चूंकि प्रश्नगत् राजाज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ,अतः रोकने की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली कारागार में दयालसिंह द्वारा अनशन

*७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला जेल में अलीगढ़ जिले का एक कैदी जिसका नाम दयालसिंह उर्फ डल्लू है, २ अगस्त, १९६३ को अनशन कर रहा था ? यदि हां, तो कब से और अनशन करने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जी नहीं, अपितु उसी नाम का अलीगढ़ निवासी एक कैदी दिनांक १२ जुलाई, १९६३ से केन्द्रीय कारागार, बरेली में अनशन पर था ।

अनशन करने का कारण यह था कि उसके लिये जो कार्य निर्धारित किया गया था उसे करने से बारम्बार इन्कार करने के कारण उसकी उपार्जित छुट (Remission) जो जब्त कर ली गई थी उसे वह प्रत्यावर्तित (Restore) कराना चाहता था ।

पेय जल व्यवस्था

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार तारांकित प्रश्न सं० १८, दिनांक १० सितम्बर, १९६२ के उत्तर में सरकार ने बतलाया है कि प्रदेश में ऐसे ६३ गांव हैं जिनमें पीने का पानी ४ और ५ मील से आता है और वह पीने व ले लोग खुद लाते हैं ? तो क्या सरकार अपने खर्च से उक्त ६३ ग्रामों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

डाक्टर सीताराम—

इन ६३ गावों में से ५९ गांवों में पानी पहुंचाने की योजनाएं बन चुकी हैं तथा शेष ४ गांवों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । योजना के नियमों के अनुसार योजना की लागत का ९० प्रतिशत सरकार अनुदान के रूप में देती है । शेष १० प्रतिशत गांव वाले नकद या श्रमदान के रूप में देंगे ।

जड़ी बूटियां

*९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जंगलात में कौन-कौन सी ऐसी जड़ी-बूटियां हैं जो दवाइयों में या दूसरी जरूरी चीजों में काम आती हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

उत्तर प्रदेश के जंगलों में पाई जाने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण जड़ी बूटियों की† सूची संलग्न है, जो दवाइयों में तथा दवाइयों के तेलों आदि में काम आती हैं।

* १०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से ऐसी कौन-सी जड़ी-बूटियां हैं जो विदेशों को भेजी जाती हैं ? क्या उनके उत्पादन को बढ़ाने की ओर सरकार ने कोई विशेष ध्यान दिया है ?

श्री चरणसिंह—

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कौन-कौन-सी जड़ी बूटियां विदेशों को भेजी जाती हैं।

*११—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२-६३ में कितनी रकम की जड़ी-बूटियों को उत्तर प्रदेश से विदेशों को एक्सपोर्ट किया गया है ?

श्री चरणसिंह—

वन विभाग में केवल सन् १९६२-६३ में ९४ किलोग्राम अम्मी माजूस (Ammi Majus) बीज स्वीटजरलैंड की एक फर्म को २ रु० प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा था। इसके अतिरिक्त सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जालौन नगरपालिका के विरुद्ध पत्र

*१२—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिला जनसंघ के सह-मंत्री द्वारा जालौन नगरपालिका के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र, जून, १९६३ के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा सरकार द्वारा उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और आगे क्या करने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

मथुरा कारागार में बन्दी की मृत्यु

*१३—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६३ में जिला जेल, मथुरा में कोई नौजवान मरा है ? यदि हां, तो उस मृतक को जेल में लाते समय शरीर में कितने निशान चोटों के थे ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१४--श्री लखीसिंह--

क्या यह सत्य है कि उक्त मृतक को मथुरा कोतवाली पुलिस ने कोतवाली में बन्द कर के बुरी तरह पीटा था ? यदि हां, तो सरकार ने संबंधित दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भोगांव टाउन एरिया के चेयरमैन पर गबन का आरोप

*१५--श्री कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि भोगांव टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध टाउन एरिया के ही एक सदस्य ने ४०,००० रु० के गबन का आरोप लगाते हुये थाना भोगांव में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां । श्री परस राम, सदस्य, टाउन एरिया भोगांव, ने थाना भोगांव में लिखित सूचना दी थी कि श्री मिश्री लाल दूबे, चेयरमैन, टाउन एरिया, भोगांव ने करीब ४०,००० का गबन किया है और इस रुपये को अपने इस्तेमाल में ले आये हैं । इस सूचना पर अपराध संख्या २३० धारा ४०९ भारतीय दन्ड विधान को कायम कर तुरन्त जांच शुरू कर दी गई ।

अभी जांच हो रही है ।

*१६--श्री गणेशचन्द्र काछी--

[हटा दिया गया ।]

वाराणसी जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*१७--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दूकानों की क्या संख्या है ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

इस समय जिला वाराणसी में २२० सरकारी सस्ते गल्ले की दूकाने कार्य कर रही हैं ।

*१८--श्री गयाप्रसाद--

उक्त सस्ते गल्ले के किन-किन दूकानदारों ने पिछले एक साल से अथवा पिछले ६ माह से गल्ला नहीं उठाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११४६-११४७ पर)

*१९--श्री गयाप्रसाद--

क्या सरकार गल्ला न उठाने वाले दूकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

गोंडा जिले से तराई के किसानों की शिकायत

*२०—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा के उत्तरी तराई के वन के किनारे बसे हुए किसानों के कितने शिकायती-पत्र बहुत दिनों से जोते हुए खेतों के संबंध में हाल में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२१—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि ग्राम मजगवां, भरपूर चेतयां, तेंदुआनगर, गोइनखां, गिरगिटही, दलपदपुर आदि ग्रामों, पो० गुगौली, हरैया, के किसानों के शिकायती-पत्र में १०, १२, १५ वर्ष पूर्व से जंगल के किनारे पड़ी हुई भूमि पर कृषि करते रहने का संकेत है ? यदि हां, तो सरकार जांच करा कर उक्त भूमि का लगान बांध कर उनके नाम पट्टा कराने के कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२२—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या उक्त समस्या जो सारे प्रदेश के जंगल के किनारे बसे हुये किसानों के संबंध में है उसके लिये जांच कमीशन नियुक्त कराकर किसानों तथा भूमिहीनों को देने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर मास्टर प्लान

*२३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के शहर गोरखपुर का मास्टर प्लान किस अवस्था में चल रहा है तथा कब तक पूरा हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

गोरखपुर शहर क्षेत्र के लिये बनाये गये मास्टर प्लान पर जनता की आपत्तियां प्राप्त की गई हैं और वे एडहाक कमेटी के विचारार्थ उसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेंगी ।

गोरखपुर तथा बस्ती जिलों से चोरबाजारी

*२४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के नौतनवां सोनोली तथा बस्ती जिले के ककरहवा, शोहरतगढ़ आदि स्थानों से चीनी, गेहूं, बिस्कुट, सीमेंट तथा मिट्टी का तेल चोरबाजारी से नैपाल के द्वारा तिब्बत को जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बरेली नगरपालिका में बिना वापसी चुंगी

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को कोई प्रस्ताव बरेली नगरपालिका की ओर से बरेली नगर में Non-refundable octroi लागू करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव किस तिथि का है सरकार को कब प्राप्त हुआ है तथा इस प्रस्ताव को लागू करने के लिये दो वर्ष बीत जाने पर भी कोई आदेश न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार नगरवासियों की इस मांग को तुरन्त लागू करने के लिये आवश्यक निदेश देगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। नगरपालिका का उक्त प्रस्ताव दिनांक ११ अक्तूबर, १९६१ का है तथा कमिश्नर, रूहेलखंड डिवीजन के द्वारा दिनांक ८ दिसम्बर, १९६१ को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां थीं जिनका स्पष्टीकरण दिनांक २७ दिसम्बर, १९६१ को मांगा गया और उनका उत्तर दिनांक ३० मई, १९६२ के पत्र द्वारा दिनांक ११ जून, १९६२ को प्राप्त हुआ। अब दिनांक १६ नवम्बर, १९६३ से बरेली नगरपालिका में बिना वापसी चुंगी लागू कर दी गई है।

बांदा नगरपालिका के विरुद्ध जांच

*२६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगरपालिका की जांच सरकार के सुपुर्द थी उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सीताराम—

नगरपालिका बांदा के कार्यकलापों के विरुद्ध शासन को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर जिलाधीश बांदा से रिपोर्ट मांगी गई है। अभी जिला अधिकारियों द्वारा जांच हो रही है।

*२७—श्री बृजमोहन लाल गुप्त—

बांदा नगरपालिका की अव्यवस्था तथा कुप्रबन्ध को देख कर क्या सरकार बोर्ड को सुपरसीड करनें पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जिलाधीश की रिपोर्ट आने पर ही यह निश्चित किया जा सकेगा कि बोर्ड को सुपरसीड किया जा सकेगा अथवा नहीं।

*२८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

यदि हां, तो निर्णय कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद के किसानों की मांगें

*२९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ जिले के गाजियाबाद के आस-पास के किसान जो गाजियाबाद मास्टर प्लान से दुखी हैं इसी अगस्त महीने में अपनी मांगों की पूर्ति हेतु प्रदर्शनार्थ दिल्ली गये थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? उन मांगों की पूर्ति की दिशा में सरकार कौन-सा कदम उठा रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । गाजियाबाद के किसान जो अपनी भूमि के अर्जित हो जाने के कारण दुखी थे अपनी मांगों की पूर्ति हेतु, अगस्त, १९६३ में प्रदर्शनार्थ दिल्ली गये थे ।

उनके निवेदन पत्रों से प्रतीत होता है कि उनकी निम्नलिखित मांगें हैं :—

(१) उनकी भूमि का मुआवजा अधिक से अधिक दिया जाय ।

(२) बेल्टिंग सिस्टम (Belting system) समाप्त किया जाय और किसानों को उनकी किसी भी भूमि का मुआवजा ३ रुपया प्रति वर्ग गज की दर से कम न दिया जाय ।

(३) पुनर्वास मिले ।

(४) मुआवजा नकद (Cash) तथा सामान (kind) के रूप में फौरन दिया जाय ।

(५) सरकार निम्नलिखित मामलों में विशेष सुविधा दे :—

(क) उद्योग के लिये प्लान्ट्स प्राप्त करने में ।
(ख) बाजारों में दूकानों व मकानों के लिये प्लाट्स प्राप्त करने में ।
(ग) उद्योग धंधों के लिये ऋण देने में ।
(घ) नौकरी देने में प्राथमिकता ।
(च) डिपो, लाइसेंस तथा पावर कनेक्शन देने में ।
(छ) दवा, इलाज व पढ़ाई के प्रबन्ध में ।

(६) निम्नलिखित चीजों का मुआवजा कानूनी ढंग से निर्धारित न किया जाय, बल्कि उनकी कुल लागत के अनुसार निर्धारित करके दिया जाय :—

(क) कृषि यंत्र ।
(ख) बाग ।
(ग) ट्यूबवेल ।
(घ) रहट (Persian wheels)
(च) कुएं ।

(७) जब तक उनके साथ सम्मान पूर्वक समझौता न हो जाय तब तक उनको सड़कों के अलावा बागी जमीन जोतने-बोने की आज्ञा दी जाय ।

(८) श्री रामसुभगसिंह, कृषि मंत्री केन्द्रीय सरकार, की रिपोर्ट की प्रतिलिपि उनको दी जाय या समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाय और उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर व प्रतिक्रिया का ब्यौरा उनको दिया जाय ।

जहां तक पहली मांग का सवाल है भूमि का मुआवजा लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के प्राविधानों के अन्तर्गत जितना भी अधिक से अधिक संभव हो सकता है, दिया जायगा ।

दूसरी मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

जहां तक तीसरी मांग का प्रश्न है, जो किसान किसी दूसरी जगह सरकार द्वारा चलाई गई कालोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत बसना पसन्द करेंगे, उनको कृषि योग्य भूमि देने की पूरी पूरी सुविधा देने का प्रयास किया जायगा ।

जहां तक चौथी मांग का सवाल है, सामान के रूप में मुआवजा देना सम्भव नहीं है । हां, मुआवजा नकद रूप में जितनी जल्दी सम्भव हो सकता है, दिया जायगा ।

पांचवीं मांग अस्पष्ट (Vague) है । यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की सुविधा ये किसान चाहते हैं । हां, जिन किसानों के मकान अर्जित कर लिये जायेंगे उनको मकान निर्माण हेतु प्लाट देने में प्राथमिकता दी जायगी ।

छठी, सातवीं तथा आठवीं मांग भी स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

गोंडा जिले में जंगल काटने के लिये नीलाम

*३०--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--

क्या यह सच है कि गोंडा जिला के अन्तर्गत (गोण्डा साउथ रेंज उतरौला तथा टिकरी) के जंगलों के कटाव के लिये बीस-बीस एकड़ का टुकड़ा बनाकर दिनांक १६, १७ अगस्त, १९६३ को नीलाम किया गया है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां ।

*३१--श्री रणबहादुरसिंह--

क्या यह सच है कि गत वर्षों में पांच-पांच एकड़ के छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर के नीलाम किया गया था जिससे छोटे-छोटे ठेकेदारों को भी ठेका लेने का अवसर प्राप्त हुआ था तथा सरकार को इस प्रकार की नीलामी से अधिक धनराशि भी प्राप्त हुआ करती थी ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं । गत वर्षों में नीलाम किये गये प्रत्येक लाट का क्षेत्रफल ५ एकड़ नहीं था । शासन को बड़े बड़े लाटों के नीलाम से कोई क्षति नहीं हुई है ।

*३२--श्री रणबहादुरसिंह--

क्या दिनांक १६, १७ अगस्त, १९६३ को जो नीलाम हुआ है जिससे सरकार को कई लाख रुपये का घाटा हो रहा ह इसको दूर करने के लिये गत वर्षों की भांति छोटे-छोटे टुकड़ों में पुनः नीलाम करने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री चरणसिंह--

१६ एवं १७ अगस्त, १९६३ को किये गये नीलाम से शासन को कोई भी क्षति नहीं हुई है । अतएव पुनः प्लाट निर्माण कर पुनः नीलाम करने का प्रश्न नहीं उठता है । पुनः नीलाम कानूनन उस समय तक नहीं किया जा सकता है जब तक उसका पहला खरीददार उसे लेने से इनकार न कर दे ।

हल्द्वानी फारेस्ट डिवीजन में फोरेस्टरों की नियुक्ति

*३३--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून १९६३ में फारेस्ट डिवीजन, नैनीताल में कितने नये फारेस्टर नियुक्त किये गये और उनमें से कितने महकमें के मुलाजिमों की तरक्की करके नियुक्त की गई और उनकी मुद्दत मुलाजिमत कितनी-कितनी थी ?

श्री चरणसिंह---

नैनीताल फारेस्ट डिवीजन में जून १९६३ में तो नहीं, परन्तु हल्द्वानी फारेस्ट डिवीजन में जुलाई, १९६३ में १८ फारेस्टरों की नियुक्ति की गई। इनमें से ८ की तरक्की देकर नियुक्ति की गई। इन ८ में से ७ की मुद्दत मुलाजिमत ७ वर्ष थी और एक की दो वर्ष।

*३४---श्री हलीमुद्दीन---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कम मुद्दत मुलाजिमत के व्यक्तियों को जैसे श्री दीवान सिंह को १६ जून, १९६३ को तरक्की देकर फारेस्टर बना दिया गया है और ज्यादा सीनियर लोग तरक्की के मुस्तहक मौजूद हैं, लेकिन उनको तरक्की नहीं दी गयी है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री चरणसिंह---

श्री दीवान सिंह को हल्द्वानी फारेस्ट डिवीजन में जुलाई १९६३ में फारेस्टर के पद पर नियुक्त किया गया। भूतपूर्व फारेस्टर जिसकी जगह पर श्री दीवान सिंह अब कार्य कर रहे हैं, फारेस्टर ट्रेनिंग क्लास में ट्रेनिंग के लिये चला गया है। कंजरवेटर फारेस्ट का कहना है कि यह स्थानीय प्रबन्ध इसलिये किया गया था जिससे कि काम का इतना हर्जा न हो। चूंकि श्री दीवान सिंह से सीनियर प्लान्टेशन जमादार ऐसे मौजूद हैं जिन्हें इस अल्पकालिक प्रबन्ध के लिये विचार किया जा सकता था, इसलिये अब श्री दीवान सिंह के प्रत्यावर्तन के आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं और संबंधित अधिकारी से जबाब तलब किया गया है।

सस्ते गल्ले की दूकानें

*३५---श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तक परे प्रदेश में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें सरकार द्वारा खोली जा चुकी हैं तथा क्या यह संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो कितनी अन्य दूकानें आगे कितनों दिनों में खोलने की योजना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस समय तक प्रदेश में ४२६३२ सस्ते गल्ले की दूकानें कार्य कर रही हैं। ३६२ अतिरिक्त दूकानें निकट भविष्य में खोलने का विचार है। यह संख्या पर्याप्त है। जिलाधीशों को आदेश है कि वह आवश्यकतानुसार दूकानें खोल सकते हैं।

*३६---श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री जगन्नाथ राव---

क्या इस समय सरकार को उक्त सस्ते गल्ले की, दुकानों में भ्रष्टाचार आदि की कोई शिकायतें मिली हैं। यदि हां, तो कितनी तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

प्रश्न में निश्चित समय का उल्लेख न होने के कारण भ्रष्टाचर संबंधी शिकायतों की संख्या बताना संभव नहीं है। फिर भी जब ऐसी शिकायतें सरकार को प्राप्त होती हैं, तब उन पर जिलाधीशों द्वारा जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

सैदपुर टाउन एरिया का प्रार्थना-पत्र, गाजीपुर नगरपालिका पर ऋण

*३७---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे सैदपुर टाउन एरिया, जिला गाजीपुर की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र उसको पांचवीं श्रेणी में रखने का मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां। शासकीय आदेश दिनांक ६ सितम्बर, १९६३ द्वारा टाउन एरिया कमेटी, सैदपुर को पांचवीं श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है।

*३८---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर सरकार का कितना कर्ज का रुपया बकाया है ?

डाक्टर सीताराम---

४, ५२,७१० .५६ रुपया मय सूद के बाकी है।

सहारनपुर जिले को सीमेंट तथा चीनी

*३९---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में १ जनवरी, १९६३ से ३१ अगस्त, १९६३ तक कितना-कितना Cement प्रति मास भेजा गया है तथा उसमें से नगर सहारनपुर के मकान वालों को कितना-कितना दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सूचना निम्नलिखित है :

मास		प्राप्त हुए सीमेन्ट की मात्रा मी० टनों में	मकान बनाने वालों को दिये गये सीमेन्ट की मात्रा मी० टनों में
जनवरी	६३	३८१	१३८
फरवरी	,, ...	३५१	६०
मार्च	,, ...	१२५	१९
अप्रैल	,, ...	४४७	६८
मई	,, ...	२५७	१७
जून	,, ...	२६२	१४
जुलाई	,, ...	२५९	२
अगस्त	,, ...	२५७	..
योग	..	२,३३९	३१८

*४०---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नगर सहारनपुर तथा जिले को पिछले पांच महीनों में कितनी-कितनी चीनी प्रतिमास दी गयी और उसमें से हलवाई इत्यादि के दूकानदारों को चीनी मिलने का क्या तरीका रखा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पिछले पांच महीनों में सहारनपुर को एलाट हुई चीनी संबंधी सूचना निम्न लिखित है :

		जिले का पूर्ण कोटा मो० टनों में	जिले के कोटे में से सहारनपुर नगर की मांग
१५-४-६३	से १५-५-६३	.. ..	५५८ ३१३
१६-५-६३	से १५-६-६३	.. ..	६०८ ३६२
१६-६-६३	से १५-७-६३	.. ..	६६८ ३३२
१६-७-६३	से ३१-७-६३	.. ..	३६२ १४८
१-८-६३	से ३१-८-६३	.. ..	६१५ २७०
१-९-६३	से ३०-९-६३	.. ..	६६२ २७०
	योग	..	३,४७३ १६९५

हलवाइयों आदि की आवश्यकता के अनुसार उनका मासिक कार्ड बनाया गया है । जिले के मासिक कोटे का एक निश्चित प्रतिशत इनके लिये निर्धारित रहता है। इसमें से इन्हें प्रति मास चीनी दी जाती है। एक बोरी से अधिक के कार्ड होल्डरों को थोक विक्रेता के यहां और एक बोरी से कम कार्ड होल्डरों को फुटकर विक्रेताओं के यहां से चीनी मिलती है।

*४१—श्री ऊदल तथा श्री मन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

[१८ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न ६५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

टीन का कोटा

*४२—श्री बृजराजसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर सन् १९६३ से टीन (चद्दर) का कोटा किन-किन जिलों को दिया गया है और हमीरपुर जिले को दिया गया है या नहीं और अगर नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

टीन की चद्दर का कोटा किसी जिले को भी दिसम्बर, सन् १९६३ से नहीं दिया गया । इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा टीन की चद्दर का कोटा अप्रैल, सन् १९६२ से इस प्रदेश को नहीं मिला ।

वन विभाग की सड़कों पर सफर

*४३—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार हर एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० को उत्तर प्रदेश के जंगलात की सड़कों पर बिला इत्तिला व बिला परमिट सफर करने की सहूलियत देने की कृपा करेगी ताकि ये लोग इस महकमें के बारे में जानकारी रख सकें और संबंधित मंत्री को व सदन को भी जानकारी करा सकें ?

श्री चरणसिंह—

मौजूदा नियमों के अनुसार वन विभाग की सड़कों पर बिला परमिट के किसी को सफर करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० को यह परमिट आसानी से बिना रोक-टोक के दी जाती है। वन की मोटर वाली सड़कों पर सफर करने के लिये सीजनल परमिट (Seasonal Permit) भी दी जा सकती है। इन सड़कों पर बिला इत्तला देने पर अभी विचार नहीं हो रहा है।

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले में महंगाई

१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १ जनवरी, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६३ तक खुराक और जरूरियाती जिन्दगी की चीजों की कीमतों में कितने प्रतिशत इजाफा हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१—खाद्य तथा विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों की निम्न प्रकार वृद्धि हुई है :

		प्रतिशत
१—गेहूं	.. ..	५
२—चावल	.. ..	२५
३—चना	.. ..	५
४—अरहर दाल शून्य	.. ..	..
५—चीनी	.. ..	७
६—तेल मिट्टी	.. ..	२५
७—कोयला	.. (साफ्ट)	८
८—नमक	.. ..	..

२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२—महंगाई रोकने के लिये सस्ते गल्ले तथा चीनी की अधिक संख्या में स्थान-स्थान पर दूकानें खोल दी गई हैं। मिट्टी के तेल की कीमत की वृद्धि एक्साइज ड्यूटी तथा बिक्री-कर की दरों के बढ़ने के कारण है। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य ग्रहण आदेशानुसार सभी दूकानदारों को कीमतों की सूची टांगने के लिये बाध्य किया गया है।

३-४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[१७ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न ४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

६—श्री गणेशचन्द्र काछे—

[५वें सोमवार के लिए तारांकित प्रश्न ६ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

मुरादाबाद जेल में कैदियों से काम

७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या कारागार मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद जेल में अगस्त मास में कुल कितने हवालाती और कुल कितने कैदी थे और कितने हवालाती ऐसे हैं जिन्हें एक साल से ज्यादा हवालात में रहते हो गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस जेल में अगस्त मास में कुल ३४२ कैदी और ५०६ हवालाती थे। इन ५०६ हवालातियों में से २८ ऐसे थे जिन्हें एक साल से ज्यादा हवालात में हो गया था।

८—श्री रियासत हुसैन—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जेल में क्या-क्या लेबर कैदियों से लिया जाता है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११४८ पर)

बस्ती जिले में चीनी व सीमेंट का वितरण

९—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के Supply Department में कितने अधिकारी ऐसे हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं अथवा यहां से transfer होने के बाद पुनः बस्ती transfer होकर २ वर्ष से कम समय में ही वापस चले आये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय सदस्य का अधिकारी शब्द से मतलब शायद 'गजटेड' अफसर से है। तो ऐसा कोई अधिकारी बस्ती जिले के सप्लाई विभाग में नहीं है। यदि उनका आशय non-Gazetted staff से है तो सूचना निम्नलिखित है :—

तीन वर्ष से अधिक समय के कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम :

१—श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव, सीनियर इंस्पेक्टर।

२—श्री दया शंकर लाल, सप्लाई, इंस्पेक्टर।

३—श्री रामजी लाल श्रीवास्तव, स्टेनोग्राफर।

४—श्री नजीर अहमद खां इमानी, सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क।

५—श्री पदम नाथ राव सप्लाई इंस्पेक्टर।

६—श्री अक्षय कुमार श्रीवास्तव, हेड क्लर्क।

कर्मचारी जो दो वर्ष से कम समय में बस्ती वापस आ गये उनके नाम :

१—श्री गुरु प्रसाद श्रीवास्तव, सप्लाई इंस्पेक्टर।
२—श्री त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव।

१०—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार उन व्यक्तियों का नाम व पता बताने की कृपा करेगी कि जिनको सप्लाई अफसर, बस्ती ने पहली जनवरी, सन् १९६३ से ३० जून, सन् १९६३ तक सीमेन्ट का परमिट दिया है और यह भी कि कितने-कितने बोरे का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूची बहुत लम्बी है और मेरे कार्यालय में है। माननीय सदस्य जब चाहें देख सकते हैं।

११—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती सप्लाई अफसर, द्वारा १ जनवरी, १९६३ से ३० जुलाई, १९६३ तक किन-किन आदमियों को चीनी बेचने का लाइसेंस दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२३ व्यक्तियों को चीनी बेचने के लाइसेंस इस अवधि में दिये गये। नामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११४९ पर)

ईटों के भट्टों के लिये लाइसेंस

१२—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय ईटों के भट्टे के नये "लाइसेन्स" हरिजनों को देने में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ईटों के भट्टों के नये लाइसेन्स देने के सिलसिले में हरिजन अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्रों पर अन्य अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्रों के साथ विचार किया जाता है। इनके लिये कोई पृथक् नीति नहीं है।

जौनपुर जिले में सीमेंट का फर्जी परमिट

१३—श्री जगन्नाथराव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले से हाल में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कोई व्यक्ति जिला पूर्ति अधिकारी की नकली मुहर लगाकर फर्जी परमिट चीनी व सीमेंट की बना रहा है ? क्या सरकार को उस व्यक्ति का पता लगा ? उस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। परन्तु सीमेंट स्टाकिस्ट द्वारा अवश्य एक व्यक्ति फर्जी परमिट के साथ पकड़ा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

१४—श्री जगन्नाथराव—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर में निजी मकान या दूकान बनाने के लिए दो सौ बोरे से अधिक इस वर्ष अगस्त, मास तक कितने व्यक्तियों को सीमेंट के परमिट दिये गये हैं, इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना शून्य है।

सहारनपुर में गृह निर्माण सम्बन्धी आदेश

१५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि City Magistrate सहारनपुर ने कोई आदेश जारी किये हैं कि नगर में उनकी मंजूरी के बिना नया मकान नहीं बन सकता ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

नगरपालिका सहारनपुर को सीमा के अन्दर आने वाले तथा उसके सब ओर दो मील की दूरी तक के क्षेत्र को नियोजित रूप से विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम १९५८ के प्रतिविधान उक्त क्षेत्रों में २९ नवम्बर, १९६२ को लागू किये गये और इस अधिनियम के अन्तर्गत सिटी मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर को उसी तिथि से नियत प्राधिकारी नियुक्त किया गया । चूंकि उस अधिनियम के अनुसार उनकी स्वीकृति के बिना कोई मनुष्य निर्माण कार्य नहीं कर सकता । अतः सिटी मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर ने यह आदेश जारी किया कि उनकी स्वीकृति के बिना उन क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य न किया जाय ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी द्वारा सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के उपरान्त सदन में उपस्थित रहने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले माननीय नेकराम शर्मा जी ने एक स्ट्रेन्जर के विषय में प्रश्न उठाया था और उस समय आप ने उस प्रश्न को आधा घंटे बाद लेने को कहा था और इसी प्रश्न को मैंने शुक्रवार को आप के समक्ष प्रस्तुत किया था और उस समय आपने आज्ञा दी थी कि मैं आप को अखबार उस सम्बन्ध में दिखाऊं, मेरे पास यह दर्जनों अखबार हैं .....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है वह मेरे पास मौजूद है, मैं अभी बताये देता हूं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आप इन को देखने की कृपा करें । जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा बहुत सी बातें अखबारों में छपती हैं, मेरे पास पत्र मौजूद हैं और टेप रिकार्ड मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठते तो हैं नहीं, मेरे पास सब लिखा हुआ है, मैं कह लूं तब आप कहिये ।

१८ तारीख का यह एक कागज है जिस के ऊपर सचिव का नोट यह है कि यह त्याग-पत्र जो मेरी मेज पर साढ़े ३ बजे के करीब खुला हुआ मुझे मिला, प्रस्तुत है । वह पत्र, जिसको वह कहते हैं खुला हुआ मेज पर मिला, इस प्रकार से है—

सेवा में

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देता हूं, कृपा कर इसे स्वीकार करने की दया कीजिये । धन्यवाद ।

भवदीय,

सुदामा प्रसाद गोस्वामी,
सदस्य, विधान सभा, ३११, मांठ झांसी,
निर्वाचन क्षेत्र ।

दिनांक ललितपुर, ७ अक्तूबर, १९६३ ।

इसके बाद मुझे १९ तारीख को प्रातःकाल एक दूसरा पत्र मिला जिसके ऊपर तारीख लिखी है १७-१०-६३, उस में लिखा है कि--

"श्री अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

महोदय,

आज विधान सभा में मेरे त्याग-पत्र के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था उस के सम्बन्ध में मैं कुछ स्पष्टीकरण करना उचित समझता हूं । ललितपुर में श्री रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी के औचित्य और अनौचित्य के सम्बन्ध में मुझे कोई शिकायत नहीं है, परन्तु जिस प्रकार गोपनीय ढंग से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले एक विधायक की हैसियत से मुझे क्षोभ होना स्वभाविक था । मैंने अनशन किया और उत्तेजित जनता को शान्त करने के लिये विरोधस्वरूप विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के लिये भी कहा । मैं कांग्रेस का अनुशासनबद्ध विधायक हूं । मैंने अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास अपना त्याग-पत्र भेज दिया और उसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी को भी भेज दी । मैंनें कोई त्याग-पत्र आप के पास नहीं भेजा और मैंने अपने पत्र में अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, से ही यह प्रार्थना की थी कि वे मेरा त्याग-पत्र जहां उचित समझें भेज दें । मुझे विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने की कोई अनुमति नहीं मिली । अतः मैंनें अपना कोई त्याग-पत्र आप के पास नहीं भेजा ।

आपका

सुदामाप्रसाद गोस्वामी,

एम० एल० ए० ।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, उन्होंने....

श्री अध्यक्ष--

आप पहले बहस ही कर लेंगे या मुझे कहने भी देंगे ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह तो कांग्रेस का नाटक है ।

श्री अध्यक्ष--

आप हमारे नियम २७८ को सुन लें, वह इस प्रकार है ।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

जो दूसरा आपने सुनाया है यह डाक से आया है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, मेरे घर पर किसी ने दिया ।

श्री झारखण्डे राय--

और पहला भी घर पर गया था ?

श्री अध्यक्ष—

पहला वाला आपको पढ़ कर सुनाया कि सचिव ने रिपोर्ट की कि उनकी मेज पर खुला हुआ इस तरह से मिला।

एक सदस्य—

उस आदमी से पूछ लें, उसी के दस्तखत हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं पूछ लूंगा, जब मुझे आवश्यकता होगी।

अब मैं नियम २७८ के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करता हूं:—

"२७८—सदन के स्थानों का त्याग—(१) जो सदस्य सदन से अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह विहित प्रपत्र में ऐसी सूचना देगा :

सेवा में,

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

श्रीमन्,

मैं एतद्द्वारा सदन से अपने स्थान से .....(दिनांक) .... पूर्वाह्न/अपराह्न से पद त्याग करता हूं।

आपका विश्वासपात्र,

(विधान सभा के सदस्य के हस्ताक्षर)

(स्थान) ..... (तिथि) .....

टिप्पणी:—पत्र में दिये हुए पद त्याग के दिनांक और समय उस समय से पूर्व के नहीं होंगे जब कि वह पत्र लिखा गया है।

(३) त्याग-पत्र में निर्दिष्ट दिनांक एवं समय से पद त्याग प्रभावी होगा।

हमारा नियम है कि त्याग पत्र में जो निर्दिष्ट तिथि होगी और जो समय होगा उस समय से पद त्याग प्रभावी होगा।

(४) सदन से अपने स्थान के त्याग करने की किसी सदस्य से ऐसी सूचना अध्यक्ष को प्राप्त होने के बाद सचिव यथासम्भव ...."

इससे मतलब नहीं है। अन्त में उपनियम (६) देखें।

"(६) यदि कोई त्याग-पत्र विहित प्रपत्र में न हो तो वह सम्बद्ध सदस्य को विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के हेतु वापस कर दिया जायगा।" यह नियम है।

माननीय गोस्वामी जी ने ७ अक्तूबर को त्याग-पत्र दिया। उसमें उन्होंने .....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आप पूछ तो लें कि उनके दस्तखत हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं इस पर उनके हस्ताक्षर हैं। वह बाद को देख लूंगा। लेकिन इस समय सूरत यह है कि उन्होंने तिथि नहीं दी और यह भी नहीं लिखा कि पूर्वाह्न से या अपराह्न से त्याग पत्र देना चाहते हैं। इसके विपरीत इसको देने के पश्चात् वह १७ तारीख को यहां सदन में मौजूद थे। १८ तारीख को मालूम नहीं मौजूद थे कि नहीं। आज भी मौजूद हैं। अब यह मालूम करना है कि वह कब से रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। अतः नियम २७८ (६) के अन्तर्गत मैं इसको वापस कर दूंगा माननीय सदस्य को। अगर वह स्वीकार कर लेंगे कि इस पर उनके

हस्ताक्षर हैं और उन्होंने इस पत्र को मित्थल साहब के कमरे में रखा है तब उसके बाद देखेंगे। मैं इस पत्र को माननीय सुदामाप्रसाद गोस्वामी के पास भेज रहा हूं। अगर वह इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं लिखित चाहूंगा, जबानी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—

पहले यह पूछ लें कि उनके दस्तखत हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

मैंने १७ तारीख को आपकी सेवा में लिखित भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस समय इस विषय में फैसला नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि नियम २७८(६) के अन्तर्गत आपका त्याग-पत्र उस प्रपत्र के अनुरूप आना चाहिये। मैं इस समय उसी पर कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आपने अपनी बात कह दी। मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि माननीय गोस्वामी के हस्ताक्षर उस पर हैं?

श्री अध्यक्ष—

जब यह विषय फिर आयेगा तो बहस कर ली जायगी।

श्री नेकराम शर्मा—

फिर नहीं आयेगा। अगर आप आर्टिकिल १९० को देखें .....।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

जब उन्होंने लिखकर इस्तीफा दे दिया तो उस पर सदन में विचार कर सकते हैं। कांग्रेसी भले कहीं अपने इस्तीफे देते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

यह इस्तीफा आपको १७ को मिला या १८ को मिला, कोई महत्व नहीं रखता। आपको तो यह पता लगाना था कि उनके दस्तखत सही है या नहीं। ये दस्तखत उन्होंने मान लिए।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जरा आप बैठ जाइये। १८ को मिला है, १७ को नहीं मिला। १८ को जब मालूम किया तो गोस्वामी जी नहीं मिले।

श्री नेकराम शर्मा—

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९० के अन्दर यह स्पष्ट है कि—

"If a member of a House of the Legislature of a State resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman, as the case may be, his seat shall thereupon be come vacant."

तो श्रीमन्, सीट तो उस वक्त वैकेन्ट हो गई। इसमें मोड आफ डिलिवरी का सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं फैसला दे दूंगा तो खत्म हो जायगा ।

श्री उग्रसेन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी कहा कि मैं फैसला दे दूंगा, तो क्या आप फैसले की धमकी दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अगर आपने मुझे यहां बैठाया है तो आपका तो आग्रह होना चाहिये कि मैं फैसला दूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन, लाभ हानि का विवरण तथा लेखा परीक्षकों का निरीक्षण प्रतिवेदन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के ३१ मार्च १९६२, को समाप्त हुए वर्ष के कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन, लाभ हानि का विवरण तथा लेखा परीक्षकों का निरीक्षण प्रतिवेदन को स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९५१, की धारा ३७ की उपधारा (७) एवं धारा ३८ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियों को सदन में रखने पर आपत्ति

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से . . .

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपके प्रश्न का सम्बन्ध इसी से है ?

†श्री भगवान सहाय—

जी हां, मेरा सम्बन्ध इसी आइटम संख्या ३ से है । यह कागज सदन की मेज पर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि जो बिल २५ सितम्बर को आया था उसमें माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि श्री भगवान सहाय जी को पता है कि ४ साल से हम ५ साल कर रहे हैं तो इसके अन्दर जो कुछ भी है न तो रेलेवेन्टस डाक्युमेंटस है और न किसी ने बताया है कि इसके अन्दर क्या है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं ही समझा दें कि इसका मतलब क्या है या महावीर प्रसाद जी, जो दुर्भाग्य से इस समय मंत्री नहीं है, वे ही समझा दें कि इसका मतलब क्या है ।

---

*छापा नहीं गया ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे अर्ज करना है कि जब आप स्पीकर होने के पहले डेलीगेटेड लैजिस्लेशन कमेटी के मेम्बर (चेयरमैन) थे तो वहां यह बात तय हुइ थी कि जो कागजात रखे जायेंगे तो सम्बन्धित सभी कागजात रखे जायेंगे। तो यहां तो कांग्रेस में बहुत से वकील लोग हैं और जो यहां बैठे हुए भी हैं उनमें से कोई भी इसे समझा दें कि इस का मतलब क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता नहीं हूं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतलायेंगे कि जो आपत्ति उठाई गयी है उसके उत्तर में वह क्या कहना चाहते हैं।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

इस सदन की मेज पर जितने नोटिफिकेशनस रखे जा रहे हैं उसके बाद १५ दिन के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य इस सदन के भीतर डिस्कशन कर सकता है। जब तक वह ले न कर दिया जाय तब तक उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---

इसको मैं इस समय स्थगित करता हूं। इसे मैं स्टडी कर लूं और समझ लूं तब मेज पर यह रखा जायगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उपप्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली १९६२*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२, में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८४६ -बी/३३, दिनांक २८ सितम्बर, १९६३, के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, अधिनियम १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम गार्डस् विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३, सदन की मज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी छ आगे पृष्ठ ११५०---११६० पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

अब मैं कुछ निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष---

सूचनाओं के समाप्त होने पर आप कह दीजियेगा।

---

*छापी नहीं गयी।

श्री हरगोविन्दसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना देना चाहता हूं। माननीय हरगोविन्दसिंह जी ने अपना बयान देते हुए उन्होंने अखिल भारतीय स्तर के नेता के सम्बन्ध में कुछ कहा था। उनका मतलब राजनारायण जी से था कि मुख्य मंत्री जी से कार ले कर वह विश्वविद्यालय में गये थे। मैंने इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत तौर से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि राजनारायण जी कार लेकर विश्वविद्यालय नहीं गये थे।

श्री अध्यक्ष—

यह समय भाषण देने के लिये नहीं है। आपने नोटिस दे दिया है। आप उसे लिख कर भेज देंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं लिख कर भेज दूंगा।

१४ अक्तूबर को शपथ लेने वाले मन्त्रियों द्वारा गोपनीयता भंग करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की सूचना सर्वश्री राहत मौलाई, खेम चन्द और श्यामलाल जी ने भेजी है। उसका आधार यह है कि १४ तारीख की शपथ को मैंने अवैधानिक निश्चित किया। उसके फलस्वरूप एक तो गोपनीयता का नियम भंग हुआ और दूसरे सदन में उन्होंने जब कि वे मंत्री नहीं थे मंत्री की हैसियत से अनधिकृत काम किया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि माननीय उग्रसेन जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न इसी बात पर उठाया था और मैंने उसी समय अपना निर्णय दे दिया था कि जो भी कार्य इस सभा मंडप के बाहर होते हैं उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। विशेषाधिकार का प्रश्न तभी उठता है जब अवमान या किसी अधिकार की अवहेलना इस सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित हो और इस सदन के सदस्यों से सम्बन्धित हो। इस सूचना में दोनों बातें नहीं हैं। अगर मंत्रियों ने कोई कार्यवाही की है जो कि विधि या विधान के प्रतिकूल है तो वह अदालत में फैसला हो सकता है, सरकार सोच सकती है या जिसका कोई नुकसान हुआ हो वह कार्यवाही कर सकता है। विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

दैनिक पैट्रियट के सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं बता रहा हूं। यहां जो भी "पैट्रियट" के रेप्रेजेन्टेटिव मौजूद हों उन्होंने यह गलत तौर पर अपने समाचार-पत्र दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ में छाप दिया है कि श्री काशी नाथ जी मिश्र जनसंघ के सदस्य हैं ....

श्री काशीनाथ मिश्र—

और माननीय मुख्य मंत्री का बयान गलत छापा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप ठहर जाइये । तो माननीय काशीनाथ जी को इस पर आपत्ति है । जहां तक हमारे रेकार्ड का सवाल है इसमें माननीय काशीनाथ मिश्र सोशलिस्ट सदस्य हैं । (पत्र प्रतिनिधि से) उसको आप ठीक कर दें ।

दूसरी बात जो उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के बयान के सम्बन्ध में कही है, उसकी शिकायत मुख्य मंत्री को हो सकती है, काशीनाथ जी को नहीं । मुख्य मंत्री को शिकायत होगी तो वे विशेषाधिकार का प्रश्न उठायेंगी ।

विधान सभा को १६ सितम्बर को आहूत करने तथा बिना प्रथम विज्ञप्ति को निरस्त किये दूसरी विज्ञप्ति में २३ सितम्बर को बुलाने के निमित्त विज्ञप्ति निकालने के सम्बन्ध में निदेशक, सूचना विभाग के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय

श्री अध्यक्ष—

अब एक प्रश्न श्री नरसिंहनारायण पांडेय का है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा पढ़ दीजिये, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं लेकिन जब मैंने एक फैसला कर दिया तो प्रश्न रह नहीं जाता । आपका कहना यह है कि—मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आवरणीय सदन के अवमान का एक प्रश्न श्री अमिय भूषण मलिक, निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक २३-९-६३ ई० के आगामी अधिवेशन में उठाना चाहता हूं । आशा है ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय देने की कृपा करेंगे ।

निदेशक, सूचना विभाग द्वारा जारी किये गये प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विधान मंडल के दोनों सदनों को १६ सितम्बर को आहूत करने तथा बिना प्रथम विज्ञप्ति को निरस्त हुए दूसरी विज्ञप्ति में २३ सितम्बर (विधान सभा) तथा १६ सितम्बर, ६३ (विधान परिषद्) को बुलाने निमित्त जो दैनिक अंग्रेजी पत्र "नेशनल हेराल्ड" में ६ फरवरी, १९६३ पृष्ठ ३ पर छपा है तथा जिसकी कटिंग नत्थी है-से प्रदेश की जनता में आवरणीय सदन के स्तर को गिराकर सार्वजनिक अवमान किया गया जिससे सदन की मान-मर्यादा को धक्का पहुंचा तथा इसके स्तर को गांव पंचायत के समक्ष नीचे लाने की चेष्टा की गयी । इतना ही नहीं, २३ सितम्बर से विधान सभा को बुलाने वाले प्रेस नोट में भी यह उल्लेख नहीं है कि १६ सितम्बर से बुलाने वाला प्रेस नोट निरस्त किया जाता है ।

उपरोक्त प्रेस नोट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशक, सूचना विभाग ने बिना किसी प्राधिकार के १६ सितम्बर का प्रेस नोट जारी किया ।

[श्री अध्यक्ष]

भारतीय संविधान में केवल महामहिम राज्यपाल को ही सदन को आहूत करने तथा विज्ञप्ति को निरस्त या परिष्कृत करने का अधिकार है, परन्तु जब कोई सरकारी विभाग या उसका अधिकारी राज्यपाल महोदय के उक्त कृत्यों को स्वयं बिना प्राधिकार के प्रयोग करने लगता है तो उससे सदन की अप्रतिष्ठा होती है और इस प्रकार वह अवमान का दोषी हो जाता है। इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पंद्रहवें संस्करण के पृष्ठ १२० पर देखा जाय तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि वे कृत्य जो सदन को नागरिकों की दृष्टि में गिराने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा जनसाधारण में उसके प्रति घृणा तथा अवहास का प्रसार करते हैं उनका दृष्टान्त हो या न हो, वे सदन के अवमान का प्रश्न बन जाते हैं।

अतः मैं निदेशक, सूचना विभाग के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं।"

मेरे आदेश के बाद तो उन्होंने दोनों ही बातें ठीक कहीं। अब उसको आप रहने दीजिये, खत्म होता है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

टम्बेश्वरप्रसाद जी, आपको तो मैंने बता ही दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, नियम ५२ में हमारा एक प्रश्न है महापरिनिर्वाण स्तूप, कुशीनगर के सम्बन्ध में। वह बड़ा ऐतिहासिक है।

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय कमलासिंह जी, आपने कार्यवृत्त में जो छपा है उसके ऊपर आपको आक्षेप हुआ है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

वह तो मैंने लिख कर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, ठीक है।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जिस दिन आपने मंत्रियों की शपथ के ऊपर व्यवस्था दी थी मैंने नियुक्ति वाले पार्ट पर उसके औचित्य के सम्बन्ध में नियम ३०० का एक प्रश्न दिया था। आपने उसको पढ़ दिया था लेकिन उस दिन मंत्री लोग चले गये थे इसलिये कुछ नहीं हो सका था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में हाई कमांड द्वारा हस्तक्षेप वगैरह से प्रदेश पीड़ित रहा है, उसको आप सुन लें और व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष--

वह मेरे सामने नहीं है, उसको मैं मंगा लूं। आज नहीं, कल मंगाऊंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा पुराने प्रपत्र में शपथ ग्रहण करने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी और टम्बेश्वरी प्रसाद जी का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आप उसे पढ़ दें और पढ़ने के बाद मुझे सुन लें ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कामरोको प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव ही ले रहा हूं । आप सुनते नहीं हैं, माफ कीजिये ।

***श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—**

श्रीमन्, इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं एक बात कह दूं । मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है वह बड़े महत्व का है । एक विशेष परिस्थिति प्रदेश में उत्पन्न हो गई है। हमारे न्यायाधीशों ने जो ७ तारीख को ओथ ली वह पुरानी है और जो नई ओथ ली वह १८ तारीख को ली । इस बीच में कितनों ही को प्राणदंड की सजा दी और न जाने कितने लाखों की सम्पत्ति के फैसले किये । मैं आपसे सेक्शन २१९ को पढ़ने का आग्रह करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

एक सवाल हम आप से कर लें । देखिये, सूरत यह है कि बराबर, निरन्तर, हमारे इस सदन में यह निर्णय होते आये हैं कि जो कुछ फैसले इस चेयर से होते हैं वे फैसले जहां तक यह सदन है, लागू होते हैं और अन्तिम होते हैं किन्तु मेरे फैसले चाहे ठीक हों या गलत हों, उनकी पाबन्दी न्यायालयों पर नहीं है । अगर आज मैं यह निश्चय कर दूं कि उस रोज जो शपथ ली गई है, वह सही है तो भी वह स्टौपिल का प्रभाव नहीं रख सकता । तो किसी तरह से, किसी भी व्यक्ति को, अदालत में जाने से स्टौप नहीं कर सकता कि वह उस आपत्ति को न रखे और न न्यायालय में मेरे इस निर्णय के वे पाबन्द हैं । तो, अब प्रश्न यह आता है, कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव अगर हमारे सामने है और अगर हम कुछ फैसला करें भी तो उसकी पाबन्दी न्यायालय पर क्या होगी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, एडवोकेट जनरल के स्टेटमेंट् पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मान लिया है कि जो माननीय हाई कोर्ट जजेज ने जो पुरानी शपथ ली वह शुद्ध थी और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर अशुद्ध मान ली जायगी तो बड़ी गलती होगी और उसको कोई वैलिडेट नहीं कर सकता । सेंट्रल से ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई दवा नहीं है । एक प्रश्न उत्पन्न होता है और एक नहीं, अनेक उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया वह भेज दीजिये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मुझे ऐसा लगता है कि वे अपने मन में स्वयं निर्णय नहीं कर सके कि इनका उत्तर दें। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। कुछ झिझकते हुये जजों या गवर्नमेन्ट की ओर उन्होंने अपनी राय प्रकट की, यद्यपि यह स्पष्ट है कि वह भी इस परिणाम पर नहीं पहुंचे हैं कि मैं अफरमेटिव या निगेटिव जवाब दूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल सत्य है कि जो निर्णय इस सदन का होगा माननीय जजों पर लागू नहीं होगा और जो क्लायंट्स अफक्टेड होंगे उनके राइट्स पर अप्लीकेशन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। परन्तु मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने इस बीच में प्राण दंड भी दिया है, लाखों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपील में तथा इंटरिम आर्डर भी किये हैं, यह मैं सूचना के आधार पर कह रहा हूं। जिनकी मियाद बीत गयी क्यों बीत गयी ? हमारा जुडिशल डिपार्टमेंट, हमारा चीफ सेक्रेटरी या न्याय विभाग किस प्रकार का है। अंतरिम जिला परिषद् में पहली ठेस लगी, मिनिस्टरों के ओथ के सिलसिले में दूसरी ठेस लगी, अगर ऐसी ठेसें लगती हैं तो हमें अवसर दिया जाय, हम विचार व्यक्त करें कि जनता के मन में कैसी भावनायें आ रही हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

सदन को यह अवगत करा दिया जाय कि यह भाषण किस पर है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

चंकि पढ़ा नहीं है इसलिए वह ऐप्रीशिएट नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइये आप। अगर इस तरह से पांच या सात कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आ जायं और पांच सात आदमी दस-दस मिनट बोलने लग जायं तो मैं कार्य-स्थगन न भी अलाउ करूं, फिर भी अभिसूचित कार्य का स्थगन हो जाता है।

सभी विधान सभाओं का यह निश्चित मत है कि अगर आवश्यकता हुई और मतलब का हुआ तो स्थगन प्रस्ताव पढ़ कर सुना दिया, उसकी अस्वीकृति का कारण बता दिया, वरना कारण भी बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा निवेदन भी सुन लें। आपने अभी कहा कि मेरा निश्चय उन पर लागू नहीं होता। सदन के निश्चय एक महत्व रखते हैं, उनका लागू होना दूसरा महत्व है। मेरा कहना है कि ऐसी गलतियां होती रहें और वह सब अधिकारी वहीं पर बरकरार रहें ?

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है दस माननीय मंत्रियों ने जो दोबारा शपथ लिया है उनकी गलत शपथ तो ठीक हो गयी लेकिन जबकि संविधान में १६ वां संशोधन हो गया है तो जितने विधायक हैं सदन के सब को नयी शपथ लेनी चाहिये, कि वह देश की राष्ट्रीय एकता की शपथ लेते हैं। जब तक यह शपथ नहीं लेते हैं तब तक यह हाउस नहीं चल सकता है। इस पर आप व्यवस्था दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न मेरे सामने आया है और जहां तक ऐडवोकेट जनरल का वक्तव्य है, जो उन्होंने पत्रों में दिया है, अगर सदन चाहे तो मैं ऐडवोकेट जनरल को बुलाकर आपके सामने पेश कर दूं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसके पहले कि आप ऐडवोकेट जनरल को सुनें, आप हमारी बात भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन का सेंस इस सम्बन्ध में क्या है वह जानना चाहता हूं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

हम ऐडवोकेट जनरल को सुनना चाहते हैं लेकिन उसके पहले आप हमारी बातों को सुन लें और उ सका जवाब ऐडवोकेट जनरल से दिलाने की कोशिश करें ।

श्री अध्यक्ष---

तो ऐडवोकेट जनरल कल साढ़े ११ बजे यहां उपस्थित होकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैंने आपसे निवेदन किया कि आप हमारी बात सुन लें और उसका उत्तर फिर वह हमें दे दें.....

श्री अध्यक्ष---

आप तो साधारण कायदा भी नहीं जानते हैं । जब वह आयेंगे तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं । इस तरह आप मुझसे बहस करें और मैं फिर उनको लिखकर भेजूं, यह नहीं हो सकता ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, हम अपने प्रश्नों पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं, ऐडवोकेट जनरल को हम बाद में सुनेंगे .....

श्री अध्यक्ष---

जब मैं व्यवस्था दे दूंगा तो उस व्यवस्था के विरुद्ध अगर कल ऐडवोकेट जनरल भी कुछ कहना चाहेंगे तो मैं उन्हें भी इजाजत नहीं दूंगा । मेरी व्यवस्था के विरुद्ध वह नहीं कह सकते । लेकिन यह प्रश्न जो है इसके ऊपर हम जरूर सुनना चाहते हैं । अब सचिव आपको वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव पढ़कर सुना देंगे ।

सचिव, विधान सभा---

"माननीय महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ३ न्यायाधीशों द्वारा अपने पद के लिये ७ अक्तूबर को पुराने फार्म पर शपथ ली गई । उक्त शपथ भारतीय संविधान में उल्लिखित पुरानी शपथ थी जबकि ७ अक्तूबर को शपथ ग्रहण करने के पूर्व ही संविधान के लिये १६ वें संशोधन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर शपथ में उक्त संशोधन संविधान का अंग बन चुका था

[सचिव विधान सभा]

अस्तु पुरानो शपथ लेने का कारण न्यायाधीशों का पद ग्रहण कर न्याय करना वैधानिक नहीं समझा जा सकता। विभाग ने अपनी त्रुटि अनुभव कर कुछ काल बाद नवीन संशोधित शपथ करवा दी।

दुबारा शपथ ग्रहण तथा ७ अक्तूबर के बीच जितने भी मुकदमों का निर्णय उक्त न्यायाधीशों द्वारा किया गया अथवा मुकदमें सम्बन्धी जो कार्यवाही की गई, वह वैधानिक नहीं समझी जा सकती क्योंकि उक्त पद पर आसीन होने की प्रक्रिया अवैधानिक थी। इन मुकदमों पर जनता का लाखों रुपया व्यय किया गया। सभी बेकार हो गया। इस प्रकार सरकार की अदूर-दर्शिता, लापरवाही एवं अज्ञानता के कारण जनता के धन का दुरुपयोग किया गया है तथा सरकार की साख समाप्त हो गई है। इस प्रकार एक वैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। आजन्म कारावास, प्राणदंड आदि तथा लाखों रुपयों की मालियत के मुकदमों का निर्णय नित्य हुआ है जिससे कि एक भीषण संकट पैदा हो गया है और जीवन मरण का प्रश्न जनता के सम्मुख पैदा हो गया है।

सरकार तथा विशेष रूप से न्याय विभाग तथा मुख्य सचिव के प्रति घोर असन्तोष तथा अविश्वास पैदा हो गया है। जनता में घोर उत्तेजना व्याप्त है।

अस्तु आपके माध्यम से प्रस्ताव करते हैं कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय।"

माधोप्रसाद त्रिपाठी,
टम्बेश्वरीप्रसाद।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह फैसला कर रहा हूं कि इसके ऊपर उत्तर देने के लिए एडवोकेट जनरल कल साढ़े ११ बजे इस सदन में उपस्थित हों।

भूमि-भवन कर के शहरी क्षेत्रों में लागू किये जाने के विरुद्ध जन-भावना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय झारखंडे राय, माननीय संतसिंह यूसुफ, माननीय रघुवीरराम तथा माननीय ऊदल का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है--"सरकार द्वारा "भूमि भवन कर" शहरी (शहर नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया) क्षेत्रों में लागू किये जाने की चेष्टा के विरोध में जन भावना बढ़ती जा रही है अब तक २ हजार से अधिक विरोध सभायें हो चुकी हैं, सैकड़ों शिष्ट मंडल अधिकारियों से मिल चुके हैं, दर्जनों प्रदर्शन हो चुके हैं, १०० से ऊपर शहरों तथा कस्बों में विरोध हड़तालें हो चुकी हैं, प्रदेश व्यापी हड़ताल की तैयारी हो रही है--इस विस्फोटक स्थिति से प्रदेश भर की जनता में विशेषकर नागर क्षेत्रों की जनता, जन प्रतिनिधियों तथा दलों में घोर चिन्ता व्याप्त हो गई है।

इस विशेष महत्वपूर्ण, ठोस तथा अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।" यह एक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। जब तक अधिनियम लागू होगा तब तक यहां पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव को रखने से कोई लाभ नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्यवाही होती है उसके सम्बन्ध में कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव यहां पर नहीं हो सकता।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) ---

इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि इसको लागू होने की जो कार्यवाही हो रही है उसके लिये जो अब असेसमेंट हो रहे हैं उनमें बहुत धांधली हो रही है जिससे जनता में असन्तोष की भावना व्याप्त है और बहुत असन्तोष बढ़ गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार से आप नीति स्पष्ट करने के लिये कहें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपकी हर मदद करने के लिये तैयार हूं। आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दे दीजिये, मैं आपको जवाब दिला दूंगा लेकिन कार्य-स्थगन में वह नहीं हो सकता।

जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा नवाबगंज के ताड़ी खाने का एलाटमेंट करने और नये ठेकेदार को जबर्दस्ती कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय ब्रह्मदत्त मायर की एक सूचना को स्वीकार किया है। उस सूचना में यह लिखा है कि:

"मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अवलम्बनीय प्रश्न को विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किस प्रकार से जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर ने ३०९६३ के दिन नियमों का उल्लंघन करते हुये एक अलाटमेंट आर्डर जारी किया तथा सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर, सी० ओ० सिटी सहारनपुर ने मो० नवाबगंज में ताड़ीखाने के ११ साल पुराने किरायेदार को गुंडों तथा नये ठेकेदारों की मौके पर उपस्थित रहकर ताला तोड़ने, मारपीट करने तथा रात के ढाई बजे जबरन कब्जा करने में सहायता प्रदान की। इन गुन्डों ने सारी रात मुहल्ले वालों को गाली गुफ्तार किया तथा वह चाकू, छुरा, लाठी लिये घूमते रहे और ललकारते रहे कि "है कोई सामने आने वाला" इस प्रकार मुहल्ले तथा नगर के लोग किस प्रकार डराये और धमकाये गये और उन्होंने सारी रात बेचैनी से गुजारी और अपने धन माल तथा जीवन को खतरा बना देख मकान बन्द करके अपने अपने परिवारों को बन्द रखा। श्रीमन्, इसी रात १२ बजे के करीब प्रान्तीय मुख्य मंत्री, आबकारी मंत्री, कमिश्नर, मेरठ जिला मजिस्ट्रेट तथा दूसरे अधिकारियों को तार द्वारा शिकायत की गई। परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो पाई। जिला अधिकारियों का यह सारा कार्य नियम विरुद्ध तथा अराजकता फैलाने का है तथा अब भी वह लोग सब को डरा धमका कर हर प्रकार का सबूत खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लोग भयभीत हैं और अपना जीवन उन गुन्डों के हाथों, जिनको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है, सुरक्षित नहीं पाते हैं। कृपा करके इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने की आज्ञा देकर नगरवासियों की जान माल की रक्षा के लिये सरकार का ध्यान दिलायें।

इसको मैंने स्वीकार किया है और नियम ५२ के उपनियम (६) के अनुसार एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उस विषय को प्राथमिकता दी जायगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो। अब और स्वीकार नहीं किये जा सकते।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

गंगा प्रसाद जी चकबन्दी में अधिकारियों की ज्यादती और पुलिस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन कर रहे हैं। तो उस पर भी आप एक बयान दिला दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

एक ही लिया जा सकता है। उसके लिये मैंने नियम भी सुना दिया। तो अब इसके ऊपर संबंधित मंत्री जी कब बयान दीजियेगा ?

गृह उप मंत्री (श्री शिव प्रसाद गुप्त)—

इस पर २९ तारीख को बयान दे दिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास माननीय रघुनाथसिंह और केशरीप्रसाद जी पांडेय और दूसरा काशीनाथ जी मिश्र इन दोनों के नियम ५२ के प्रस्ताव आये हैं। इन दोनों को मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

वाराणसी जिले में चकिया, चन्दौली तहसीलों में जहां लगभग २।। लाख एकड़ भूमि में धान की फसल होती है पिछले कई वर्षों से धान की फसल में पुवारी के रूप में एक रोग सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक रूप से लगा है और इस वर्ष उसका और विशेष रूप से प्रकोप है। चकिया विकास खंड की तो लगभग ६ हजार एकड़ भूमि की फसल पूर्णतः नष्ट हो जाने की स्थिति में है। इस प्रकार वाराणसी जिले के पूर्वी अंचल की मुख्य फसल इस नये रोग से पिछले कई वर्ष से व्यापक रूप से उत्तरोत्तर बरबाद होती जा रही है। किन्तु दुख है.....

यह भेज दिये गये हैं और इन पर वक्तव्य हो जायगा।

संविधान के १६वें संशोधन अधिनियम में उल्लिखित प्रपत्र में सदन के सभी वर्तमान सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के विषय को उठाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री बी० बी० शरण का एक प्रश्न मेरे पास आया है नियम ३०१ के अन्तर्गत। वह इस प्रकार है : मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३०१ के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय माननीय अध्यक्ष की अनुमति से रखना चाहता हूं। क्योंकि संविधान के १६वें संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के तीसरे शेड्यूल में जो शपथ का परिपत्र है उसमें संशोधन कर दिया गया है अतएव मेरे विचार से यह आवश्यक होगा कि सदन के सभी वर्तमान सदस्यों को पुनः शपथ ग्रहण करनी चाहिये।

माननीय नरसिंहनारायण जी ने भी कल एक वक्तव्य समाचार पत्रों में दिया है। उनके विचार से सदस्यों का यहां बैठना भी गलत है.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं, अप्वाइंटमेंट आफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के बारे में.....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

वह बोल कैसे रहे हैं ? कसम खा लेंगे तभी तो बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरा कहना यह है कि सदन नियम के अन्तर्गत और विधान के अन्तर्गत गठित नहीं रह गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रस्तावना इतनी करते हैं और मुख्य कारण नहीं बतलाते ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरी बड़ी मुसीबत है । मैं जब खड़ा होता हूं तो आप सुनते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं सुन सकते जिस प्रकार आप समय नष्ट करते हैं । आप यह कितनी ही बार कह चुके कि सदन ठीक से गठित नहीं है, लेकिन आप बहस करते रहते हैं, कारण नहीं बतलाते कि क्यों ठीक से गठित नहीं है । आप वह नियम बतलावें कि इन-इन कारणों से ऐसा है । तर्क बाद में दीजियेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

यह नियमपूर्वक गठित नहीं हुआ है इसलिये कि हमारे नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, श्रीमन्, आप नियम ५ देखें ....

श्री अध्यक्ष--

आप केवल यह बतलाइये कि यह बात नहीं हुई इसलिये यह सदन ठीक प्रकार से गठित नहीं माना जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरा कहना यह है कि हमारे संविधान में जो तीसरे शेड्यूल में संशोधन हुआ है भारत की सावरैनिटी और इंटेग्रीटी के बारे में उसके अनुसार हमने शपथ नहीं ली है और इस बारे में....

श्री अध्यक्ष--

यही मैं आप से पूछ रहा था । आपके प्रश्न से कुछ निर्बल प्रश्न उनका है । उनका कहना यह है कि यह सदन गठित है लेकिन उसके साथ साथ हमें यह शपथ भी लेनी चाहिये । आपका कहना यह है कि यह शपथ लेना लाजमी है । जब तक वह न हो तब तक सदन का गठन ही ठीक नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरा भी एक प्रश्न है और वह यह कि सदन स्थगित कर दिया जाय जब तक कि नयी शपथ न ले ली जाय । शपथ न लेने तक माननीय विधायक काम नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं इस प्रश्न को २९ तारीख को इसलिये लूंगा कि मैंने जो बहस लोक सभा में हुई है उस सारी बहस को पढ़ा है । वहां पर विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के पहले एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था और उसके पश्चात् भी लोक सभा में उस सुझाव को ध्यान

[श्री अध्यक्ष]

में न रखते हुए विधेयक इसी तरह से पास किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि मैं उसको फिर से पढ़ लूं और आप भी पढ़ लें, तब विचार होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं ५ मिनट में सारी बातें कह दूंगा, फिर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा ५ मिनट बोल लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरा कहना यह है कि...

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक मिनट मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

उनके बाद सुना जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जो सोलहवां कांस्टीट्यूशन का अमेंडमेंट थर्ड शेड्यूल का हुआ उसका जो बिल पायलेट किया गया उसका स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स और रीजंस को मैं कोट करना चाहता हूं--

"The Committee on national Integration and regionalism appointed by the national Integration Council recommended that article 19 of the Constitution be so amended that adequate powers become available for the preservation and maintenance of the integrity and soverignty of the Union. The Committee were further of the view that every candidate for the mebership of a State Legislature or Parliament, and every aspirant to, and in Cumbent of public office should pledge himself to uphold the Constitution and to preserve the integrity and sovereignty of the Union and that forms of oath in the Third Schedule to the Constitution should be suitably amended for the purpose. It is proposed to give effect to these recommendations by amending clauses (2),(3) and (4) of article 19 for enabling the State to make any law imposing reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by sub-clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of clause (1) of that article in the interests of the sovereignty and integrity of India. It is also proposed to amend articles 84 and 173 and forms of oath in the Third Schedule to the Constitution so as to provide that every candidate for the membership of Parliament or State Legislature, Union and State Ministers, Members of Parliament and State Legislatures, Judges of the Supreme Court and High Courts and the Comptroller and Auditor-general of India should take an oath to uphold the sovereignty and integrity of India."

रिपोर्ट के आधार पर स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एन्ड रीजंस का मतलब यह था कि हमको सावरेंटी और इंटिग्रिटी की शपथ लेनी चाहिये। मेरा कहना यह है कि यह बिल कानून के रूप में आ गया और इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर आप बिन्द्रा की कमेंटरी को पढ़ें कि इसका रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट होगा, या नहीं होगा या प्रास्पेक्टिव इफेक्ट होगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका रिस्ट्रास्पेक्टिव इफेक्ट होगा। बिन्द्रा की कमेंटरी के अनुसार स्टेट्यूटरी Amendment जब होते हैं, उसके मुख्य दो पहलू होते हैं। मुख्य सब्सटेंशियल ला और प्रोसीजरल ला।

का प्रभाव रिट्रास्पेक्टिव होता है। जो अमेंडमेंट किया गया है यह प्रोसीजरस ला के मारफत किया गया है, इसका फोर्स इसलिये रिट्रास्पेक्टिव होगा। अब आप पेज ४४३–४४४ इंटरप्रिटेक्शन आफ स्टैट्यूट्स एंड जनरल क्लाजेज ऐक्ट देखें।

Page 443-444 of "In terpretation of Statutes and General Classes Act". by N. S. Bindra. Third Edition, 1961.

"In accordance with the rule generally applicable to legislative enactiments, unless required in express terms, or by clear implication, an amendatory Act will be constructed prospectively and not retrospectively and the parts not altered are considered as having been the law from the time they were enacted. So also where a statute, or a portion thereof, is amended by setting forth the amended section in full, the provisions of the original statute, that are repeated are to be considered as having been the law from thetime they were first enacted, and the new provisions or the changed provisions are to be understood as enacted at the time the amended Act takes effect and not to have any retrospective operation. Proceedings instituted ,orders made, and judgements rendered, before the passage of amendment will therefore not be affected by it, but will continue to be governed by the original statute. However, in accordance with the rule applicable to statutes generally, amendments which are purely remedial operate retrospectively, and those which merely cause changed in the adjective or procedural law apply to all cases pending and subsequent to their enactment, whether the cause accrued prior to or subsequent to the time the change become effective unless there is a saving clause as to existing litigation, or accrued causes of action. But amendments causing changes in the adjective or procedural law will not operate retrospectively so as to affect a proceedings entirely closed before the amendment became effective."

श्री अध्यक्ष—

अब आप खत्म करें, यह काफी पढ़ दिया आपने।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह पृष्ठ ४४४ तक है, मैं आगे पढ़ता नहीं हूं, आप देख लें इसको।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कि कोई प्रोसिडिंग्स इन प्रासेज से हों और तब कोई संशोधन होता है तो उसका एफेक्ट रीट्रास्पेक्टिव होता है। हम इस सदन के मेम्बर हैं, इस बीच अगर कोई संशोधन आता है तो उसका कन्टीनुअस एफेक्ट होगा और उसका असर रीस्ट्रास्पेक्टिव होगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमको संशोधित फार्म पर शपथ ग्रहण करना चाहिये और उसके बाद ही सदन की कार्यवाही चलाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री नारायणदास, सदस्य लोक सभा, जो शायद दरभंगा के हैं, उन्होंने पृष्ठ २० (पार्लियामेन्टरी प्रोसीडिंग्स आन दि कान्सटीट्यूशन सिक्सटीन्ट अमेन्डमेंट बिल) पर यह कहा है—

"....We are now going to make provisions of taking oath and making affirmations with regard to the members of the various Legislatures, Members of Parliament, certain incumbentes of the Government, Ministers and High

[श्री अध्यक्ष]

Court and Supreme Court Judges. But, I would like to make one suggestion in this connection that the Joint Committee should also consider making provisions for the application of this amended form of oath and affirmation to the existing members of the Legislatures, both at the Centre and in the Several States....."

तो नारायण दास जी ने वहां पर भी स्पष्ट रूप से यह प्रश्न रखा है। मैं चाहता हूं कि जहां हम मिनिस्टर्स के लिये यह कर रहे हैं कि वे नये फार्म के प्रपत्र पर शपथ लें, उचित यह होगा कि लोक सभा तथा विधान सभाओं के सदस्य भी, जो वर्त्तमान सदस्य हैं, वे सब भी इसी प्रकार की शपथ लें। अगर आप मेरा मत जानना चाहते हैं तो मेरा मत यह है। मैं माननीय शरणजी के विचारों से सहमत हूं और यह ठीक भी नहीं लगता कि कुछ ने तो एक प्रकार की ओथ ली हो तथा कुछ ने दूसरे प्रकार की ओथ ली हो। यह एक कंट्रेडिक्शन मालूम होता है लेकिन चूंकि लोक सभा में यह प्रश्न रखा गया, वहां यह प्रश्न एक ज्वाइंट कमेटी के समक्ष था। जिस समय यह बहस हुई उस समय भी इस पर विचार किया गया होगा और उन्होंने चूंकि इसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं दिया है, इस वजह से हम विवश हैं कि हम इस सुझाव को नहीं मान सकते, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा कि कुछ पत्रों ने भी कहा और आप लोग भी कह रहे हैं हमें दूसरी शपथ लेनी चाहिये थी, यद्यपि, कानून की दृष्टि से ठीक होते हुये भी, आवश्यक नहीं है। किन्तु आपत्ति को मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्यों नहीं आवश्यक है, मुझे २ मिनट में कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर निर्णय मेरा हो चुका है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यदि आप मुझे सुन लेते तो मैं आपकी ताईद करता और मैं, आप देखते कि आपके निर्णय पर जो कहता उससे आपके निर्णय को दाद मिलती।

श्री अध्यक्ष--

यह तो मुझे बिलकुल मालूम है कि आप मेरा समर्थन करते हैं इसकी मुझे खुशी है।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, क्या आप मुझे पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरीज के ऊपर भी सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आज नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

कल सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं यह निवेदन कर दूं कि मैं क्यों जल्दी में हूं। सायंकाल को भी हम २ या ढाई घंटे बैठेंगे और विषयों के संबंध में। उसके पहले और जो दूसरे काम हैं, वह समाप्त हो जायं

जल्द। इसलिये मैं जल्दी कर रहा हूं। वरना आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और सुनवाई न हो तो परिश्रम से क्या फायदा होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

तो कल सुन लीजियेगा ?

श्री अध्यक्ष--

कल नहीं। कल भी इसी तरह से है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

तो फिर कब आप सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं जरूर सुनूंगा।

दीपनारायण सिंह जी, आपने जो नियम ५३ का भेजा है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि आप मुझसे मिल लें।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय-निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष--

"मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी १६ अक्तूबर, १६६३ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित संकल्प एवं विधेयकों पर विचार तथा उनके पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण--२१ अक्तूबर, १६६३ को आधा घंटा।

(२) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १६६३, के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १६६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण--२१ अक्तूबर, १६६३ को सायंकाल ५।। बजे तक तथा २२ अक्तूबर, १६६३ को सायंकाल ५।। बजे तक।

(३) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १६६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश बिधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १६६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण--२६ अक्तूबर, १६६३।"

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, इसमें २८ तारीख का कार्यक्रम नहीं है, क्या उस दिन छुट्टी है ?

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा-समिति को यह मालूम हुआ कि २७ को दशहरा है और माननीय सदस्यों का ऐसा खयाल है कि अगर २७ को दशहरा हुआ तो वे २८ को नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिये २८ का प्रोग्राम नहीं रखा गया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

हम इसका विरोध करते हैं, कार्यमंत्रणा-समिति में सोशलिस्ट पार्टी का कोई सदस्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बाद को करियेगा।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा-समिति के निम्नलिखित निर्णय से सहमत है :—

(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण—२१ अक्तूबर, १९६३, को आधा घंटा।

(२) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण—२१ अक्तूबर, १९६३, को सायंकाल ५।। बजे तक तथा २२ अक्तूबर, १९६३ को सांयकाल ५।। बजे तक।

(३) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण—२९ अक्तूबर, १९६३।"

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ा है, मैं उस सबका विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति में सोशलिस्ट पार्टी का कोई माननीय सदस्य नहीं है। जिन महत्वपूर्ण विषयों के लिये कम से कम एक-एक दिन होना चाहिये था उनके लिये आधा-आधा दिन रखा गया है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इसको फिर समिति को वापस कर दिया जाय और पुनर्विचार करके वह प्रोग्राम बनाये और तब फिर यह सदन के सामने विचारार्थ आये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

यह जो बिल हमारे सामने कार्यक्रम में रखे गये हैं वे २३ की बैठक के अनुसार ही हैं। उसमें नम्बर ३ पर जो संसद द्वारा पारित कान्स्टीट्यूशन फिफ्टीन्थ अमेंडमेंट बिल, १९६३ के अनुसमर्थन, विचार और पारण करने के बारे में कोई संकल्प नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसके विषय में क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो हमें मालूम नहीं है। उसके बारे में बाद में पूछ लीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

संकल्प

श्री अध्यक्ष---

इस समय तो हमारे सामने कार्य-मंत्रणा समिति वाला प्रस्ताव है। इसको हम बाद मे देखेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

कार्य-मंत्रणा समिति ने ३०-३१ का कार्यक्रम, जिस प्रकार से विधेयकों के संबंध में बताया है उस प्रकार से, नहीं बताया है। सभासचिव और आपकी तरफ से भी उसके बारे में प्रोग्राम में छपा नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि गैर-सरकारी दिवस छोड़ दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है आपने यह प्रश्न उठाया। कार्य-मंत्रणा समिति सरकारी कार्य का समय निर्धारण करती है। ३०-३१ तो नानआफीशियल दिन हैं ही। वह कार्यमंत्रणा समिति के क्षेत्र में न होने के कारण इसमें नहीं आये। इसके संबंध में मैं घोषणा करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

नियमों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि असरकारी दिनों में या कार्यक्रम के बारे में कार्य-मंत्रणा समिति राय नहीं दे सकती है या सदन में उस पर कोई विचार नहीं हो सकता कि उसके लिये समय का बटवारा इस प्रकार हो। मैं समझता हूं नियमों में इस प्रकार की कहीं चर्चा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित संकल्प तथा विधेयकों पर विचार तथा उनके पारण के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ---

(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण--- २१ अक्तूबर, १९६३, को आधा घंटा।

(२) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण ---२१ अक्तूबर, १९६३ को सायंकाल ५।। बजे तक तथा २२ अक्तूबर, १९६३ को सायंकाल ५।। बजे तक।

(३) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ , जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है , उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण---२९ अक्तूबर, १९६३। अब यह संकल्प यदि स्वीकृत हो जाय तो माननीय राधेश्याम शर्मा का संशोधन गिर जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि जब हमारे दल के किसी माननीय सदस्य को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में बुलाया ही नहीं गया तो उसके निर्णय को हम कैसे मान लें ? हमें तो कोई भी सूचना नहीं थी ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

जब हमें कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक की कोई सूचना नहीं मिली और हमारे दल का कोई सदस्य बुलाया ही नहीं गया तो हम पर उसके निर्णय मानने की क्या बाध्यता होगी ?

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति के जो सदस्य थे उन सब को सूचना दी गयी, मालूम नहीं आपके दल के उसमें कोई सदस्य हैं या नहीं। अगर आप सदस्य नहीं हैं तो उसके लिये मजबूरी है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री राधेश्याम शर्मा--

यह तो एक जबरदस्ती है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप सदस्य नहीं थे तो आपको नहीं बुलाया गया होगा।

श्री उग्रसेन--

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक की हमें कोई सूचना नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। अगर आपको सूचना नहीं दी गयी तो यह कमरे में पूछा जायगा, यहां नहीं पूछा जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

बीच में प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वोट हो जाय तो आप कहियेगा।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी--

मैं तो केवल यही कहना चाहता था कि....

श्री अध्यक्ष--

देख लीजिये, जो उस समय मेम्बर थे, उनको सूचना दी गयी। संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य उसमें थे। बाद में उसमें कुछ परिवर्तन हो गया।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

इसका कारण तो मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

उस वक्त कुछ परिवर्तन हो गया। बाद में इनक दल के लोग उस समिति में आने के लिये तैयार नहीं थे। जब यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनी तो उसमें एक रिपब्लिकन को ले लिया गया और इनका दल रह गया। तो अब उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री उग्रसेन--

तो कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय को मानने की हमारे ऊपर बाध्यता क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

इसको तो सदन तय करता है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

यह मान जायं क्योंकि और लोग उस समिति में थे वह तो अपने निर्णय से बंधे हैं । ऐसी चीज पर अच्छा है डिवीजन न कराया जाय । मैं आपके द्वारा आग्रह उनसे करता हूं कि वह इसको मान लें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---

वह मान जायंगे, वह थोड़ी देर ही नाराज होते हैं, बाद में मान जाते हैं ।

(श्री राधेश्याम के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति के संकल्प से सहमत है । मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राधेश्याम शर्मा---

मैं निवेदन करूंगा कि आप ने संकल्प पारित कर लिया और सब मान गये लेकिन कार्य-मंत्रणा समिति में हमारा प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिये ।

श्री उग्रसेन---

हम मेहरबानी नहीं चाहते, हम अपने अधिकार चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

इसमें मेहरबानी का सवाल नहीं है, जो नियम हैं उनका पालन होगा ।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

यह एक छोटा सा विधेयक है । इसमें उन्नाव अन्तरिम जिला परिषद् के संबंध में ३१ दिसम्बर, सन् ६३ तक समय बढ़ाने की बात है । यह उन्नाव की जिला परिषद् २६-३-६३ को सुपर-सीड कर दी गई थी और यह समझा गया था कि सभी अन्तरिम जिला परिषदों की जिन्दगी ३० जून, सन् ६३ तक की है...

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर है मेरा और वह यह है कि जिस रूप में यह विधेयक लाया गया है इस सदन में, इस सदन को कोई अधिकार नहीं है कि वह इसको पारित करे । यह

---

†२६ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

इसलिये कि अगर इस विधेयक को शुरू से आखिर तक पढ़ा जाय तो यह अन्तरिम जिला परिषद् के नाम से है। आप देखें कि मूल ऐक्ट में कहीं भी कोई प्राविधान ऐसा नहीं है कि किसी अन्तरिम जिला परिषद् को आप सुपरसीड कर सकें। सरकार को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। इसके बारे में मैं आपका ध्यान जिला परिषद् जो मौजूदा है उसकी ओर दिलाऊंगा और पुराने ऐक्ट की तरफ भी मैं आप का ध्यान ले जाऊंगा.....।

श्री अध्यक्ष—

संशोधन में क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव—

उन्नाव जिले का बोर्ड था उसको अन्तरिम जिला परिषद् होने पर सुपरसीड किया गया और उस सुपरसेशन का कार्यकाल बढ़ाने के लिये यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है। अन्तरिम जिला परिषद् जो वहां का था उसको सुपरसीड किया गया था। अब प्रश्न यह है कि जब सुपरसीड करने का अधिकार ही नहीं है तो आप सुपरसीड कैसे कर सकते हैं और कैसे उसका कार्यकाल बढ़वा सकते हैं जब कि पीरियड को एक्सटेंड करने का भी अधिकार आपको नहीं है। इसके मुताल्लिक जहां तक अन्तरिम जिला परिषद् का प्रश्न है, यह ऐक्ट १९५८ में संशोधित हुआ, ६१ में हुआ ६३ में हुआ लेकिन जिस रूप में यह है उसकी धारा १ के क्लाज (३) में दिया हुआ है :

"1(3)It shall be deemed to have come in to force on the 29th day of April, 1958 and shall expire on the 31st day of December, 1962."

मैं इसलिये पढ़ रहा हूं कि इस विधेयक के अन्दर अन्तरिम जिला परिषद् का कोई कार्यकाल नहीं लिखा है कि उसका टर्म कितना होगा। इसीलिये आप देखेंगे कि इसका टर्म बराबर बढ़ाया जाता रहा है और उस समय तक बढ़ाया जायगा जब तक जिला परिषदें कायम न हो जायंगी। जिला परिषद् ऐक्ट १९६० में है कि इसका कार्यकाल ५ साल होगा। इस संबंध में धारा ८ देखें, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी खन्ड की प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती क्षेत्र समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। फिर इसी ऐक्ट की धारा २० देखें।

श्री अध्यक्ष—

इनका कहना है कि सेक्शन (१) के क्लाज (३) के अन्तर्गत बढ़ा रहे हैं समय ? क्या कह रहे हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—

मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। मेरी बात कृपया सुन लें तो स्थिति साफ हो जायगी।

"२०—इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती जिला परिषद का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।"

तो जिला परिषद् का कार्यकाल है, लेकिन अन्तरिम जिला परिषद् के लिये कोई कार्यकाल नहीं है। इसलिये इसका समय बराबर सरकार द्वारा बढ़ाया जाता रहा। जब जिला परिषद कायम हो जायगी, उसके बाद यह आप से आप निरस्त हो जायगा, यह ला है।

जहां तक सुपरसेशन का सवाल है जिला परिषद् ऐक्ट, १९६० की धारा २३२ में लिखा है : "यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद् इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अपने पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का संपादन करने में चूक करती है अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार परिषद् से स्पष्टीकरण मांगने तथा इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाने के विरुद्ध उसके द्वारा की गयी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात्

और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसी कार्यवाही वांछनीय है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा जिसमें कार्यवाही के कारण भी दिये होंगे या तो परिषद् को विघटित कर सकती है या आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये उसे अवक्रान्त कर सकती है।" इस प्रकार जिला परिषद् अधिनियम में डेफिनिट प्रावीजन दिया है कि सरकार सुपरसीड कर सकती है और उसके लिये सर्टेन कंडीशन्स हैं। जहां तक टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड का प्रश्न है उसमें भी आप देखें। म्युनिसिपल बोर्ड के लिये धारा ३० में सुपरसेशन का प्रावीजन दिया हुआ है तथा टाउन एरियाज के लिये सुपरसेशन का प्रावीजन धारा ३६ (१) में दिया हुआ है :

"If, in the opinion of the State Government a committee persistently makes default in the performance of the duties imposed on it by or under this or any other Act for the time being in force, or exceeds or abuses its powers the State Government may by an order published, with the reasons for making it, in the official *Gazette*, declare that Committee to be in default, or to have exceeded or abused its powers; and supersede it for a period not exceeding two years to be specified in the order."

तो जितने भी अधिनियम देखेंगे सब में सुपरसेशन का प्राविधान है। लेकिन जहां तक अन्तरिम जिला परिषद् का संबंध है उसके लिये कोई भी प्राविधान नहीं है। इसके बारे में श्रीमन् का ध्यान धारा ३ की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें यह दिया हुआ है कि--

"Notwithstanding anything contained in the U. P. District Boards Act, 1922, and as from the first day of May, 1958—all Distict Boards in Uttar Pradesh including the sub-district Board of Bhadoi, and all Committees of such boards constituted under the aforesaid Act shall cease to function and all members and the President of each such board and all members of each committee shall vacate and be deemed to have vacated their respective offices."

अब इसके बाद दिया गया है कि--

"In the case of each Board affected by Clause (*a*), the Collector shall take over the administration of the affairs of the Board and shall so long as the Antarim Zila Parishad is not constituted for his district under this Act exercise, perform and discharge the powers, functions and duties of the Board, the President and Committees of the Board in respect of all matters including funds, property, whether under the U. P. District Boards Act, 1922, or any other law as if the Collector were the Board, President or Committee as occasion may require."

सेक्शन ४ में यह लिखा है--

"The State Government shall with a view to facilitate the establishment of Zila Parishads for the co-ordinated administration of the affairs concerning economic and social planning and local self Government in the District and to ensure smooth transition by notification published in the official *Gazette*, constitute an Antarim Zila Parishad in each district of U. P. which shall be called by the name of the Antarim Zila Parishad of....."

श्री अध्यक्ष--

इस विधेयक की केवल क्लाज २ में है। तो क्लाज २ में तो अब यह रहा कि जो ओरिजिनल बिल था .....। दूसरी में कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् अधिनियम १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) के अन्त का पूर्ण विराम हटा दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

[श्री अध्यक्ष]

"तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी।" तो इसमें केवल यह रहा है कि जो ओरीजिनल ऐक्ट है कि २९ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित हुआ समझा जावे तथा इसकी अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी। इसका अर्थ अब यह हुआ कि यह तिथि उन्नाव जिले के संबंध में ३१-१२-६३ को समाप्त होगी। तो ओरीजिनल ऐक्ट सिर्फ इतना बदला है कि समाप्ति की तिथि को उन्नाव के संबंध में बदल रहे हैं। (श्री कमला सिंह यादव से) आपकी बहस मेरी समझ में नहीं आती कि आप सुपरसेशन को बढ़ा रहे हैं। वह सुपरसेशन को नहीं बढ़ा रहे हैं। वे केवल उस संस्था के जीवन की अवधि को बढ़ा रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

नहीं श्रीमन्, यह बात नहीं है। जरा मुझे सुन लें तो मैं साफ कहता हूं। श्रीमन्, सेक्शन ३ और ४ में दिया हुआ है कि अन्तरिम जिला परिषद् जब कायम हो जायगी तो उसके बाद उसका क्या असर होगा। जहां तक इफेक्ट का सवाल है धारा ७ में दिया हुआ है "Consequences of Constitution of Antarim Zila Parishad" तो इसके कौन्सीक्वैन्सेज क्या होंगे वह इसमें दिया हुआ है लेकिन श्रीमन्, जहां तक कन्ट्रोल का संबंध है उसकी धारा १२ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है। "control over Zila Parishad" तो कन्ट्रोल करने का एक तरीका दिया हुआ है। उसके जरिए सरकार कन्ट्रोल कर सकती है। इसमें दिया हुआ है--

"Wherever the Collector is of the opinion that any Act or resolution of the Antarim Zila Parishad is prejudicial to public interest he may make a reference to the State Government recording his reasons for such reference, "Act or resolution."

ऐक्ट आर रिजोल्यूशन ये दो चीजें इसमें मार्क करने की हैं।

The State government, after considering the reference and giving such opportunity, as it may think fit to the Antarim Zila Parishad to give its reply to the opinion of the Collector, cancel or modify the act or resolution and make such incidental or consequential orders as it may deem necessary.

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती-लाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कमलासिंह जी, जरा यह ध्यान रखियेगा कि आधा घंटा ही टाइम है जल्दी से अपनी बात समाप्त कर दीजियेगा।

*श्री कमलासिंह यादव--

प्वाइंट आफ आर्डर की चीज है, श्रीमन्। अगर पूरा न एक्सप्लेन किया जायगा तो जरा उचित नहीं होगा।

मैं अन्तरिम जिला परिषद् की धारा १२ पढ़ रहा था कि किस प्रकार सरकार अन्तरिम जिला परिषद् पर कंट्रोल करेगी। उसकी उप धारा (१) में यह दिया हुआ है कि कलेक्टर कब स्टेट गवर्नमेन्ट को रेफ्रेंस करेगा।

"Any act or resolution of the Antarim Zila Parishad prejudicial to public interest he may make reference to the State Governmn recording his reasons for such reference."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके बाद उप–धारा (२) में है:

"The State Government may, after considering the reference and giving such opportunity as it may think fit to the Antarim Zila Parishad to give its reply to the opinion of the Collector, cancel or modify the act or resolution and make such incidental or consequential orders as it may deem necessary."

उसके बाद उप–धारा (३) में है :

"Notwithstanding anything in the preceding sub-sections the Sate Government may on its own motion or otherwise, call upon the Antarim Zila Parishad to show cause why any act or resolution done or passed by it may not be cancelled or modified and after considering the reply, if any, of the Antarim Zila Parishad, cancel or modify the act or resolution and make such incidental or consequential orders as it may deem necessary."

फिर उप–धारा (४) इस प्रकार है :

"The State Government may, whenever it so thinks necessary, by order in writing issue such direction as it may consider necessary to the Antarim Zila Parishad for the purposes of its functions and duties under this Act."

अधिक से अधिक पावर स्टेट गवर्नमेंट को सब–क्लाज (५) में दी हुई है, जो इस प्रकार है:

"Whenever a reference has been made under sub-section (1) the State Governnient or the Collector and while acting under sub-section (3) the State Government may make such interim orders, including an order for the stay of execution of the resolution, as it may think necessary."

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

श्रीमन्, ये भाषण दे रहे हैं या कोई प्वाइंट आफ आर्डर पेश कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष––

आपका प्वाइंट यह है कि चूंकि अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट में यह चीज नहीं है इसलिये यह बार हो जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)––

इनका प्वाइंट यह है कि गवर्नमेन्ट को सुपरसीड करने का कोई राइट नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष––

पढ़ कर सुनाने की कोई जरूरत नहीं है आप अपनी बात कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव––

वह तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि सुपरसीड करने की जब पावर नहीं है तो उसकी लाइफ एक्सटेंड करने की पावर कैसे होगी और किस प्रकार नहीं है वह मैं पढ़ कर बता रहा था। अगर आप ऐसा करना चाहते थे तो आपको चाहिये था कि जब आप अल्पकालिक विधेयक पेश कर रहे थे उसके अन्दर आप इसको ले आये होते। उसमें भी अन्तरिम जिला परिषद् का नाम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष––

कोई संविधान की ऐसी चीज बताइये जो बार करती हो इस बिल को ।

श्री कमलासिंह यादव--

जी हां। वह यह है कि कोई भी ऐक्ट या विधेयक जो लाया गया हो उसका समय अगर बीत जाय तो उसके पहले यह प्राविधान होना चाहिये कि कौन-कौन से ऐक्शन हो सकते हैं। इसके अन्दर मैंने दिखाया कि सुपरसीड करने की पावर बिलकुल नहीं है। जहां तक उन्नाव अन्तरिम जिला परिषद् का सवाल है वह उस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता जिस रूप में करना चाहिये। अब उसकी एग्जिस्टेन्स सिर्फ सुपरसीडेड स्टेट में हैं। सुपरसीडेड स्टेज में सवाल यह उठता है कि इसको लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं? हमारा रीजनिंग यह है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को यह पावर नहीं दी गई है कि वह अन्तरिम जिला परिषद् को सुपरसीड कर सके और जब पावर नहीं है तो उसके सुपरसेशन के पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। इसलिये जो गवर्नर महोदय ने आर्डिनेंस जारी किया है वह भी अवैधानिक है। इन शब्दों के साथ मैं उसका विरोध करता हूं कि यह विधेयक हमारी सीमा के बाहर है और विधायनी परिधि के भी बाहर है। हम इसके पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा निवेदन यह है कि जहां तक संविधान में कोई रुकावट हो वह तो सही है, लेकिन ऐसी कोई रुकावट यहां पर नहीं है। आपका फरमाना केवल यह है कि अंतरिम जिला परिषद् ऐक्ट में सुपरसीड करने की कोई पावर नहीं थी इसलिये इस विधेयक की लाइफ को बढ़ाकर सुपरसेशन को बढ़ाया जायगा। इसकी वजह से आप कहते हैं कि यह रोक है। खेरसाहब वगैरा की रूलिंग भी हैं कि जब तक संविधान में कोई ऐसी चीज न हो यह नहीं मानना चाहिये कि हमें कोई अधिकार नहीं है ऐसे कानून बनाने का, इस तरह से रिट्रास्पैक्टिव अफेक्ट के अधिकार नहीं हैं यह बात भी नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि आपकी आपत्ति गलत है और यह कानून बनाया जा सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बीच में माननीय कमलासिंह जी ने आपत्ति उठाई। दरसल में सेक्शन २७१ में आप देखेंगे साफ है कि जब तक १७ सेक्शन इस्टेबलिश न हो जाय तब तक यह ऐक्ट सभी जिला परिषदों में लागू होगा और अध्यक्ष वगैरह सब अपना कार्य करेंगे और वे अन्तरिम जिला परिषद् रहेंगे। उन्नाव के केस में यह सुपरसीडेड है। इसकी बाडी को सुपरसीड किया है। वैसे इसके सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और सारा कार्य जिला मजिस्ट्रेट के मातहत कर दिया गया है। सुपरसेशन की कार्यवाही हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ३० जून, १९६३ तक प्रदेश के सारे जिला परिषदों की लाइफ बढ़ी थी और यह भी तय हो गया था ८ फरवरी, १९६३ को सदन में कि ३० जून, १९६३ तक अंतरिम जिला परिषद् रहेंगे फिर जिला परिषदों की स्थापना कर दी जायगी। आप देखेंगे कि २७ जून, १९६३ को उन्नाव तथा तीन पहाड़ी जिलों को छोड़कर प्रदेश के सारे जिलों में जिला परिषदों की स्थापना ३० जून, १९६३ से कर देने की कोशिश की गई। इस ऐक्ट का असर केवल उन्नाव जिला अन्तरिम परिषद् पर नहीं हुआ। वहां हिसाब किताब में और अधिकारियों की नियुक्ति वगैरा में काफी गड़बड़ी है, इसलिये यह सोचा गया कि इसकी लाइफ बढ़ाई जाय और जिला मजिस्ट्रेट को कुछ दिन और काम करने दिया जाय ताकि वह सारी दुर्व्यवस्था को ठीक कर दे। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने उन्नाव जिला अन्तरिम परिषद् का चुनाव करना भी तय कर दिया है और वह १५ दिसम्बर तक पूरा हो जायगा। यह एक छोटा सा विधेयक है रेग्यूलेराइज करने का कि इसकी लाइफ एक्सटेंड कर दी जाय। मैं आशा करता हूं कि सदन विचार करेगा और इसको पास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक अमेंडमेंट है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस स्टेज पर कोई अमेंडमेंट नहीं है ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३

२---उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) के अन्त का पूर्ण विराम हटा दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:---

"तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायेगी ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२,१९५८ की धारा १ का संशोधन

३---(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश १९६३ निरस्त किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २९ जून, १९६३ को प्रचलित हो गया था ।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या २,१९६३ का निरसन

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त विधेयक के खंड २ में "तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं---

"और उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी वह अवधि ३० जन, १९६४ तक जारी रहेगी ।"

श्रीमन्, यह जो विधेयक है उसके जरिये अन्तरिम जिला परिषद् की जो अवधि है वह १९६३ तक है । इसको अगर हम पढ़ें तो इससे साफ जाहिर हो जायगा कि १९६७ तक हम इसको बढ़ाने जा रहे ह । तो जब माननीय मंत्री जी कबूल कर रहे हैं कि दिसम्बर तक समाप्त कर देंगे तो क्या जरूरत है कि १९६७ तक इसकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया जाय ? श्रीमन्, यह दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६,१९६३ द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८, की अवधि ३० जून, १९६३ को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में समाप्त होने को थी, सिवाय उत्तराखंड डिवीजन के जिलों के, जिनमें यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त होगी । तो जितनी दफा है वह अगर जोड़ दी जाय "तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायेगी ।" तो इसका मतलब यह हो जायगा कि जैसे उत्तराखंड के जिले हैं वही हाल उन्नाव के साथ होगा यानी १९६७ तक कर दिया जाय । मैं सिर्फ १९६४ तक इस परिधि को बढ़ाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी का जो संशोधन ह उसके जरिये वह अवधि १९६७ तक बढ़ाना चाहते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय---

१९६३ है। मैं इसको जरा साफ कर दूं। यह तो पहले फैसला हो चुका है कि उत्तराखंड के लिए १९६७ तक रहेगा। बाकी ३० जून, १९६३ तक रहेगा, यह प्रथम संशोधन में पास किया था। अब चाहते हैं कि "तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी" इतना बढ़ा देना चाहते हैं विराम को काट कर। विराम के बीच में वह क्लाज दूसरे को माडिफाई करता है।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं उम्मीद करूं कि आप अब उसे पेश नहीं करेंगे ?

श्री कमलासिंह यादव---

आप जरा समझ लें। क्लाज ३ में दिया है कि चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, अतः २९ जून, १९६३ को एक अध्यादेश, अर्थात् उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ प्रख्यापित किया गया था जिसके द्वारा अधिनियम की अवधि उत्तराखंड डिवीजन के जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में, ३० जून, १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक के लिये बढ़ा दी गयी थी। वास्तव में अधिनियम की अवधि केवल उन्नाव जिले के सम्बन्ध में ही बढ़ाई गई क्योंकि अन्य जिलों में उक्त अधिनियम ३० जून, १९६३ से निरस्त हो गया था, जिस दिनांक को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १७ के अधीन उन जिलों में जिला परिषदें स्थापित कर दी गई थीं। तो इस तरीके पर श्रीमन्, यह १९६७ तक हो जाता है क्योंकि विवरण में यह दिया है कि २९ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित हुआ समझा जायगा तथा इसकी अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी सिवाय उत्तराखंड डिवीजन के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त हो जायगी, इसमें अगर यह जोड़ दिया जाता है कि "तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी" तो इसका मतलब यह है कि उन्नाव जिले में भी आप इसको ३१ दिसम्बर, १९६७ तक लागू रखेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

इसमें तो साफ लिखा है कि यह २९ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित हुआ समझा जायगा तथा इसकी अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी, सिवाय उत्तराखंड डिवीजन के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त कर हो जायगी और इसके बाद यह और हो जायगा कि तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगी। तो इसमें कौन क्लाज आप लगाते हैं जिससे कि इसकी अवधि ३१ सितम्बर, १९६७ तक हो जायगी। वह तो ऊपर से कट जायगा और यही रहेगा कि तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी का इन्टरप्रिटेशन सही है और १९६३ तक ही उन्नाव के लिए हो रहा है।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं तो कह रहा हूं कि सन् १९६३ तक अगर कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब मैं उसे प्रेस नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिए ;

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अननुमोदनार्थ संकल्प

*श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ का अननुमोदन करता है । यह अध्यादेश जो राज्यपाल महोदय द्वारा जारी हुआ है, मैं चाहता हूं कि यह आदरणीय सदन इसका अननुमोदन करे और इससे संबंधित जो विधेयक पास होने वाला है इसको पारित न किया जाय । ऐसा मालूम होता है कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार आर्डिनेन्स की सरकार बन गई है । जो भी कोई काम इस सरकार को अपने दल के हित में करना होता है तो उसको आर्डिनेंस के जरिये से करती है और बराबर ऐसा करती चली आ रही है । जब से यह सत्र चल रहा है इसमें बद्रीनाथ मंदिर, अंतरिम जिला परिषद् और क्षेत्रीय समिति तथा जिला परिषद् के लिये आर्डिनेंस जारी करके विधेयक लाये जा रहे हैं । अब इस आर्डिनेंस को भी विधेयक के रूप में पास कर रहे हैं । अगर इसी तरह सरकार का रवैया रहा तो उत्तर प्रदेश के जनतंत्र की हत्या होगी । आर्डिनेंस जनतंत्र में किस तरह से और किन हालात में जारी किया जाय आपके द्वारा मैं इस सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्डिनेंस की गवर्नर महोदय को जो सुविधा दी गई है वह विशेष परिस्थिति के लिये दी गई है । कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाय कि जिस वक्त सेशन न चल रहा हो और दोनों सदन बन्द हों और उस समय राज्यपाल महोदय या सरकार यह महसूस करती हो कि किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

आर्डिनेंस के न निकालने की वजह से उत्तर प्रदेश का जनहित खत्म हो रहा है और प्रदेश में लोगों का जीवन खतरे में है और कोई हलचल उससे पैदा हो सकती है तो उस स्थिति के लिये यह है। जिस समय चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था उस परिस्थिति में इमरजेंसी का राष्ट्रपति ने एलान किया था। उस तरह की यदि परिस्थिति आ जाय कि जिसमें काम न हो सके तो उस परिस्थिति के लिये यह है। विशेष परिस्थिति के लिये है। मैं निहायत अदब से आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस पक्ष के बैठने वाले लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर बड़ी गहराई के साथ इस प्रकार का विचार करें कि इसकी क्या जरूरत थी। अन्तरिम जिला परिषद् की अवधि आप जिलों में बराबर बढ़ाते चले जाते हैं, जब से कि यह सरकार आई है। जो सरकार ने नामिनेशन किये थे उनको उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया कि यह बिलकुल गलत हैं। सरकार ने सारे उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी करके नामिनेशन कर दिये थे, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या यह तरीका सही था? यह सरकार जिलों में अपना बहुमत चाहती थी कि हर जिले के अन्दर हमारे आदमी आयें और उसका लक्ष्य यही था कि अपने आदमी जिला परिषद् के अध्यक्ष बनादे। यही केवल लक्ष्य था कि हमारे आदमी वहां का काम काज चलाते रहें। जो सत्तारूढ़ दल का मकसद था वह यही था कि सरकार के हाथ में ताकत रहे और हाथ मजबूत हों। जब सरकार ऐसा कार्य करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो सारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है वह बिलकुल सत्तारूढ़ दल को यानी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिये लगा हुआ है। सारी सरकारी मशीनरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक, सरकार की सारी मशीनरी, सत्तारूढ़ दल को मजबूत करने में लगी हुई है। अगर मैं इसकी पूर्णरूप से विवेचना करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है और इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि उत्तर प्रदेशीय सरकार की मशीनरी लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक सब इसी में लगे हैं कि सत्तारूढ़ दल को मजबूत करें। और श्रीमन्, अपनी इस बात की पुष्टि में मैं संविधान की धारा १६३ पर बसु की कमेंटरी पढ़ना चाहता हूं। उसमें है कि—

"But the Governor is not going to be a mere figure-head. If the Governor was an active and good Governor, he could, by means of getting in touch with the opponents of the party in power, reconcile them to a good number of measures and generally make the administration run smoothly."

श्रीमन्, हमारे संविधान में भी इस बात की पुष्टि की गयी है कि गवर्नर पैस्सिव एजेन्ट नहीं है। वह कठपुतली नहीं है। संविधान की खास मंशा यह है कि गवर्नर इस बात के लिये जिम्मेदार है कि राज्य में सुव्यवस्था रहे, शासन की मशीनरी ठीक से चले और उसके लिये उसे विरोधी पक्ष के लोगों से मिल कर यदा कदा इस तरह से आदेश जारी करने चाहिये। इसके साथ ही मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में जो नियम हैं, उनके अनुसार राजा की तरफ से जो घोषणा होती है इंग्लैंड में वह कब हो सकती है इसके लिये नियम हैं। वहां बड़ा जनतंत्र है और आप देखें कि वहां आर्डिनेन्सेज किन हालात में निकलते हैं, राष्ट्रीय संकट की घोषणा कैसे होती है। वहां कोई आर्डिनेंस बिना विरोधी पक्ष के लोगों की राय लिये नहीं निकलता है और वह उसी समय निकलता है जब वह जनहित में हो। सत्तारूढ़ पार्टी के फायदे के लिये आर्डिनेंस वहां नहीं निकलते। किसी भी जनतांत्रिक देश में आर्डिनेन्सेज इसलिये नहीं निकाले जाते कि सत्तारूढ़ पार्टी को मजबूत किया जाय। लेकिन यह हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा अभागा प्रदेश है, पूरे भारत में कोई और ऐसा राज्य नहीं है, मैंने बम्बई, मध्य प्रदेश, बंगाल सभी को स्टडी किया है कि जहां शुरू से लेकर आज तक इतने आर्डिनेन्सेज निकले हों। यहां सब से अधिक आर्डिनेंन्स निकाले गये हैं और ऐसा लगता है कि यहां आर्डिनेंसों की ही सरकार है। इस तरह से गवर्नर के संवैधानिक अधिकारों का हनन आये दिन यह मंत्रिमंडल करता रहता है। संविधान की धारा १६३ के अनुसार गवर्नर को पैस्सिव एजेन्ट नहीं रहना चाहिये। उसे चाहिये कि सुव्यवस्थित

शासन के लिये कि वह विरोधी पक्ष के सदस्यों से मिलता रहे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और एक के बाद दूसरे आर्डिनेंस जारी कर के हमारे मंत्रिमंडल ने और खास कर मुख्य मंत्री जी ने संविधान की अवहेलना की है और कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को कठपुतली बना दिया जाय।

इसके बाद संविधान की धारा २१३, जिसके अनुसार राज्यपाल आर्डिनेंस जारी करते हैं वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। २१३ में साफ लिख दिया गया है कि—

"(*a*) The Governor cannot make ordinance without "instructions" from the President, if—

(*a*) a bill containing the same provisions would under this Constitution have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the Legislature ;"

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

हिन्दी में बोलिये। सदन की भाषा हिन्दी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मुझे बड़ी शर्म आती है कि मुझे इन ग्रन्थों को अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा है। यह सरकार के निकम्मेपन का सबूत है कि उसने इन १५ सालों में इन ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद के लिये आज तक कुछ नहीं किया। तो मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में बहुत सफाई से लिख दिया गया है कि जिस बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति ली गयी हो, या उनकी असेंट के लिये भेजा गया हो उस बिल के सम्बन्ध में कोई आर्डिनेंस अगर सरकार निकालती है तो उस पर भी प्रेसीडेंट की असेंट उसे लेनी पड़ेगी जो राष्ट्रपति महोदय से नहीं ली गयी। इस आशय की हाई कोर्ट में भी अपील हुई थी। क्यों अध्यादेश जारी करना पड़ा, इसमें आपने लिखा है कि हाई कोर्ट का फैसला है और ऐसा लगता है कि चूंकि विधान सभा का सत्र नहीं था इसलिए न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया कि नामजदगियों का अधिकार अध्यादेश द्वारा गृहण किया जा सकता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र के अन्दर हर आदमी का जुरिस्डिक्शन बना हुआ है। सरकार अपना काम स्वयं कर सकती है। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट को कोई वरडिक्ट देने का हक नहीं है। मैं तो नम्रनिवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। यह हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्कशन के विरुद्ध है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपना ऐडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाये इस सम्बन्ध में वह डाइरेक्शन दे। हमारे माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय में इसलिए विराजमान हैं कि विधान सभा जो कानून बनाये उसकी देखरेख और सुव्यवस्था कानून की करें जिससे वह सुचारु रूप में संचालित हो सके। सरकार किस ढंग से काम करे यह देखने के लिए यह सदन है, माननीय मंत्रिगण मुख्य मंत्री और राज्यपाल हैं। इसके बाद जो रिट दाखिल हुआ हाई कोर्ट में और उस पर जो फैसला हुआ वह तो एक मैजिस्ट्रेट भी नहीं दे सकता। एक मैजिस्ट्रेट के भी परे वह फैसला है, लेकिन हुआ। जस्टिस ब्रूम का फैसला तो एक मैजिस्ट्रेट के फैसले से भी परे है। ऐसा लगता है कि मिल-जुलकर एक नाटक रच दिया गया कि हम एक फैसला देते हैं और उसके बाद एक अध्यादेश सरकार ने जारी कर दिया। आप श्रीमन् वकील हैं, आप उसे पढ़िये। उस पर एडवोकेट जनरल की राय भी मिल गयी। एक दफा हाई कोर्ट ने कह दिया कि नामिनेशन करना जिले जिले में अवैधानिक कार्य है, उसी नामिनेशन को आप वैलिडेट कर रहे हैं अध्यादेश से। यह तो तरीका बिलकुल कंटेम्प्ट आफ हाई कोर्ट है। यह तो उस फैसले का अवमान हुआ अध्यादेश जारी करके। इन सारी चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि कोई देखरेख करने वाला नहीं है। लेकिन आदरणीय सदन और उसके सदस्य सक्षम हैं और सचमुच अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि जनतंत्र की परम्परायें मजबूत हों और सरकार इस विधान सभा

[श्री काशीनाथ मिश्र]

के प्रति उत्तरदायी हो तो मैं सदन के आदरणीय सदस्यों से मांग करूंगा कि इस अध्यादेश का अननुमोदन हो और इससे संबद्ध जो विधेयक आता है उसको पास न किया जाय। अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो न उत्तर प्रदेश में न्याय रह सकता है और न जनतन्त्र चल सकता है और सरकार अध्यादेश के बल पर चलेगी। फिर ये ४३० सदस्य किस लिए हैं और अधिवेशन किस लिये होता है? यह परिस्थिति अशोभनीय है। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ३-४ करोड़ लोगों की और इस तरफ बैठने वाले विरोधी पक्ष की यह नामर्दी है कि आज इस तरह के अध्यादेश निकल रहे हैं। आज हम इतने गिरे पड़े हैं कि हम इस सरकार के इतने पापाचारी काम का भी विरोध नहीं कर पाते। इन शब्दों के साथ आपके द्वारा मैं इस सदन के आदरणीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि मैंने जो धारायें संविधान की पढ़ कर सुनायी हैं उसके मुताबिक यह असंवैधानिक है, परम्पराओं के विरुद्ध है, इसलिये मैं इसका अननुमोदन करता हूं और इस सदन को भी इसका अननुमोदन करना चाहिये।

*श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्रा जी के भाषण को मैंने सुना। उस को सुन कर मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वे भावावेश में अधिक थे, वास्तविकता की तरफ उनका ध्यान नहीं था। श्रीमन्, जिस प्रकार से भारतवर्ष की पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, यह अधिकार है कि वे कानून बना सकें, उसी प्रकार से, उसी संविधान के अनुसार, राज्यपाल तथा प्रेसीडेंट को भी यह अधिकार है कि वह आर्डिनेंस निकाल सकें। श्रीमन्, जिस प्रकार से माननीय मिश्रा जी भाषण कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि प्रेसीडेंट ने कोई इमरजेन्सी डिक्लेयर कर दी हो और असेम्बली के समस्त अधिकार छीन लिये हों और अनडेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स की स्थापना हो गयी हो। श्रीमन्, जिस आर्टिकिल २१३ का माननीय मिश्र जी ने हवाला दिया है उसमें बहुत साफ लिखा है यदि माननीय राज्यपाल महोदय को ऐसी स्थिति दिखाई पड़े जिसमें वे यह जरूरी समझें कि अमुक ऐक्शन लेना जरूरी है तो आर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। यह उनका कोई डिक्टेटोरियल राइट नहीं है, उसमें यह है कि जब कि स्टेट लेजिस्लेचर्स की सिटिंग न हो रही हो, तब वे ईशू कर सकते हैं। फिर उसके जारी करने के बाद, जब भी असेम्बली का सेशन हो, तो उसे तुरन्त उसमें रखा जाय। तो ऐसी सूरत में उनकी वह पावर डिक्टेटोरियल नहीं है। यदि राज्यपाल महोदय ने कोई अध्यादेश जारी किये, तो उसके लिये इतना भावावेश में आने की जरूरत मैं नहीं समझता।

श्रीमन्, देखना यह है कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें राज्यपाल महोदय को यह अध्यादेश जारी करना पड़ा। मई, १९६३ को जिला परिषदों के चुनाव होने थे। धारा १८ (१) और (२) के अन्तर्गत वह समाप्त हो गया, और सरकार ने धारा १९ के अन्तर्गत जिला परिषद् के अध्यक्षों के चुनाव के लिये नामिनेशन की तिथि रखी। जहां तक मुझे याद है २२ जून अध्यक्ष के नामिनेशन के लिये और ३० जून इलेक्शन के लिये तिथि घोषित की गयी थी। श्रीमन्, यदि उत्तर प्रदेश जिला परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव के लिये तिथि न रखी जाती और धारा २७२ के अन्तर्गत नामिनेशन कर दिया जाता या आर्डिनेंस के जरिये उनका नामिनेशन हो जाता तब तो मैं माननीय मिश्रा जी की बात को एप्रीशियेट करता कि यह सरकार जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव नहीं कराना चाहती, बल्कि आर्डिनेंस का सहारा लेकर अपने आदमियों को यह सरकार जिला परिषदों के सिर पर लादना चाहती है। लेकिन यह विवाद उस समय समाप्त हो जाता है जब कि हम उन फैक्ट्स का अध्ययन करते हैं जिसमें सरकार ने नोटीफिकेशन जारी किया। यह सोचा गया था कि २२ और ३० जून तक समस्त जिला परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव कराके डेमोक्रेटिक ढंग में जिला परिषद् ऐक्ट की धाराओं के मुताबिक, अध्यक्ष आसीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जावेंगे। गवर्नमेंट अपना तो ईमानदारी का काम कर सकती है लेकिन प्रदेश के लोगों को रोक नहीं सकती है कि संविधान में अपने अधिकारों को वे लागू न करें। हमारे प्रदेश के कुछ साथियों को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गलत काम हुए हैं या उनकी स्वार्थ-पूर्ति नहीं हो सकी और उन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दिये। उसके बाद एलेक्शन का प्रोसेस रोक दिया गया। यह कहा गया कि जब तक धारा १७ के अन्तर्गत जिला परिषदें एस्टैब्लिश नहीं हो जातीं, धारा १८ (१) (२) या धारा १९ में सदस्यों का या अध्यक्षों का चुनाव नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर हाई कोर्ट के आदरणीय न्यायाधीशों ने उसे स्टे भी कर दिया। अब यह एक अजीब कांस्टीट्यूशनल या लीगल फैलेसी आई चूंकि वह ऐक्ट भी उपस्थित होने वाला है और उसमें वादविवाद का कुछ ज्यादा अच्छा अवसर मिलेगा हालांकि मेरा अब भी कुछ ऐसा विचार है कि धारा १८ (१) (२) में चुनाव या कोआप्शन करना धारा १७ के नोटीफिकेशन के बिना कोई बहुत अनुचित या गलत काम नहीं था। लेकिन रिट हुए और हाई कोर्ट के फैसले हुए और सरकार ने उसके फैसले का आदर किया। २७ जून को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सारे प्रदेश में कुछ जिलों को छोड़ कर जिला परिषद् ऐक्ट ३० जून से लागू कर दिया जायगा। २७ जून के नोटीफिकेशन का केवल एक मात्र ध्येय था कि हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया गया था कि धारा १७ के नोटीफिकेशन के बिना जिला परिषद् नहीं कंस्टीट्यूट की जा सकती है, इसलिये यह नोटिफिकेशन २७ जून को कर दिया गया कि ३० जून से जिला परिषद् ऐक्ट लागू कर दिया जायगा। लेकिन जैसे ही २७ जून को नोटिफिकेशन किया गया हाई कोर्ट में लोग फिर गये हालांकि यदि गवर्नमेंट को अपने स्टेप्स पर चलने दिया गया होता तो स्थिति अनुचित नहीं होती, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट बीच में आ गई और उसकी इच्छाओं का आदर करना आवश्यक था, इसलिये अब एक दूसरी परिस्थिति पैदा हो गई कि आखिर अन्तरिम पीरियड की अध्यक्षता कौन करे और जब तक जिला परिषद् का पूर्णरूपेण चुनाव नहीं हो जाता--और वह कचहरी में रिट दाखिल करने से नहीं हो सकता था--तब तक के लिये सरकार ने २७ जून को अध्यादेश निकाला धारा २७२, जो कि रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का सेक्शन है, उसमें अन्तरिम व्यवस्था को चालू रखने के लिये जिला परिषदों के अध्यक्षों के नामिनेशन की पावर गवर्नमेंट ने सीक की और ३० जून की रात को जिला परिषदों के अध्यक्ष प्रदेश भर में नामिनेट कर दिये गये। उसके पीछे केवल यही मकसद था कि कानूनी कठिनाई का समाधान कर दिया जाय। लेकिन पुनः इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट कर दिया गया। उसमें कलकत्ता के और हिन्दुस्तान के बड़े बड़े जूरिस्ट और वकील हाई कोर्ट में वाद-विवाद किये। माननीय मिश्रा जी ने उस फैसले को पढ़ने का कष्ट नहीं किया। उस फैसले में यह बहुत स्पष्ट लिखा है कि यह अच्छा होता कि २७२ के अन्तर्गत जिला परिषद् के अध्यक्षों का नामिनेशन न हुआ होता। बल्कि आर्डिनेंस के जरिये से हो गया होता, चूंकि आर्डिनेंस एक ज्यादा अच्छा लेजिस्लेटिव प्रोसीज्योर है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि आप रोज दुहाई देते हैं कि गवर्नमेंट को आरबिट्रेरी कदम नहीं उठाने चाहिये और हाई कोर्ट के खुद के फैसले में यह इशारा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ी वैधानिक गलती नहीं की है या मालाफ इडी ऐक्शन नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा यह होता कि गवर्नर साहब के आर्डिनेंस से यह होता। तो हाई कोर्ट की इच्छा का पालन करने के लिये चूंकि असेम्बली का सेशन नहीं हो रहा था, कांउसिल का शायद हो रहा था, गवर्नर साहब ने आर्डिनेंस निकाल दिया। यह राज्यपाल महोदय का अध्यादेश, जिसे माननीय मिश्रा जी सदन से अस्वीकृत कराना चाहते हैं, केवल राज्यपाल की बुद्धि से ही नहीं आया बल्कि हाई कोर्ट के संकेत से भी आया है और प्रदेश में...

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे दूं कि माननीय एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि अगर हाई कोर्ट से रिट खारिज हो जावेंगे तो हमारी सरकार जल्द से जल्द अध्यक्षों का चुनाव करा देगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय उपसेन जी ने जो बात कही वह हमारे ध्यान में थी लेकिन सरकार की अभी ऐसी मंशा नहीं थी कि नामिनेटेड अध्यक्षों को परिषदों के ऊपर लगा रहने दे। सरकार ने जिस क्षण धारा १७ का नोटीफिकेशन किया उसी क्षण अन्तरिम जिला परिषद् के सब कानून निरस्त हो गये और इस स्थिति को सिवाय आर्डिनेंस से ठीक करने के और कोई चारा नहीं था। ये सीक्वेंसेज साफ साफ बताते हैं कि न तो सरकार की मंशा थी और न राज्यपाल की ही मंशा थी कि जिला परिषदों के अध्यक्ष बजरिये नामिनेशन किये जावें, बल्कि बजरिये चुनाव किये जावेंगे, लेकिन चूंकि उस स्टेज पर हाई कोर्ट के माध्यम से या असेम्बली और काउन्सिल के न होने से कुछ कठिनाइयां आईं और हाई कोर्ट का इशारा भी रहा, इसलिये आर्डिनेंस से वह स्थिति ठीक की गई। तो राज्यपाल महोदय ने वह आर्डिनेंस जारी कर दिया उस व्यवस्था को रेग्यूलेट करने के लिये, जो कि हमारी समझ से बिलकुल ठीक था।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो बात कही, मैं उसके प्रकरण को शुरू से उठाना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह कि सारे उत्तर प्रदेश में चुनाव २८ जून को होने वाले थे। और यह तारीख सरकार ने ही लगायी थी। समस्त विरोधी दल के उम्मीदवार और सरकारी उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। मैं आपके माध्यम से माननीय कृष्णानन्द राय जी से पूछना चाहता हूं कि दफा १७ के नोटीफिकेशन की गलती क्या हमने की थी? यह सरकार ने की थी और क्या फिर उसका प्रायश्चित हमको करना पड़ेगा? यह तो आपकी जैसी अजनतांत्रिक सरकार ही कर सकती है। हमारे जिले में दो उम्मीदवार मैदान में थे और सरकार अगर चुनाव कराती तो हमारा उम्मीदवार जीतता, लेकिन सरकार ने विरोधी दलों के उम्मीदवारों के नागरिक अधिकार को समाप्त कर दिया और अपने ही उम्मीदवार को ३० तारीख को शपथ दिला दी। शपथ के समय मैं जिलाधीश के सामने गया था और मैंने जिलाधीश से कहा था कि यह शपथ बिलकुल गलत, अजनतांत्रिक और अवैधानिक है। इस प्रकार यह सारी जिम्मेदारी इस सरकार की है। क्या यह गलती हमने की थी? विधि विभाग और सरकार को इसका खमियाजा भुगतना चाहिये, जिन्होंने इस गलती को किया था। जब २८ तारीख को वोटिंग नहीं हुई तो हम लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ। २७ तारीख के आदेश पर ३० तारीख को शपथ दिला दी लेकिन २९ तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय ने एक विज्ञप्ति और जारी की कि जिला परिषदों की मियाद ६ महीने के लिये और बढ़ाई जाती है और अन्तरिम जिला परिषद् जून की जगह दिसम्बर तक चलेगा। इसमें अलग से ४ जिलों का नाम उस समय नहीं था। इन दोनों बातों में साफ विरोधाभास हो गया। इसके बाद सरकार ने ३० तारीख को अध्यक्षों को शपथ दिला दी। अब हमारे पास चारा ही क्या था? हम लोग हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट में इसी सरकार के सेंटर के पुराने वरिष्ट मंत्री (श्री मेनन साहब) ने जो बहस की उससे सरकार को सबक लेना चाहिये। मेनन साहब ने कहा कि जो सरकार प्रजातंत्र, बालिग मताधिकार और चुनाव की पद्धति में विश्वास करती है वह कभी भी इस प्रकार से मनोनीत करके शपथ नहीं दिला सकती और इसीलिये माननीय हाई कोर्ट ने उसको अवैध ठहराया, गैर कानूनी ठहराया। उसके बाद वह दूसरा तथ्य आता है जिसके बारे में उधर से कहा गया कि हाई कोर्ट ने यह भी लिखा कि यदि सरकार को ऐसा करना ही था तो वह अध्यादेश जारी करके कर सकती थी लेकिन यह कोई अच्छी मिसाल तो है नहीं। १७ सितम्बर को हाई कोर्ट का निर्णय हो जाता है कि यह अवैध है। उसके बाद अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। क्या आप एक माह के लिये उन्हीं कलेक्टरों के केअर आफ काम नहीं करा सकते थे जिनके केअर में कार्य हो रहा था। यदि आपकी भावना गन्दी न होती तो आप इस प्रकार से उनको शपथ न दिला कर कलेक्टर्स को ही केअर टेकर बनाये रखते और आगे के एक महीने में चुनाव करा लेते। आप यह भी नहीं कह सकते थे कि वोटर्स लिस्ट तैयार नहीं थी क्योंकि वोटर तो अधिक थे नहीं। कुल ५५–५६ वोटर्स थे। वह बहाना भी आपको मिल नहीं सकता था। अतः १५–२० दिन के

लिये आप कलेक्टर्स को उनका केयर टेकर बना सकते थे। उस हालत में आप को आर्डिनेंस भी न लाना पड़ता और फिर ६ सप्ताह की बात भी न पैदा होती। यह आपको करना चाहिये था जो आपने नहीं किया।

मैं अपने जिले की बात कहता हूं, और जिलों में भी ऐसा ही हुआ होगा। जिस अध्यक्ष को एक वोट भी न मिला और न मिलने ही वाला था उन माननीय सदस्य के पर्चे अध्यक्ष पद के लिये दाखिल हुए और विरोधी पक्ष वाले सदस्यों के पर्चों को खारिज जैसा कर दिया गया। उनको यह भी नहीं बताया गया कि उनके पर्चों को क्यों खारिज किया गया, उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। एक तरफा ही सारी कार्यवाही कर डाली तो पर्चे तो उनके खारिज जैसे हो ही गये। उनके नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया और सरकारी पक्ष के लोगों को शपथ दिला दी गयी। ऐसा क्यों किया गया इसका जवाब सरकार दे। इसका मतलब तो साफ यही है कि सरकारी पक्ष के लोग चाहते हैं कि दो-तीन महीने तक हमारे गुट के अध्यक्ष बने रहेंगे। विरोधी पार्टीज के सिवा सरकार के अन्दर के विपक्षी गुट के लोगों ने भी सरकार पर यह इल्जाम लगाया कि सब जगह गुप्ता गुट के अध्यक्ष ही रखने की कोशिश की जा रही है। यह तो उनकी आपस में भी लड़ाई थी। जो सरकार सत्ता में थी उसने अपने अध्यक्षों को इसलिये नामजद कर दिया ताकि और लोग चुनाव न जीत सकें। इन दो तीन महीने के बीच में उन अध्यक्षों ने क्या-क्या काम किये हैं उनमें से एक को गिन-गिन कर मैं बतलाता हूं। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि पिछले जमाने के अध्यक्ष नें जो ३०० उम्मेदवार स्कूलों को चुन रखे थे उन सब की लिस्ट को रद्द कर दिया। यह मैं अपने जिले की बात कहता हूं जिसको मुझे पूरी जानकारी है कि सौ-सौ रुपये एक-एक से लेकर ३०० नये अध्यापकों का चुनाव हो रहा है और इस तरह से एक-एक अध्यक्ष इसमें ३० हजार रुपये बनायेगा। यह कोई गलत बात नहीं है, पूरा तथ्य मैं दे सकता हूं।

दूसरी बात यह कि हर अध्यक्ष को एक-एक जीप दी गयी है। बाढ़ और गर्की आयी तो गर्की और बाढ़ के नाम पर दौरे लगे और हुआ यह कि जिन-जिन माननीय सदस्य से वोट लेना था उनके एक-एक रिश्तेदार को उस जीप पर घुमाया गया। इस तरह से एक-एक वोटर के पास वे गये ताकि वे उनको वोट दें। इसके बाद यह हुआ कि अन्तरिम जिला परिषद् के वे मास्टर जिनसे उनको चुनाव में मदद लेनी थी उनमें से एक-एक का जिसने जहां भी चाहा उसका तबादला कर दिया गया। यह बिल्कुल ही अवैधानिक कार्यवाही हुई श्री बंशीधर जी! जब तक कलेक्टर केयर टेकर अध्यक्ष रहा तब तक इस तरह की कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि उसे तो डर था कि उसे तो कुछ ही दिन का चार्ज है, फिर दूसरे के हाथ में यह चला ही जायगा। इस तरह से जब से आर्डिनेंस द्वारा अध्यक्ष लोग बने हैं तब से उनके द्वारा बहुत ही गलत और अवैधानिक काम हुए हैं। इस तरह से तो यह भी हो सकता है कि जिस तरह से आपने जिला परिषद् के अध्यक्षों को मनोनीत किया है उसी तरह से एक दिन उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भी दखल दें और राज्यपाल महोदय से कोई कानून या आर्डिनेंस बनवा कर अपने पक्ष के लोगों को ही मीननीत करवा दें। इसलिये मेरा तो सरकार के ऊपर यह चार्ज है कि उसने अब तक जो एक प्रजातांत्रिक परम्परा रही है उसके विरुद्ध काम किया है।

जब कौंसिल में कहा गया कि दो तीन महीने तक कलेक्टर को ही केयर टेकर के रूप में क्यों नहीं रहने दिया गया तो वहां माननीय हरगोविन्दसिंह ने जवाब दिया कि हमारी सरकार जनतंत्र में विश्वास करती है और कलेक्टर तो नौकरशाही का पुर्जा है इसलिये हम तो उसे चार्ज न देकर जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर जनता के आदमी को ही चार्ज देना चाहते हैं, इसलिये यह किया। जिस कलेक्टर को आप नौकरशाही का पुर्जा कहते हैं उसने तो केयर टेकर के रूप में रहते हुए एक भी गलती इस तरह की नहीं की, फिर भी आप नहीं चाहते कि कलेक्टर के चार्ज में वह रहे। मैं तो यही चाहता हूं कि सरकार की गलती का प्रायश्चित हमें न करना पड़े।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

आपके पहले के क्लेक्टर तो कोई गलती न करे और आपके द्वारा मनोनीत अध्यक्ष इस तरह की तानाशाही करें, फिर भी आज जनत्रंत्र की बात कही जाय तो इससे ज्यादा बढ़ कर शर्म की बात और क्या हो सकती है? अगर इस तरह से आप रोज-रोज अध्यादेश लाते रहे तो इस देश में जनतंत्र नहीं चलने वाला है। मैं कोई गुस्से में बात नहीं कर रहा हूं बल्कि गम्भीरता के साथ बात कर रहा हूं कि धारा १८ का नोटिफिकेशन न करने पर समूचे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिये था यदि यह नैतिक और समाजवादी आधार की सरकार होती तो, क्योंकि उनकी गलती थी हमारी नहीं थी। यदि पूरी सरकार इस्तीफा नहीं देती तो कम से कम श्री बंशीधर पांडेय तो उसी मुहकमे के आदमी थे, उनको मिनिस्ट्री को तो अवश्य ही त्यागपत्र देना चाहिये था। आप ने अभी देखा कि इंगलैंड में भी जनतंत्र पद्धति है वहां पर जरा सी गलती पर सारा इंगलैंड हिल गया लेकिन वहां सारी अवैधानिक कार्यवाही होती है फिर भी वह अपने को जनतांत्रिक कहते हैं। ऐसी हालत में शासन से उन को अलग होना चाहिये था।

एक बात मैं और कहूंगा कि १० नवम्बर को जो चुनाव होगा, हमने अखबारों में अभी सुना है कि शायद कुछ पश्चिम के जिलों में गर्की और बाढ़ का बहाना लेकर चुनाव अभी नहीं कराये जायेंगे लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ५५-७० वोटों में गर्की और बाढ़ कैसे रास्ते में आ जायगी उसमें कोन सी दिक्कत है? दिक्कत उनको एक ही हो सकती है कि वह चाहते हैं कि एक विशेष गुट के लोग ही वहां किसी तरह से बने रहें और वहां वही अधिनायकबादी परम्परा जीवित रहे। आप यदि पश्चिमी जिलों का चुनाव टालना चाहते हैं तो आप ऐसा न करें इस से तो आप की अधिनायकवादी और अजनतांत्रिक परम्परा पर और भी डबल मोहर लग जायगी। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरह की कार्यवाही न करे और अगर करती है तो वह अपने को समाजवादी और जनतांत्रिक सरकार कहलाना छोड़ दें, इस तरह की पूंजीवादी और अधिनायकवाद चलाने वाली सरकार कभी भी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकती और नैतिक रूप से वह यहां सुशोभित नहीं हो सकती। आशा है कि मंत्री जी इस प्रकार की गलत कार्यवाही न होने देंगे।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने अभी उधर के भाइयों का वक्तव्य सुना। कुछ ऐसी गलतफहमी हो रही है कि लोग यह समझते हैं कि आर्डिनेंस जो है वह कोई अजीब सी चीज है, वह कोई नई सी चीज है और प्रजातांत्रिक सिस्टम के खिलाफ चीज है। आप देखेंगे कि जो संविधान बना है उस को उसकी २१३ धारा में यह स्पष्ट दिया गया है कि जब कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जावे जब कि असेम्बली या कौंसिल सेशन में न हो तो उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई जरूरत पड़ जाय तो राज्यपाल महोदय को यह अधिकार होगा कि वह आर्डिनेंस जारी करें। उस समय परिस्थिति यह थी—हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जो लोग नामिनेट किये गये हैं उनका डिफिकल्टीज रिमूवल ऐक्ट से काम नहीं चलता बल्कि सरकार यदि आर्डिनेंस के द्वारा इस काम को करती तो अच्छा था। थाड़ी देर के लिये हम एक निगेटिव क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, आप मान लें कि सरकार आर्डिनेंस नहीं लाती उस हालत में भला क्या होता, एक वेकुवम क्रियेट हो जाता और परिषदों का सारा काम ही ठप्प हो जाता। इस सम्बन्ध में हमें मालूम है कि केयरटेकर का कोई प्राविजन जिला परिषद् ऐक्ट में डिफिकल्टीज रिमूवल ऐक्ट में नहीं है और बहुत-सी जगहों में जिलाधीशों को बैंक से रुपया देने से इंकार भी किया, बल्कि एक आध अखबार में आया कि बैंक ने उनके चैक को आनर करने से मना कर दिया। इलेक्शन कब हों, कैसे हों, इसमें १, २ महीने लगता। तो आप क्या चाहते थे कि जिला परिषद् का सब काम बन्द रहता, टीचर्स को तनख्वाह न मिलती, सड़कें आदि न बनतीं? आवश्यकता पड़ने पर कोई नियुक्ति या ट्रांसफर्स न होते। अगर ऐसा होता तो बहुत ही अनुचित बात होती, इसको सम्हालना जरूरी था। इसीलिये राज्यपाल जी ने इस अध्यादेश को जारी

किया और डिफीकल्टीज आफ रिमूवल ऐक्ट के अनुसार सरकार ने लोगों को पहले मनोनीत किया उसके पुष्टीकरण के लिये यह आध्यादेश जारी हुआ। हाईकोर्ट ने नामिनेशन्स के लिये तो कहा नहीं कि यह उचति है या अनुचित है, उसकी प्रोप्राइटी में कोई ऐसी बात नहीं कही। और जब तक कोई ऐसी बात हाईकोर्ट से नहीं कही गई और उसी के सपोर्ट में आर्डिनेन्स जारी किया गया तो मेरी समझ में श्री राज्यपाल ने या सरकार ने कोई बुरा नहीं किया। आर्डिनेन्स को जारी करना बहुत जरूरी था तथा प्रजातांत्रिक ढांचे के अनुसार था, विधान के अनुसार था। जब विधान के अनुसार है तब यह कहना कि सरकार का काम अप्रजातांत्रिक था, उचित नहीं है। यह दूसरी बात है कि नामिनेशन्स उचित थे या अनुचित। इस सम्बन्ध में जब संशोधन आयेगा तब विचार किया जायगा, लेकिन जहां तक आर्डिनेन्स का सवाल है इसको लीगल और समय की दृष्टि से देखा जाय तो कोई गड़बड़ नहीं है। पहले अंग्रेजों के समय में बहुत आर्डिनेन्सेज हुआ करते थे। अब हम स्वतंत्र है और विधान में इसका जिक्र भी है। आप देखेंगे जब से कांग्रेस सरकार हुई है शायद ही कभी आर्डिनेन्स का इस्तेमाल किया गया हो गोकि उसका प्राविधान संविधान में है, लेकिन कभी नहीं किया गया। यह इत्तफाक की बात थी कि ऐसी हाल पैदा हो गई थी जिससे आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा और अगर ऐसा न किया जाता तो जिला परिषद्, के सारे काम ठप्प हो जाते जो हम और आप कभी भी पसन्द नहीं करते। यही दृष्टिकोण सामने रख कर आर्डिनेन्स जारी गिया गया।

कुछ लोगों नें कहा बहुत सी जगहों पर अध्यक्षों नें अपने चुनाव के सिलसिले में कुछ ट्रांन्सफर्स आदि किये। वह दूसरी बात है। अभी तो प्रश्न केवल इतना है कि यह आध्यादेश कानून के मुताबिक है कि नहीं इसके जारी करने की आवश्यकता थी कि नहीं परिस्थितियों को देखते हुए? यदि आवश्यक था और वगैर उसके जारी किये हुए जिला परिषद् का काम नहीं हो सकता था तो उसका जारी करना बहुत जरूरी था, इसलिये जो अध्यादेश जारी किया गया वह बहुत उचित और कानून के अनुसार था।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश १९६३, का अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और जो सरकार अध्यादेश लायी है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह जो विरोध है उसके पीछे मैं तो विशेष ३ कारण यहां पर अपने भाषण में रखना चाहता हूं और मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी उनका उत्तर देंगे। पहला और सर्वप्रथम तो यह है कि अध्यादेश का विरोध प्रत्येक प्रजातंत्र में इसलिये होना चाहिये कि यह अध्यादेश वास्तव में किसी कठिनाई या किसी ऐसी अन्य बातों के कारण आया है या नहीं। परन्तु, श्रीमन्, एक गलत काम को सही बताने के लिये यह आध्यादेश आया है। सरकार नें धारा २७२ के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया यद्यपि उस आदेश को जारी करने का उन्हें अधिकार नहीं था और यह हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट भी हो गया है कि सरकार को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया कि नामांकन भी कानून के मुताबिक नहीं था। ये दो बातें उसने तय कर दीं। कोआप्शन के प्रश्न पर यद्यपि माननीय न्यायालय ने अपनी सम्मति तो दी परन्तु कोई अपना निर्णय नहीं दिया, इसलिये सरकार को कुछ छूट होगी कि जैसा वह चाहे वैसा करे। वास्तव में जो अवैधानिक कार्य सरकार द्वारा हुआ था, जिसका सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं था, जो वास्तव में लेजिस्लेचर का कार्य था वह काम इस अध्यादेश द्वारा हुआ है इस कारण उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इसका दूसरा कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तव में सरकार को चाहिये था कि उस स्थान के परगनाधीश महोदय को या जिलाधीश वगैरह की नियुक्ति कर सकती थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया, जिस प्रकार की सूची बनाई गई है उसके सम्बन्ध में श्री खरे ने अपने आर्गूमेंट में स्पष्ट कर दिया है कि कहां-कहां पर किस प्रकार नियुक्ति की गई है। कहीं पर बहुमत के आधार पर न करके कम गुट

[श्री रक्षपालसिंह]

वाले की नियुक्ति कर दी है और कहीं-कहीं पर महिला की भी नियुक्ति कर दी है। यह सारी नियुक्तियां सरकार की एक गुट विशेष के हितों को ध्यान में रख कर की गईं।

सबसे एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख कर देना भी आवश्यक होगा, एक दो स्थान को छोड़ कर कांग्रेस के टिकट पर चुने हुये आफिशियल उम्मीदवार थे और वही नियुक्त कर दिये गये थे। एक, दो महीने बाद वही आदमी चुनाव लड़ने को थे लेकिन एक विशेष आज्ञा के द्वारा उनको ओथ दिला दी गई। जिला परिषद् के अध्यक्ष को अधिकार है डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के अन्दर अध्यापकों को रखना और अन्य प्रकार के कार्य करना। अपने गुट विशेष के लोगों को रख कर सरकार यह कार्य सम्पादित करना चाहती थी।

यह भी दुर्भाग्य की बात है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा यह कार्य करवाया गया और दलगत राजनीति में उन्हें भी घसीटा गया, उन्हें भी अछूता नहीं छोड़ा गया। इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। हाईकोर्ट के द्वारा सरकार की आज्ञा निरस्त कर देने पर भी जिन लोगों को ओथ लेने पर हटा लिया गया था इस आर्डिनेन्स के जारी करने पर फिर से उनको ही नियुक्त कर दिया गया और यह आदेश इस प्रकार से हाईकोर्ट के जूरिस्डिक्शन को खत्म करने वाला, उसका कंटेम्ट करने वाला सिद्ध होता है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।

कोआप्शन की बात इसमें कही गयी है। हाईकोर्ट ने फाइंडिंग नहीं दी लेकिन कोआप्शन की बात को भी वेलिड माना गया। धारा १८ (२) के अन्तर्गत जो १८(१) में गठन के बाद जो कोआप्शन की व्यवस्था थी उसको भी बदल देना पड़ा है।

एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो बाडी ऐग्जिस्टेन्स में नहीं है उसके भी सदस्य हो जाते हैं। जब जिला परिषद् की स्थापना हुई नहीं, तो उसके सदस्य कैसे। उदाहरणार्थ जिला परिषद्, फतेहपुर ३० जून को बनी लेकिन उस से पहले हमारे यहां जो ब्लाक थे उन क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब तक जिला परिषद्, फतेहपुर जो एक स्टेट्यूटरी बाडी है और वह बाडी ३० जून के पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी तब तक उसके सदस्य होने का सवाल पैदा नहीं होता था और कोआप्शन का सवाल भी पैदा नहीं होता। सारी अवैधानिक कार्यवाही को वैधानिक रूप देने के लिये इस कानून के द्वारा व्यवस्था की गई। इस गलती से जनता को बड़ा कष्ट हुआ। जो राइवल कैंडीडेट थे उनको बड़े पैसे खर्च करने पड़े। मैं सरकार की इस अदूरदर्शिता का घोर विरोध करता हूं और मेरी राय में सरकार ने जानबूझ कर यह गलती की है।

मुझे फतेहपुर जिले का पता है कि इलेक्शन इंसपेक्टर ने चुनाव अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया था कि १७ के अन्दर नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। जिला चुनाव अधिकारी ने लिखित रूप में सरकार को लिखा लेकिन सरकार ने आदेश दिया कि कोई नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार का ध्यान क्षेत्रीय परिषद् और जिला परिषद् अधिनियम के क्लाज २७१ और २७४ की ओर ले जाना चाहता हूं। २७१ के अन्दर यह व्यवस्था है कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके सदस्य जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बने रहेंगे उस समय तक जब तक कि १८ के अन्तर्गत जिला समिति का गठन न हो जाय।

यह व्यवस्था २७१ के अन्दर है, परन्तु दुर्भाग्य है २७४ (ii) भी साथ-साथ है। यह दोनों व्यवस्थायें एक साथ नहीं चल सकतीं। अगर आपने २७४(ii) को डिलीट कर दिया होता तो यह सारी कानूनी अड़चनें दूर हो जातीं जो अभी मैंने बतायीं। परन्तु गुट विशेष का उन्हें काम करना था और जितना काम हो चुका था उसको वैध बनाना था इसलिये उसको रखा गया। जो कठिनाई थी उसको हाईकोर्ट ने रूल आउट कर दिया लेकिन उसको खयाल में न रख कर के आपने एक आर्डिनेन्स निकलवा दिया और जनसंघ के सदस्य के नाते मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश पर हुये विवाद को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। जो विवाद हो रहा है उस से यह लगता है कि सदस्यगण इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि अध्यादेश सम्बन्धी अधिकार शासन को नहीं के बराबर हैं या उसको जारी होना संविधान के प्रतिकूल है, जन कल्याण की भावनाओं के विपरीत है और वह किसी सूरत में नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी जनतांत्रिक प्रणाली में आस्था रखने वाले देश हैं, इंगलैंड आदि अन्य सभी देशों में अध्यादेश का प्राविधान है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ में ८८वें सेक्शन में अध्यादेश का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था और संविधान बनाने पर वही अधिकार राष्ट्रपति को और स्टेट के लेविल पर गवर्नर को मिले। अगर अध्यादेश से किसी भी संस्था या व्यक्ति का कोई अहित या अनिष्ट होता है तो वह कोर्ट की शरण लेता है। उच्च न्यायालय के ऐसे कई निर्णयों को देखने के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने इस आशय के विचार व्यक्त किये हैं कि अध्यादेश सम्बन्धी अधिकार शासन का इन्हेरेन्ट अधिकार है और जो भी अधिकारी चाहे वह राष्ट्रपति या गवर्नर या कोई हो वह उसको जारी करने में सक्षम है। यों तो उन्होंने यह भी कहा है कि अध्यादेश किसी भी न्यायालय में जस्टिशियोबिल मैटर नहीं है और यहां तक कह दिया है कि ऐसे तर्क या विचार व्यक्त करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि जो अधिकारी उसको जारी करता है उसको वह करने का अधिकार नहीं है या वह उसके लिये सक्षम नहीं है। उन फैसलों के निष्कर्ष का आशय मैं यह बताता हूं कि अध्यादेश जारी करने के लिये प्रेसीडेन्ट या गवर्नर ऐसेम्बली को प्रोरोग करे तब भी किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि उन्होंने मैलाफाइडी इंटेंशन्स से ऐसा किया है। उनको पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। जब दोनों सदन समन हों तो किसी भी अवसर पर वे अध्यादेश जारी करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अध्यादेश जारी करने का यह अधिकार इन्हेरेन्ट है, संविधान द्वारा अनुमोदित है और उसके सम्बन्ध में यह विवाद नहीं किया जा सकता कि गवर्नर ने किसी प्रभाववश या मैलाफाइडी भावना से इसे जारी किया है। .....

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने आर्डिनेन्स के बारे में कहा कि यह इमरजेन्सी के बराबर है। मैं निवेदन करूं कि अध्यादेश इमरजेन्सी नहीं है इमरजेन्सी काल के रूप को अध्यादेश में सम्मिलित करना उचित नहीं होगा। अध्यादेश तो केवल लेजिस्लेटिव पावर है जो कि तत्काल आवश्यकता के रूप में एग्जीक्यूटिव प्रयोग में लाती है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय सदस्य ने मेरे भाषण को न समझ कर....

श्री उपाध्यक्ष—

वह बैठ नहीं रहे हैं।

श्री बेचनराम—

अध्यादेश कोई असाधारण युद्ध काल की परिस्थिति नहीं है या ब्रेक डाउन आफ कांस्टीट्यूशनल मशीनरी हो जाय तब वह जारी हो, ऐसी बात नहीं है। अध्यादेश तो तभी जारी होता है जब कि हमारे राज्यपाल महोदय प्रशासन के हित में यह उचित समझें और लेजिस्लेशन के लिये उतना समय न हो और कार्य आवश्यक हो इसलिये अध्यादेश का प्राविधान है। वह इमर्जेंसी के प्राविधान से बिल्कुल अलग है, लिहाजा उसको इमरजेन्सी से मिलाना या तुलना करना उचित नहीं होगा।

एक बात यह कही गयी कि अध्यादेश के द्वारा सत्ताधारी दल ने अपने दल वालों को लाभ है पहुंचाया। लेकिन श्रीमन्, पूरे प्रदेश में पहले भी अन्तरिम जिला परिषद् के ३७३३ सदस्य

[श्री बेचनराम]

थे जिनमें से २६१२ कांग्रेस दल के थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर के ५० अन्तिम जिला परिषद के अध्यक्षों में से ४८ अध्यक्ष कांग्रेस दल के थे। तो बहुमत में तो हम पहले से ही थे, इसलिये यह आरोप लगाना कि सत्ताधारीदल के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये यह आर्डिनेन्स निकाला गया उचित नहीं है। इस आरोप को कुछ लोगों ने हाईकोर्ट पर भी लगाया। एक सज्जन ने कहा कि हाईकोर्ट के जजेज को मेरिट पर जाने का अधिकार नहीं है। उस संबंध में लर्नेड जज डेनिंग ने कहा था कि :

.....the constructive task of finding the intention of Parliament and he must."

जज का काम केवल एनालिसिस करने का ही नहीं है। उसका काम यह भी है कि वह देखे कि अमुक लेजिस्लेशन का इन्टेशन क्या था। इसलिये यह कहना कि उनको मेरिट में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है सही नहीं है। हाईकोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार ने अध्यक्षों को इसलिये मनोनीत किया कि वे सदस्यों को अपनी ओर मिला लेंगे जिससे कि एलेक्शन में उनकी विजय हो जायगी। इस संबंध में लर्नेड जज ने यह रिमार्क पास किया—

"This argument in terroren, would not appeal to me. It is rested on the assumption that members are men of wax or nominees are men of no scruples for which there is no solid foundation."

उनका कथन इस बात पर आधारित मालूम होता है कि मेम्बर मोम के बने हुए हैं और मनोनीत व्यक्ति ईमानदार नहीं है। लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं मालूम होता है। हमारे मनोनीत अध्यक्ष तथ्य के व्यक्ति हैं और मनोनीत सदस्य काफी शक्ति रखते हैं, स्वविवेक रखते हैं। यह बात नहीं है कि सदस्य खरीद लिये जायंगे या वे केवल नाम मात्र के लिए बने हुए हैं। इस तरह की आपत्तियां माननीय सदस्यों ने की हैं। अगर फैसलों को देखा जाय तो यह भ्रान्ति दूर हो जायगी। दूसरी बात यह है कि आर्टिकिल २१३ के अनुसार आर्डीनेंस निकालने के लिये गवर्नर महोदय अधिकृत हैं और जो यह अध्यादेश इस प्राविधान के मुताबिक बना है इसमें कोई विपरीत बात नहीं है जिससे चुनौती दी जा सके या कोई बात कही जा सके।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन मंत्री जी को यह बात सुना नहीं पा रहा हूं जिनके कार्यकाल में यह सारा कुकर्म हुआ। यह बात दूसरी है कि पहले के सिंचाई मंत्री जी जो आज यहां बैठे हुए हैं और इसका उत्तरदायित्व उनके ऊपर है, वे ही हमारी बात को कैबिनेट तक पहुंचा दें तो कृपा होगी। अब इन मंत्री जी को जबाब देना है वैसे यदि वही जबाब देते तो अच्छा था। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जनतंत्र प्रणाली के विपरीत नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह जनतंत्र के विपरीत नहीं है, कानून के विपरीत नहीं है, कांस्टीटयूशन के विपरीत नहीं है, फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें राज्यपाल महोदय के द्वारा अध्यादेश निकाला गया। ऐसी कोई घटना घट गई जिसमें सिवाय अध्यादेश लागू करने के और कोई चारा नहीं रह गया हो तब तो यह बात समझ में आ सकती थी। लेकिन इस सरकार का यह वायदा था और माननीय बंशीधर जी ने बड़े जोर का लैक्चर दिया था कि ३० जून तक चुनाव करा देंगे, आपने वायदा खिलाफी सदन के सदस्यों से और जनता से की है।

(व्यवधान)

मेरे ऊपर इल्जाम है कि रिट करके रोक दिया। यह सही है कि लोग चाहते थे कि प्रजातंत्र प्रणाली सही तरीके से चले और यह संस्थायें चेरी मात्र न बनी रहें इस सरकार की। इसलिये रिट दाखिल किया गया और करेंगे अगर आपका यही रवैया रहा। आपको यह सोचना चाहिये था कि जो फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया। आपका ला डिपार्टमेन्ट सोता रहा कागजों पर।

मैं यह सोचता था कि मंत्री जी इस सदन से और इस प्रदेश की जनता से क्षमा याचना करेंगे कि सरकार ने गलती की और इस सरकार के अफसरान बिलकुल निकम्मे साबित हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार ने अपने कुकर्म छिपाने के लिये महामहिम राज्यपाल के द्वारा यह अध्यादेश जारी करवा दिया। श्रीमन्, इस सरकार में यह नैतिक बल नहीं था कि वह चुनाव के मैदान में उस समय जाती। उस समय एक माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस के उन लोगों से, जिनको अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाया हुआ था, उन्होंने अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष कलेक्टरों को बनवाया था, इन सारे अध्यक्षों से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुका थी, उस समय आपने कोशिश की कि एक गुट विशेष के लोगों को चुनवालें। मैं आपसे यह बात इसलिये कह रहा हूं कि आपको अन्दरूनी प्रजातन्त्र में भी विश्वास नहीं है।

देवरिया का ज्वलंत उदाहरण है। देवरिया के कांग्रेस के लोगों का सब से ज्यादा वोट श्री पान्डेय को मिला, लेकिन सभापति कौन नामजद हुआ? फारूख साहब नामजद हुए। क्यों किये गये? अगर प्रजातन्त्र में विश्वास था तो पान्डेय जी को रखते, उनको नहीं रखते तो उसके पहले जो अन्तरिम जिला परिषद् के चेयरमैन थे उनको नामजद कर दिया होता। अगर ऐसा कि जो पहले अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष थे उनको नामजद कर दिया गया होता तो यह बात इस हद तक नहीं जाती। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर सरकार के लोग इस बात का आश्वासन सदन को दे दें कि जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें से एक भी व्यक्ति को अगली बार कांग्रेस का टिकट नहीं दिया जायगा। लेकिन यह नहीं कर सकते यह क्या करेंगे कि ऐसे लोगों को ला कर रख देंगे जो इससे ज्यादा जाल बट्टा कर सकें अपना वोट ठीक करने में। आपने सबसे पहले प्रजा तांत्रिक प्रणाली की भ्रूण हत्या उस समय की जब कि अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट में अमेन्डमेन्ट करके सदस्यों के चुनाव में अडल्ट फ्रैंचाइज के द्वारा डाइरेक्ट चुनाव की प्रणाली को बदलकर इनडाइरेक्ट चुनाव की प्रणाली रखी। तरह तरह के प्रलोभनों से, जाल बट्टा से, पुलिस के भय से, और और तरीकों से, खास कर कांग्रेस में शामिल करवाया गया। आज कांग्रेस के कौन से जिला परिषद् में सदस्य हैं? वह हैं जो कभी भी कांग्रेस के चवन्नी के मेम्बर इसके पहले नहीं थे। अगर नैतिकता हो तो गोरखपुर जिले के संबंध में पेश कर दें कि पहले कितने चवन्नी के कांग्रेस के मेम्बर रहे हैं। कितने ही लोगों को बाद में मेम्बर बना कर अपने गुट विशेष को मजबूत करने की कोशिश की गयी। मैं यह चार्ज करता हूं इस गवर्नमेन्ट को। (व्यवधान) पार्टी और गवर्नमेन्ट दोनों बराबर हैं। एक बार और कामराज प्लान आ जाता तो कुछ बुद्धि मिलती। अब कुछ लोगों को बुद्धि मिलने लगी है। जब गवर्नमेन्ट में थे तब दूसरी बात करते थे, अब दूसरी बात करने लगे हैं।

दूसरी बात यह है कि उस वक्त असेम्बली सेशन में थी, लेकिन सरकार का इरादा पहले ही इस प्रकार का हो गया कि असेम्बली को वह प्रोरोग कराये क्योंकि असेम्बली को प्रोरोग कराये बिना अध्यादेश लाने में असमर्थ रहती। तो असेम्बली को प्रोरोग कराया और किस प्रकार, किस तरह आर्डर ईश्यू हुए, वह आपको मालूम ही है। अभी आपने देखा १६ और २३ का झगड़ा चल ही रहा था तो कुछ तो भी गैरत होनी चाहिए इस सरकार के पास कि आखिर कायदे कानून का पालन होगा या नहीं? मंत्री जी और बंशीधर पान्डेय जी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ला डिपार्टमेन्ट की हालत जरा देखिए, आपको कुर्सी से व्यवस्था हुई कि यह शपथ लेना इनका सही नहीं माना गया, और इनको फिर दोबारा शपथ-लेनी पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं यह आपका ला डिपार्टमेन्ट आपके कानूनी सलाहकार, आपके एडवोकेट जनरल, यह क्या कर रहे थे जब आपकी यह कायदे कानून को रौंदने की प्रक्रिया चल रही थी? माननीय तमेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि प्रजातंत्र के विरुद्ध अध्यादेश नहीं है और अभी उधर के माननीय कृष्णानन्द राय ने भी बड़े ढंग से अपनी बात को उसी रंग में रंगने की कोशिश की। मैं कहना चाहता हूं, आप देखें प्रजातंत्र केवल कानूनों में बांधकर आप नहीं चला सकते। उसके लिये कुछ प्रजातांत्रिक आचरण भी जरूरी होता है। प्रजातांत्रिक आचरण के

[श्री कल्पनाथसिंह]

लिये अगर सरकार के लोग उदाहरण नहीं पेश करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है। आपने फरमाया कि यह हक हासिल था आपको अध्यादेश जारी करने का, बिलकुल सही है। आपको हक हासिल था। आपको अधिकार है किसी आदमी को कत्ल कर देने का लेकिन आपको सजा पाने का भी अधिकार है। तो केवल अधिकार की ही बात करने और कर्त्तव्य की बात को अलग कर देने से प्रजातन्त्र केवल कोरी कल्पना मात्र रह जायगा। कर्त्तव्य के पहलू पर भी माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिये। मैं अपने कांग्रेस के उन भाइयों से जो प्रजातंत्र के प्रेमी हैं जिनकी दरअसल प्रजातंत्र में निष्ठा है, उनसे यह निवेदन करूंगा कि कृपया यह जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है अध्यादेश के अननुमोदन का इस प्रस्ताव का वह समर्थन करें और इस सरकार को इस प्रकार मजबूर कर दें, उसको तम्बीह दे दें, इस सरकार का सेंसर करें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती यह सरकार न करे।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने अभी तक वादविवाद चल रहा था उसमें एक बात यह कही गई कि गवर्नर को आर्डिनेन्स निकालने का पावर है तो इसके बारे में तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। वह गवर्नर महोदय सर्व शक्ति मान हैं लेकिन सवाल यह है कि वह सरकमस्टेन्सेज जिसमें कि यह आर्डिनेन्स जारी किया गया वह मैलाफाइडी था या गुड फेथ में था। अगर यह साबित हो जाय कि "मैलाफाइडी है ता सरकार के कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिये यह किया गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे आर्डिनेन्स का समर्थन नहीं होना चाहिये बल्कि अननुमोदन होना चाहिये जैसा कि काशीनाथ जी मिश्र का प्रस्ताव सदन के सामने है जहां तक सरकम्सटेसेज का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार इस सदन में बहस हो चुकी है कि सदन १६ तारीख को न बुलाकर २३ तारीख को बुलाया गया। पहले कौंसिल का सेशन बुलाया और फिर बाद को असेम्बली सेशन बुलाया। "पहले १६ तारीख के लिये तय किया गया लेकिन बाद को २३ तारीख को बुलाने की बात तय हुई। इसमें एक भेद था और वह यह था कि हाईकोर्ट के अन्दर, 'चुनाव के नामिनेदेशन के सिलसिले में एक रिट पेन्डिग थी। जब मालूम है कि एक रिट पेंडिग है और यह जानते हैं कि सरकार ने गलती की है तो उस गलती को ठीक करने के लिये यह कोशिश की गई कि अगर दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं तो यह आर्डिनेन्स नहीं निकल सकेगा। उसका नतीजा यह होगा कि सारी कार्यवाही अल्टरा वायरस होगी। बाद में यह किया गया। बाद में पंचायत राज विभाग के लोगों ने बताया कि आर्डिनेन्स निकालना पड़ेगा, इसलिये १६ तारीख से २३ तारीख को सेशन किया गया और वह गलती ठीक करने की कोशिश की गई। जहां तक इस सरकार के कामों का ताल्लुक है यहां पर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब बैठे हुये हैं। वह इस बात को जानते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में, ला डिपार्टमेंट में, छीनाझपटी हुयी। वह इस बात की दलील है कि दोनों विभाग गैर जिम्मेदार हैं और दोनो ने गैरजिम्मेदार तरीके पर काम किया है।

जिस वक्त १७ क्लाज के नोटिफिकेशन का सवाल था जिला परिषदों की स्थापना का डिक्लेरेशन पहले होना चाहिये था या नहीं, उस वक्त हमने देखा कि जब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आई तो पंचायत विभाग यह कहता है कि ला डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। ला डिपार्टमेंट कहता है कि पंचायत राज विभाग जिम्मेदार हैं। मैं नहीं समझता था कि सरकार के दोनों डिपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं है लेकिन फिर भी आपस में इस तरह से एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। इन बातों से साफ साफ जाहिर है कि सरकार ने किस तरह से यह काम किया। अभी कल्पनाथसिंह जी ने बहुत सी बातों का यहां पर जिक्र किया लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इसके अन्दर एक गन्दी पालिटिक्स थी, मैलाफाइडी थी और बैड इन्टेन्शन था कि जो गलती की है नामिनेशन करने के सिलसिले में उसको किसी तरह से ठीक किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब हमारे सामने नामिनेशन का सवाल आया तो इसके लिये यह दलील दी गई कि यह नामिनेशन इसलिये किया गया है कि तनख्वाह रुकी हुई है। जिलों का काम सब ठप्प हो गया है मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट का काम ठप्प हो गया तो इसका क्या कारण था और उसके लिये कौन जिम्मेदार है। इस तरह से साफ जाहिर है कि सरकार की इसमें जिम्मेदारी है लेकिन यह सरकार इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिये तैयार नहीं है। सरकार यह कहती है कि चूंकि जिलों का काम ठप्प है और अन्तरिम जिला परिषद् का काम ठप्प पड़ा हुआ है इसलिये जरूरी था कि नामिनेशन करें। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अगर नामिनेशन करना था तो आप ऐसे लोगों को नामिनेट करते जिनके साथी गवर्नमेंट में न होते। तब मैं समझता कि कि सरकार जो नामिनेशन कर रही है वह निष्पक्ष-रूप से कर रही है क्योंकि अगर आप ऐसे आदमियों को गद्दी पर बैठाते हैं जो भविष्य में चुनाव लड़ते हैं या जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव के लिये लड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि हम यह नहीं समझते कि वे स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं क्योंकि एक तरीके पर अपने आदमियों को हमने बैठाया है। पार्टी बाजी आपस में है जैसा कि पत्रों में कई बार निकल चुका है तो एक पार्टी यह चाहती है कि अपनी पार्टी के लोगों को प्रोत्साहन दें और उनको गद्दी पर बैठाकर जितायें। इसलिये जरूरी था कि नामिनेशन करके अपने लोगों को गद्दी पर बिठायें और इसलिये इस सरकार ने कोशिश की कि गवर्नर द्वारा आर्डिनेंस निकलवाया नामिनेशन्स के बारे में और अपने आदमियों को उस जगह बैठा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिला परिषद् की मोटर, उसका पेट्रोल आदि का इस्तेमाल उनके एलेक्शन की तैयारी के लिये हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आर्डिनेंस जिन परिस्थितियों में निकाला गया है, वे जस्टीफाइड हैं। इसके द्वारा तो उनके कुकृत्यों पर परदा डालने की कोशिश की गयी है और जो परिस्थितियां माननीय मंत्री जी ने बतलायी हैं वह उचित नहीं हैं।]

एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा नामिनेशन के बारे में। प्रजातंत्र में जहां तक संभव हो नामिनेशन नहीं होने चाहिये। वोटर्स के जरिये चुन कर लोगों को उन पदों पर आना चाहिये। इस पर काफी सदस्य कह चुके हैं और काशीनाथ जी ने बहुत काफी इस बारे में कहा है। मैं उसे दुहरा कर समय नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सरकम्स्टांसेज वाली बात सही नहीं है। वह मैलाफाइडी तरीके पर लाये गये हैं और सरकार के कुकृत्यों को छिपाने के लिये नामिनेशन्स किये गये हैं। इसके अलावा जो लोग मेजारिटी में थे उनका बहुत जगह नामिनेशन नहीं हुआ, दूसरे लोगों का हुआ है। कलेक्टर के बारे में तो कोर्ट ने कहा था कि उनको चार्ज दीजिये, लेकिन अगर आप वैसा नहीं चाहते तो कम से कम नामिनेशन करते समय आपका यह तो धर्म था ही कि ऐसे आदमी को आप नामिनेट करते कि जो आगे चुनाव न लड़ता। ऐसे नामिनेशन पर किसी को एतराज नहीं हो सकता था। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस अध्यादेश के बारे में जो काशीनाथ जी का प्रस्ताव है उसे पास किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस पवित्र उद्देश्य से इन स्वायत्त शासन संस्थाओं का निर्माण हुआ और जो अधिकार अंग्रेजी राज में उनको समर्पित किये गये थे उन अधिकारों को धीरे-धीरे यह कांग्रेसी सरकार छीनती जा रही है। आप देख सकते हैं कि उस समय इनकी क्या हालत थी और आज क्या दशा है और जो पुराने बोर्ड थे उन से भी बदतर हालत आज उनकी है। श्रीमन्, आपको यह भी जानकारी होगी कि अंग्रेजी राज में जब उनकी बड़ी दयनीय हालत हो जाती थी तो वे आर्डिनेंस का सहारा लेते थे और उसके जरिये जनता पर अपनी इच्छाओं को लाद कर उस से अपनी बात मनवाया करते थे। यह कांग्रेस सरकार जो अपने को जनता की सरकार कहती है और लोकतंत्रात्मक ढंग के समाजवाद को लाना चाहती है उसके मंत्री लोग

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

जब अपने मन के अनुकूल स्वायत्त शासन को नहीं कर पाते हैं तो आर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। १९५४ की बात है, एक हमारी पार्टी की ओर से बुलेटिन निकला था जबकि सरकार ने १९३२ का आर्डिनेंस लागू किया। बुलेटिन में था कि अंग्रेजी राज ने ५–१० साल में कितने आर्डिनेंस उत्तर प्रदेश में लागू किये और कांग्रेस सरकार कितने आर्डिनेंस लाई तो यह नतीजा निकला था कि अंग्रेजी राज्य तो केवल ५ आर्डिनेंस ५–१० साल में लाया और जिस विधेयक की व्याख्या बंशीधर पांडेय अपने ढंग से करते थे कि हमारी जिला परिषदें क्या होंगी और क्षेत्रीय समिति क्या होगी, जो व्याख्या हमको तो उबा देने वाली थी लेकिन सरकार के ऊपर अपने विचारों का प्रभाव डालने के लिये की जाती थी, उसके संबंध में यही कहना पड़ता है कि 'खोदा पहाड़ और निकला चूहा'। जो उस समय कहा उसके विपरीत अमल देखने में आया। एक महीने में, १५ दिन के अन्दर ५-५ आर्डिनेंस जारी कर दिये गये जबकि असेम्बली है। असेम्बली के मेम्बरों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है और यकायक जारी हो गये। मुजफ्फर हसन साहब, आप उनको राय दीजिये कि आर्डिनेंस किस अवस्था में लागू किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत बात-चीत हो रही है यह क्या पंचायत हो रही है?

श्री कल्पनार्थासिंह—

यह पंचायतराज की परिभाषा देख लीजिये, श्रीमन्!

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आर्डिनेंस उस वक्त लागू किया जाता है जब प्रदेश की जनता सरकार के कामों से नाराज हो या फिर विधान सभा चालू न हो या एक-दो महीने में चालू होने वाली न हो। मैं पूछना चाहता हूं मुजफ्फर हसन साहब से, राममूर्ति जी और बंशीधर जी से कि क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता आपके कामों से नाराज है? क्या वह आपको वोट देकर नहीं भेजती है? आप बता दें कि कितने दिन पहले विधान सभा बन्द हुयी थी, विधान मंडल का अधिवेशन बन्द हुआ था और कितने दिनों बाद आपने बुलाया? अंग्रेजी सरकार तो अपनी सत्ता को हथियाने के लिये आर्डिनेंस जारी करती थी और यह सरकार भी उसी के पद-चिन्हों पर चलती है। यह सरकार भी अपने ही ग्रुप के लोगों के हाथ में सत्ता जाय इसलिये आर्डिनेंस जारी करना चाहती है।

आपके पास गजट जाता है, हम लोगों के पास भी आता है, मैं २३ मई के गजट का हवाला देना चाहता था। यह एक पन्ने का असाधारण गजट है। सरकार ने जिला परिषद् में कुछ अपने सदस्यों को नामजद किया। इसमें निकला हुआ है कि कानपुर के एक हैं साहब जो इस सदन के भी सदस्य रह चुके हैं, श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी। वह विधान सभा के चुनाव में हार गये। दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं होता है, मगर हमारे सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है। और कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं करेगा कि जिस व्यक्ति पर डेढ़ लाख आदमियों ने बहुमत से विश्वास न किया हो, उसे राज्यपाल महोदय के हथियार से इस तरह से नामजद कर दिया जाय। तो हुआ क्या? इस गजट द्वारा श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी को जिला परिषद् का सदस्य चुना गया। इस सरकार को और सरकार के लोगों को यह तक नहीं मालूम कि सूर्य प्रसाद अवस्थी एक सरकारी कर्मचारी हैं। जब सरकार को बाद को यह बात मालूम हुआ तो फिर गजट प्रकाशित हुआ और यह निकाला कि राज्यपाल महोदय ने गलती से उन को नामजद कर दिया है, उसको रद्द किया जाता है। अब इससे ज्यादा बेवकूफी और जल्द-बाजी की मिसाल और क्या हो सकती है। माननीय, इस सरकार को अपनी गलतियों पर चिन्तन

करना चाहिये, मगर यह सरकार ऐसा नहीं करती और यही कारण है कि एक दो नहीं, तीन-तीन, चार-चार गलतियां रोजमर्रा यह सरकार करती है ।

हमारे यहां आजमगढ़ में एक रामवचन यादव हैं, उनको वहां की जनता ने ११ हजार वोटों से हरा दिया । इस सरकार ने उनको उसमें नामजद कर दिया । इसी तरह से एक और सज्जन हैं लतीफ साहब, वे भी हार गये थे, उनके लड़के को नामजद कर दिया । इसी तरह की एक नहीं, श्रीमन्, सैकड़ों मिसालें हैं, जो लोग हार जाते हैं उनको यह सरकार किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं लाने का प्रयास करती है । इसी हाउस में उस तरफ से कहा गया कि स्वायत्त शासन संस्थाओं में गुटबन्दी नहीं होना चाहिये, उसमें किसी पार्टी विशेष के आदमी नहीं रखे जाने चाहिये । कहा गया कि हम ऐसे लोगों को नामजद करेंगे जो किसी पार्टी विशेष के नहीं होंगे । मगर जिला परिषदों में सरकार ने अपनी ही पार्टी के आदमियों को नामजद किया । स्वायत्त शासन संस्थायें उनके लिये हैं जो भी आदमी रचनात्मक काम करें, किन्तु यहां तो हारे हुये लोगों को इसमें रखा जाता है, जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं लिया जाता ।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह कहूंगा कि सन् १९४८ में इन के चुनाव हुये थे । सन् १९४८ से आज तक करीब १५ वर्ष हो गये, चुनाव नहीं हुये और यह सरकार उनको टालती रही । कौन ऐसी सरकार होगी जो १५ साल तक स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव को टालती रहे । मैं आपसे अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विधान सभा और पार्लियामेंट के चुनाव कराना भी इस सरकार के हाथ में होता तो यह सरकार उनके चुनाव कभी न कराती और जिन्दगी भर इन कुर्सियों पर विराजमान रहती । मगर यह इस सरकार के हाथ में नहीं है । वह दिल्ली की सरकार के हाथ में है । अगर कामराज योजना एक दो बार और आ जाय तो भले ही २-१ आदमी और हट जायं । दो घंटे पहले भी मुख्य मंत्री स्तीफा देने के लिये तैयार नहीं होते । क्या कहें यह तो इतनी बड़ी कहानी है कि कही नहीं जा सकती । इस तरह की इनकी हालत है ।

इन्होंने अपनी पार्टी में वोट करा कर कुछ सदस्यों को नामजद कर दिया । वहां पर के आपरेटिव के प्रतिनिधि गांव सभाओं के प्रतिनिधि, और अच्छे अच्छे समझदार लोग थे लेकिन लाख दो लाख के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया और उनको नामजद किया जो असेम्बली के चुनाव में हार गये थे । २५ लाख की आबादी में सरकार को यही अच्छा आदमी दिखायी दिया जिसको सरकार ने अपने वोट से हरा दिया था । फिर सरकार कहती है हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है, स्वायत्त शासन संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते । क्या विश्वास करें, जरा पत्रकार लोग ही बतायें । क्या आपका व्यवहार ऐसा है कि विश्वास किया जाय । सरकारी व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, पार्टी के लिये और गुप विशेष के लिये आप कार्य करते हैं । इसीलिये हम जैसा छोटा सा कार्यकर्त्ता भी आपका विरोध करता है और आपको रास्ता बताने की चेष्टा करता है कि आप उजाले में काम करें, अंधेरे में काम न करें ।

आजमगढ़ में तो कुछ मानों में आपका ही चेयरमैन था और देवरिया में किस का था ? गोरखपुर में किसका था ? गोरखपुर में दिन के दिन अपनी पार्टीबन्दी के कारण जो वर्तमान चेयरमैन था उसको हटा कर दूसरे को चुन लिया । हरी शंकर गुप्ता के बजाय हरीशंकर शाही को चेयरमैन बना दिया गया । उससे क्या लाभ हुआ ? आपकी बेवकूफी साबित हो गयी, आपका पैर कीचड़ में फंस गया । रिट दाखिल हो गया और फिर आपको आर्डिनेंस लाना पड़ा और तिस पर भी आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात की । ऐसी अच्छाई आपको ही मुबारक रहे । इस प्रदेश के लिये उसको न लाइये तो ही अच्छा है । अगर हमारे बस की बात होती तो इस आर्डिनेंस को एक मिनट भी न चलने देते । यह बिलकुल लोकतंत्र और समाजवाद की विचारधारा पर कुठाराघात करने वाला है । इस आर्डिनेंस के द्वारा लोगों के दिलों के खिलाफ उनके ऊपर कानून लादा जा रहा है । मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

हूं और मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इसको वापस ले लें और फिर कभी इस प्रकार की चीजें पास कराने कीकोशिश न करें ।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर बहस हो रही है, उसे में दो दृष्टियों से देखता हूं । एक तो है उसूली और एक है व्यावहारिक । जहां तक उसूली दृष्टि का ताल्लुक है, आर्डिनेंस लाना कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार अपने लिये अच्छा नहीं समझती और हमारे लिये भी यह कोई खुशी की बात नहीं रह सकती । सवाल यह है कि आर्डिनेंस के अलावा व्यावहारिक रूप में क्या किया जाय ? जिस कीच में हम फंसे हैं उसमें केवल आर्डिनेंस ही एकमात्र साधन रह जाता है । इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस न लाया जाय तो हो क्या ? फिर पुराना ढांचा ही वैसे का वैसा रहता है । इसलिये मैं उसकी मुखालिफत तो नहीं करता लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और खासकर जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं उनके सामने मैं इस चीज को रखना चाहता हूं कि १५ साल से बराबर हम कोशिश कर रहे हैं कि गावों में स्वराज्य का क्या रूप हो, जिले के स्तर पर स्वराज्य का क्या रूप हो, इसका एक नक्शा और ढांचा हम तैयार करें । १५ साल के निरन्तर प्रयत्न के बाद वह ढांचा हम अभी ठीक तरीके से बना नहीं पाये हैं । यह ऐडमिनिस्ट्रेशन तो हमें ब्रिटिश शासन से ही मिला है, इसमें तो हमें अपनी कोई कलाकारी दिखलाने का मौका ही नहीं है । हमें अपनी कलाकारी दिखलाने का मौका तो सिर्फ इसी कानून के अन्तर्गत मिला है कि जिला स्तर पर डेमोक्रेटिक परम्पराओं के अन्तर्गत हम किस किस्म का ढांचा तैयार करें । लेकिन मेरा खयाल है कि कि इससे हमने कोई फायदा नहीं उठाया और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा हाथ इस बात का भी है कि कभी तो जनतंत्र के इन्टरेस्ट में, कभी पार्टी के इन्टरेस्ट में, और कभी अपने गुट के इन्टरेस्ट में इसकी प्रगति को रोक रखा गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है । इस लिये जो देर हुई उस देर लगने में ये सभी बातें थीं । यह तो कानून की बात रही, जिसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, बहरहाल यह बात सही है कि इस बात के लिये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जनों को काफी जिल्लत उठानी पड़ी है । अब जिस किस्म की जहां भी कानूनी त्रुटि रही हो, इसमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन जो भी उसके लिये जिम्मेदार रहा हो, उसकी छानबीन करके उसके ऊपर ऐक्शन होना चाहिये ।

किसी भी सरकार के लिये इस तरह से अदालतों में मजाक उड़े, जनता की नजरों में मजाक उड़े और किसी पार्टी में भी मजाक उड़े तो यह बड़े ही शर्म और अफसोस की बात है । हम सभी को अपने-अपने तरीके से इस बात का अफसोस है, इसलिये मैं कानूनी पंडितों की ही बात कहूंगा चाहे हाईकोर्ट का फैसला हो या किसी कोर्ट का फैसला हो वह तो हम सबको मान्य होता ही है, यह मैं नहीं कहता कि वे कभी गलती करते ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके फैसले मान्य होते हैं लेकिन वहां पर जो कानूनी पंडित होते हैं कभी-कभी एक साधारण टेक्निकल बातें निकाल देते हैं जिससे फैसला बदल जाता है, तो इस पर भी हमें सोच-विचार करना है । इससे बड़ी दुश्वारियां बढ़ जाती हैं । लेकिन फिर भी हमें उनके फैसले तो मान्य ही हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में हमने जुडिशियरी की सत्ता को कबूल किया है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक खास हैसियत है और उनके फैसले चाहे जो भी हों वे हमारे सर आंखों पर हैं । मेरा कहना है कि यदि पंचायत राज कानून की वजह से किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो यह हमारे लिये शर्म की बात है और इससे यकीनन डेमोक्रेसी का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है ।

आखिर में हमारे जो नये मंत्री इस विभाग के हुए हैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम सब की इससे भी बड़ी बदनामी हुई है और आगे भी होगी कि बाढ़ और गर्दी के नाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर तीन डिवीजनों के अलीगढ़, मेरठ और बिजनौर जिले में जिला परिषदों के चुनाव ९ नवम्बर को नहीं होने जा रहे हैं जबकि सारे प्रदेश में ये चुनाव हो रहे हैं। ब्लाक कमेटीज की मीटिंगस हो सकती हैं, कांग्रेस के चुनाव हो सकते हैं, तथा और दुनियां भर के काम हो सकते हैं लेकिन इन तीन जिलों में जिला परिषदों के चुनाव नहीं होंगे। यह बात बड़े ही जरखेज दिमाग से निकली हुई मालूम होती है कि इन तीन जिलों में बाढ़ के नाम पर चुनाव न कराये जायं जब कि आज वहां बाढ़ का कोई नाम भी नहीं है। बिजनौर भी उसमें है मैं नहीं कहता और चाहे इन के पीछे कोई खराब नीयत न हो लेकिन इन बातों के पीछे एक इतिहास है। इन तीनों जिलों के पीछे इस संबंध में एक इतिहास है जिन में आप फ्लड का बहाना लेकर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं जब कि आधे से ज्यादा जिलों में फ्लड से कोई वास्ता नहीं है। मैं आप से नम्रता से कहूंगा कि इस तरह की चीजों से कोई किसी की इज्जत नहीं बढ़ती, न सरकार की इज्जत बढ़ती है, न पार्टी की इज्जत बढ़ती बल्कि इस से तबियतों के छोटा होने का पता जरूर चलता है अगर ऐसा खयाल बनता तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है।]

अभी आपने नया काम सम्भाला है, हमारी आप के लिये शुभकामना है लेकिन आप की तरफ से ऐसी कोई दलील नहीं आनी चाहिये क्योंकि जो आप का फैसला है वह सरकार का फैसला है और जो सरकार का फैसला है वह कांग्रेस पार्टी का फैसला है और जो कांग्रेस पार्टी का फैसला है वह कांग्रेस नरसिम्हा का फैसला है। मैं किसी की नीयत को क्वेश्चन नहीं करता लेकिन मैं यह अदब नोटिस में लाना चाहता हूं कि किसी ने गहराई को समझने की कोशिश नहीं की और अच्छा होता कि और कोई बढ़िया दलील दी गई होती, यह दलील जो दी गई है वह कोई तुक नहीं] खाती। अच्छा हो कि यह चुनाव १० नवम्बर को या दस पांच दिन आगे पीछे करा दिये जायं, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, १५ साल की विमागी ताकत इसके पीछे है और इस एक्सपेरीमेंट को हम सब को मिलकर जल्द सफल बनाना चाहिये। यह एक नया तजुर्बा है और अपना तो यह अटूट विश्वास है कि डेमोक्रेसी को जिस ढंग से हम चला रहे हैं उस ढंग से डमोक्रेसी की रूह तो खत्म हो गई है और वह खाली एलेक्शनबाजी की चीज बनकर रह गई है। (विरोधीदल द्वारा खुशी जाहिर करने पर) ज्यादा खुश होने की बात नहीं, पेटर्न आपका भी वही है। यहां पर डमोक्रेसी के अर्थ हैं चुनाव के लड़ाने में प्रवीणता, जैसे भी हो चुनाव में सफलता हो यही यहां की डेमोक्रेसी है चाहें काम उनके बिलकुल निकम्मे हों, लेकिन अगर वह चुनाव के काम में होशियार हैं तो समझा जाता है कि फलां आदमी बड़े काबिल हैं। इसलिये हमें अभी अपने यहां डेमोक्रेसी के पेटर्न में रूह डालना है। हम सब मिलकर इस काम को कर सकते हैं और इस को सफल बना सकते हैं अच्छी डमोक्रेसी की नई ट्रेडीशन्स डाल सकते हैं, हम कम से कम सरकारी दखल, डेमोक्रेटिक बर्ताव, डेमोक्रेटिक रहन-सहन और तरीकों पर जोर दे सकते हैं। ऐसी चीज जो एक बड़े गौर व खोज के बाद, बड़े-बड़े विभाग बरसों तक लगे रहने के बाद और जनता का लाखों रुपया लगने के बाद हमारे सामने निखर कर आ रही है उसे हमें जल्द से जल्द चालू करना चाहिये। किसी तरह का ब्लैकमेलिंग अब उस में नहीं चलना चाहिये और उसको दूर करना चाहिये। हमें किसी शक के साथ इस काम को शुरू नहीं करना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी अपनी तरह के तमाम ऐसे वह कदम उठायेंगे जिस से लोगों की और हम सब की आकांक्षायें पूरी हों और लोगों के दिमाग में इन संस्थाओं और जनतंत्र में आस्था बढ़े और इस तजुर्बे को जिसे हम सफल बनाना चाहते हैं उस में हम सब का विश्वास बढ़े और वह सफल हो।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अध्यादेश पर जो अननुमोदन का प्रस्ताव उपस्थित है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना नहीं चाहता था। लेकिन, मैं ऐसा समझता हूं कि इस उत्तर प्रदेश को यदि महामहिम राज्यपाल महोदय के अध्यादेशों और आपके इस उच्च आसन के व्यवस्थाओं के भार से राहत मिली तो प्रदेश का बड़ा उपकार होता और प्रजातंत्र के लिये भी मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे अफसोस है कि ये जो सम्मानित पद हैं उनको

[श्री मैनेजरसिंह]

मर्यादा को भी कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार कायम नहीं रखने दे रही है । मैं जानता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय एक नेक पुरुष हैं लेकिन उनके दस्तखत से ऐसे अध्यादेश यहां समय-समय पर निकाले जा रहे हैं जिनके सम्बन्ध में खिलाफ राय जाहिर करने पर हम सब विवश हो जाते हैं । अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा अध्यादेश प्रजातंत्र के लिये कोई अच्छी बात नहीं है । अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इस प्रश्न पर काफी चर्चा हुई । मैं तो इतना कहना चाहता हूं जैसा गोविन्द सहाय जी ने कहा कि अंतरिम जिला परिषद् और जिला परिषद् के गठन को लेकर जो अध्यादेश निकले, जो गजट प्रकाशित हुये, इन सबके कारण इस प्रदेश की बड़ी बदनामी देश में हुई और बाहर के लोग भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई समझदार व्यक्ति रह नहीं गया । जिस प्रदेश की तरफ सारे देश का ध्यान रहता था, हर पेचीदगी को हल करने के लिये यहां के नेताओं की राय ली जाती थी आज उसकी यह दुर्दशा है कि हम अपने प्रदेश का ही काम ठीक ढंग से नहीं चला पाते । जो कुछ हुआ उसके ब्यौर में मैं नहीं जाना चाहता । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गड़बड़ घोटाला हुआ उसके लिये जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके विषय में आपने क्या किया ? हमारे न्याय मंत्री बड़े काबिल हैं । ऐसे न्याय मंत्री के कार्यकाल में इस तरह का कानूनी गड़बड़ घोटाला हुआ जिससे प्रदेश की सरकार और जनता के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची । क्या ऐसे न्याय मंत्री को निकाल बाहर नहीं किया जाना चाहिये ? कामराज योजना में ही निकालते और शाहनजफ ट्रस्ट, मुस्लिम एन्डाउमेंट ट्रस्ट में जो संशोधन किये हैं, उसका दायरा बढ़ा दिया उसके अध्यक्ष आप उनको बना देते वहां सब लेन देन का हिसाब किताब चलता । मंत्रिमंडल में रखने की क्या आवश्यकता थी जिनकी नालायकी की वजह से प्रदेश के नाम पर धब्बा लगा । ऐसे आदमी को क्यों रखा ? क्या हाई कमान्ड के दबाव से रखा ? यदि हां, तो आप में नैतिक बल नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप गलत समझते हैं उसको सरकार की गद्दी से अलग रख सकें । मैं नियोजन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी बात को मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें । यदि नियोजन विभाग का कसूर था तो उस विभाग के पदाधिकारियों को सब को सरकार से बाहर रखना चाहिये था, चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हों । हमारे सभा सचिव तो अवैतनिक हैं, हम आशा करते थे कि शायद डिप्टी मिनिस्टर होंगे, लेकिन नहीं हुये इसलिये कोई शिकायत नहीं है । इसलिये जो भी जिम्मेदार हैं उनको निकालना चाहिये था । क्या छांट छांट कर पदाधिकारी आते हैं । एक नये डेवलपमेंट कमिश्नर आये हैं जो हमारे माननीय राममूर्ति के सर पड़ गये हैं । इनके रहते हुये आपकी योजना की गाड़ी चल नहीं सकती ।

मौजूदा विकास आयुक्त के कार्य काल में विकास का कार्य जरा भी आगे नहीं बढ़ने वाला है । मैं श्री किशन चन्द साहब के बारे में चर्चा कर रहा हूं । मैं इतना कह देना चाहता हूं कि पहले के और जो मौजूदा विकास आयुक्त हैं उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती । तुलना में १००० और १ का अनुपात है । पहले वाले विकास आयुक्त अत्यन्त परिश्रमी व्यक्ति थे मैंने स्वयं उन्हें बहुत सी सेमिनारों में देखा है । वे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और लगन के साथ अपनी बात रखते थे और सब को प्रभावित भी करते थे । लेकिन जो मौजूदा विकास आयुक्त हैं उनसे आपके विकास की गाड़ी तनिक भी नहीं चलने वाली है और मंत्री महोदय को आगाह किये देता हूं कि वे उनसे होशियार रहें । जिन अधिकारियों के कारण सरकार की बदनामी होती है उनको बदलिये । आपके प्रदेश के जो एल० आर० (विधि परामर्शी) हैं ऐसे नालायक अफसर को हटाइये । जिस तरह से शपथ का मामला सामने आया था आज आपके सामने सवाल है कि गलत शपथ ले ले कर आपके मंत्रि परिषद् के १० माननीय सदस्य यहां आये और कार्य किये । उसका क्या होगा । ऐसे नालायक एल० आर०, को हटाइये, आप अपने एडवोकेट जनरल को हटाइये अपने ला डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों में बिलकुल अदला बदली कीजिये । तब काम चलेगा और तब आपकी गाड़ी चलेगी, वरना आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है । मुझे तो इन अधिकारियों की निष्ठा पर भी शक होने लगा है विशेष रूप से आपके गुटों के कारण । क्या जो गुटबाजी आपके अन्दर है उस से तो ये अधिकारी सम्बन्धित नहीं है जो ये चाहते हों कि

इस सरकार की बइज्जती हो ? इन सबसे मुझे तो इनकी नीयत पर भी शक होता है। इस सम्बन्ध में माननीय गोविन्द सहाय जी जानते होंगे कि कितने अधिकारियों की निष्ठा पर शक है। इस समय यह तो आवश्यक है कि एल० आर० और एडवोकेट जनरल को हटाया जाय शेष जो अधिकारी हैं उनके बारे में यदि हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बता देंगे तो मैं उनका एहसानमंद हूंगा।

इस प्रदेश में पंचायत राज का मखौल उड़ाया जा रहा है। इस प्रदेश में प्रजातंत्र की बदनामी की जा रही है। ऐसे कारनामें हो रहे हैं सरकार के, जिससे प्रजातंत्र से जनता ऊब जाये। जनता यह कहने लगे कि ऐसे प्रजातंत्र से हम बाज आये। कृपा करके प्रजातंत्र के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर, इस प्रदेश और देश के नाम पर कुछ ऐसे उपाय करें, ऐसी चेष्टा करें कि आगे इस प्रकार की बातें सुनने को न मिलें और अध्यादेश निकालने की नौबत न आवे। माननीय बंशीधर जी ने आश्वासन दिया है तो मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं और उनके इस आश्वासन पर जो सरकार के प्रमुख दरबारी लोग माननीय बैजनाथ सिंह वैद्य वगैरह हैं उनके वचन पर, इस आश्वासन के साथ बैठ जाता हूं कि अब इस प्रकार के आर्डिनेन्स नहीं निकलेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के भाषणों को मैंने सुना और उनके विचार तथा भावनाओं का मैं आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि हर सदस्य ने ईमानदारी के साथ अपने विचारों का इजहार इस सदन में किया और जो कमियां और खामियां हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें दो राय नहीं कि सरकार हो या विरोधी दल ही हो कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि कमियां और खामियां हैं लेकिन इस मसले पर सब एक मत हैं कि लोकल बाडीज और परिषदों के चुनाव करा दिये जायं। जो साहबान और सदस्यगण सन् ५२ इस सदन में मौजूद हैं उनको मालूम होगा कि हमारे मंत्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पंडित विचित्र नारायण शर्मा जी ने बड़ी कोशिशें की और बड़े-बड़े वायदे इस सदन में किये कि बहुत जल्दी वे लोकल बाडीज के इलेक्शन्स करा देंगे लेकिन वर्ष गुजरते-गुजरते परेशान हो गये। १ वायदा दो वायदा, तीन वायदा और चार वायदा और मैं समझता हूं कि अखिर में परेशान हो कर उन्होंने अपना इस्तीफा भी वायर कर दिया था।

अफसोस जरूर इस बात का है कि जिम्मेदारी जितनी हमारी है, उतनी ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों की है। फर्क इतना है कि गलती की गयी तो विरोधी दल की कमजोरी की वजह से वह गलती सुधर नहीं पाई। अगर विरोधी दल तगड़ा होता तो कोई कारण नहीं कि गलतियां सदन में हों और उनको दुरुस्त न किया जा सके। हम और आप इस सदन में भेजे गये हैं मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिये। गलतियां हुईं इसमें भी कोई शुबहा नहीं, कोई उनसे इंकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई उसे दबाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि वह मुल्क के साथ अन्याय करता है। जाहिर है कि विभाग की गलती है। हमारी सरकार की ओर से भी गलतियां हुई हैं। एक कानूनी गलती हो जाने के बाद दूसरी गलती हो जाती है। मैं एक सालिटरी सदस्य इस सदन में रहा हूं जिसने हमेशा सरकार को यह राय दी कि कानून बनाने के मामले में बहुत जल्दी नहीं होना चाहिये। उसको काफी समय देना चाहिये और जो एक्सपर्ट्स हैं कानूनदां उसके पास उसे भेज कर, पक्की राय उनकी ले कर तब कानून को इस सदन में पेश करना चाहिये। लोगों की राय मुख्तलिफ रहती हैं। कई विधेयक इस सदन में पेश हुये। जब गलतियां हमने बतलाईं और कहा कि यह अल्ट्राबायरस है तो कहा गया कि नहीं यह ठीक है। जब पास हो गया और हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो नतीजा क्या हुआ वह अल्ट्राबायरस डिक्लेयर हो गया। बहुत से कानून हमारे यहां के सुप्रीम कोर्ट में अल्ट्राबायरस डिक्लेयर कर दिये गये। इसके पीछे कमियां क्या हैं? हम कानून की निगाह से बनने वाले कानूनों को ठीक तरह से नहीं देखते और कानूनदां लोगों की राय लेने में हमारे यहां कमजोरियां हैं। हम चाहते हैं कि कानूनदां, बड़े-बड़े दिमाग वाले हैं चाहे सरकार को रुपया उसके लिये खर्च

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

करना पड़े, उनसे राय ले। जितने कानून हमने पास किये, रायज किये उनमें कितना सरकार का खर्च हुआ? जितने अपर हाउस और लोअर हाउस के सदस्य हैं, उनका वेतन और सफर खर्च का अगर तखमीना लगाया जाय तो पता चलेगा कि गलतियों की कितनी बड़ी कीमत हमने अदा की है।

इसलिये मैं समझता हूं कि जिन गलतियों से हमारी सरकार को जनता के सामने जवाब देने में परेशानी होती है, और इस सदन में परेशानी होती है बेहतर ह कि पहले ही उसकी व्यवस्था की जाय। मैं अधिक न कहते हुये केवल इस बात को एम्फेसिस करना चाहता हूं। राइट्स और लाइबिलिटीज का पति-पत्नी का सम्बन्ध होता है। अगर राइट्स होते हैं तो साथ-साथ लाइबिलिटीज भी जरूर उठाने पड़ते हैं। चाहे सरकार हो चाहे विरोधी दल के सदस्य अगर हम अपने राइट्स की बातें करते हैं तो लाइबिलिटीज साथ-साथ जुड़ी हुई हैं। जो राइट का इस्तेमाल करना चाहता ही और लाइबिलिटीज अदा नहीं करना चाहता वह अपनदी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता, वह उस सदन को, मुल्क को और जनता का जवाबदेह है। चाहे वह राममूर्ति जी ही क्यों न हों लेकिन अगर गलती है तो उसका जवाब देना है गोकि मैं जानता हूं वह निहायत मेहनती आदमी हैं, मुझे राममूर्ति जी से कोई चीज लेना नहीं है, मैं उनकी सिफारिश के लिये ऐसा नहीं कहता लेकिन उन्हें भी जवाब देना ही पड़ेगा। जो अपने दिमाग, अपने टैलेन्ट और अपनी मेन्टल फैकल्टीज को एक्सरसाइज नहीं करना चाहता और कूलर और हीटर की लक्जरीज को चाहता है वह मुल्क की सेवा से भागता है। जो सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकता है उसके पीछे दो ही बात हो सकती हैं कि या तो उसमें कैपेसिटी नहीं है और अगर कैपेसिटी है तो वह इन्डोलेन्ट है, लापरवाही करता है। हम यहां पर ७ करोड़ के मसलों को हल करने के लिये आये हैं और यह मुल्क के साथ ज्यादती होगी अगर हममें से एक आदमी भी अपनी जिम्मेदारी को नही तरीके से नहीं निभाता है।

मैं सही-सही बता देना चाहता हूं कि अगर किसी के दिमाग में यह गलतफहमी है कि सरकारी बेंचेज की तरफ बैठनेवाला सदस्य अधिकार नहीं रखता कि सही बात कहे तो वह गलतफहमी में है। वह अपने मुगालते को फौरन दुरुस्त कर ले। हम मुल्क के मसले पर ईमानदारी के साथ, गम्भीरतापूर्वक अपने लम्बे अनुभव के साथ न्याय करेंगे और अगर एक भी व्यक्ति यह नहीं करता है तो उसे सदन में बैठने का अधिकार नहीं है, उसको हिन्दुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है और उसको हिन्दुस्तान से बाहर जाने के लिये पासपोर्ट मिल जाना चाहिये। अगर कोई भी इन्सान ड्यूटीज से दूर भागता है तो उसको हम सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर हम सहन करते हैं तो हम वफादार नहीं हैं और हम अपने मुल्क को धोखा देते हैं और मुल्क के भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। हम सरकार की तरफ बैठने वाले सदस्य भी प्रदेश और देश की सेवा के लिये यहां आये हैं और मुझे मुआफ कीजिये अगर मैं यह कहूं कि सही बातों को हम सरकार को बदनाम करने के लिये कहते हैं जो ऐसा सोचते हैं वह गलती करते हैं। हम सरकार को बदनामी से बचाने के लिये, उसको ताकत पहुंचाने के लिये, उसकी कमजोरियों को हटाना चाहते हैं, उन कमजोरियों को हटाना चाहते हैं जिनके कारण सरकार का शिर शर्म से झुक सकता है। हम सरकार के मददगार हैं डर के कारण नहीं। मैं सन् १९५७ की असेम्बली की बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ११ भाई मेरे साथ थे। उनका क्या हाल हुआ? जो अपने कर्त्तव्य को भूल जायगा, जो मुल्क को भूल जायगा मुल्क उसको भूल जायगा और वह सदन में फिर आ नहीं सकता, ग्यारह के ग्यारह इस सदन से गायब। हमारे मतदाता बुद्धू नहीं हैं वे खूब समझते हैं। वे हमारी असेम्बली की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको मंगा कर पढ़ते हैं। अगर कोई ईमानदारी की तिजारत यहां करता है तो वह मुल्क हिन्दुस्तान में रहने के काबिल नहीं है उसको मातृभूमि के वक्षस्थल पर फूंकने के लिये कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये। अगर कोई चर्चिल का साथी अपनी गुजिश्ता जिन्दगी में रहा है तो चर्चिल अभी जिन्दा है, भेज दो उसे इंग्लैन्ड में। यह देश त्यागी और तपस्वियों का मुल्क रहा है। हमने अपनी जवानियों को

जेलों में गुजारा है। हमारे बापदादाओं ने हजारों रुपये जुरमाने के भरे हैं। इसलिये नहीं कि हम मुल्क हिन्दुस्तान की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दें। मैं कहता हूं कि लानत है मेरे ऊपर अगर मेरी किसी भी बात से मुल्क को आघात पहुंचता हो। ऐसे का तो रात में मुंह काला कर के गोमती में जल प्रवाह कर देना चाहिये। इसी में मुल्क की सेवा है। हमारे किसी कारनामे से मुल्क को आघात पहुंचता है, ऐसा विश्वास अगर हमारी भूमि से उठ जाय तो मैं समझता हूं कि यह हम देश भक्तों का सौभाग्य होगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल) —

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पिछले चार वक्ताओं के भाषण सुने। उससे मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही विचार उत्पन्न हुआ जिससे ये चार वक्ता प्रेरित हुये थे। आज हमने बड़े अच्छे-अच्छे भाषण देश सेवा के, मन्त्रियों के अपने कर्त्तव्य को पालन करने के सम्बन्ध में सुने। कुछ वक्ताओं को अपने दिल के उद्गार जाहिर करने का मौका मिला और हमारे एक वक्ता का तो आत्मघात करने का भी विचार हो गया। यह खेद का विषय है कि इस बिल के क्या दोष हैं या इसके लिये क्या युक्तियां होनी चाहिये इसकी कोई बहस सुनने में नहीं आयी। और क्या बातें होनी चाहिये और क्या नहीं होनी चाहिये और क्या गवर्नमेंट का उद्देश्य होना चाहिये, इन सब बातों से प्रस्ताव का कोई वास्ता नहीं है। सवाल यह है कि काम चलाना है और जो गलती हो गई है उसको दुरुस्त करना है। कौंसिल ने जो बिल पास किया है उसको पास करने के लिये यहां उपस्थित किया गया है। अगर्चे कोई ऐसी दलील दी जाती है कि इस बिल को पास नहीं होना चाहिये तब तो उस पर सोचा जा सकता था और हम अपनी राय दे सकते थे। लेकिन इस बिल के विरुद्ध कोई ऐसी दलील नहीं दी गई है बल्कि लोगों को अपने अपने उद्गार जाहिर करने का मौका मिला है। इसलिये मैं कुछ और न कहकर केवल इतना ही कहूंगा कि यह बिल फौरन पास होना चाहिये और हमें छोटी-छोटी बातों में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिये।

*श्री काशीनाथ मिश्र —

श्रीमन्, अभी तक जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है उनका मैं आभारी हूं और श्रीमन्, आपको भी, इस सदन के अधिकांश सदस्यों की क्या धारणा है, मालूम हो गई होगी। यहां तक कि सरकारी पक्ष के लोगों ने भी इस अध्यादेश के विरोध में भाषण दिये हैं और मैं माननीय गोविन्द सहाय जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस अध्यादेश की जितनी भी हो सकती थी भर्त्सना की और आपके द्वारा उन्होंने भी अपील की कि इसका अननुमोदन होना चाहिये।

श्रीमन्, प्रदेशीय सरकार ने जितने अध्यादेश जारी किये हैं उनमें सब से घिनौना यह अध्यादेश है और इसी बुनियाद पर कोई भी आदमी जो थोड़ा-सा भी राजकाज से सम्बन्ध रखता है, थोड़ी भी राजनीति जानता है, वह कह सकता है कि इस सरकार का लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक सत्तादल को मजबूत करने में लगा हुआ है। उधर से तर्क दिया गया है कि कोई चारा नहीं था इसलिये जारी करना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि जिलों में अधिकतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केयर टेकर की तरह काम कर रहे हैं। न्यायाधीश का फैसला हो गया है और नामीनेशन्स रद्द कर दिये गये हैं। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में गो उसका जूरिस्डिक्शन नहीं था फिर भी अपना निर्णय दिया और विधान सभा की मर्यादा घटी और प्रदेश में जो यह प्राथमिक इकाई गांव सभा और पंचायतें हैं यह जनतन्त्र की इकाई हैं और जन साधारण की दुनिया की किसी और चीज में इतनी दिलचस्पी नहीं रहती जितनी कि इसमें रहती है। अगर सरकार इस इकाई के संचालन में हिस्सा लेने लगे तो जनतन्त्र की मर्यादा कहां रह जायगी और लोगों की जनतन्त्र में कैसे आस्था रहेगी। कृष्णानन्द राय जी ने कहा है कि लोगों ने सेंटीमेंट्स से काम लिया लेकिन नैपोलियन का कहना है कि दुनिया के बड़े से बड़े काम सेंटीमेंट्स पर होते हैं जिसके भाव नहीं है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

वह दुनिया का कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है जब ये अध्यादेश जारी हुये तो माननीय राधाकृष्णन् को हमने खत लिखा कि यह अध्यादेश जारी करके उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल का ओहदा घटाया है, उनकी संवैधानिक मर्यादा को खत्म किया है, राज्यपाल को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया है। किस तरह से राज्यपाल की मर्यादा घटी वह मैं जो डाक्टर अम्बेदकर ने कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में कहा था वह बसु की कमेंटरी से पढ़ना चाहता हूं—

"As Dr. Ambedkar explained, in discussing the position of the Governor, the distinction should be borne in mind between "functions" and "duties". While the Governor shall have no functions to discharge by himself, and would have no power to override Ministry, in any particular matter, he would have the gaty to advise the ministry, not as the representative of any particular party, but of the people as a while,—with the object of securing an impartial, pure and efficient administration."

अम्बेदकर साहब ने बहुत ही सफाई से कहा है कि राज्यपाल का कोई काम शासन के सिलसिले में दलहित में नहीं होना चाहिये, सत्तारूढ़ पार्टी को अपने दल विशेष के लिये कोई काम नहीं करना चाहिये, लोकहित में काम करना चाहिये। माननीय गुप्ता जी तो विराजमान नहीं हैं। माननीय बनारसी दास जी, माननीय बंशीधर जी पांडेय अपने दिल पर हाथ रख कर बतायें कि अगर आप सचमुच विरोधी होते तो क्या कहते? किस लिये अध्यादेश जारी किया? लोगों को नामजद करके पब्लिक फंड्स का गबन करवाने के लिये माननीय हरगोविन्दसिंह जैसा आदमी कहता है कि जिलाधीश को इस लिये नहीं रखना चाहते, क्योंकि वह नौकरशाही के हैं। हम को शर्म लगती है। स्वतन्त्र हिन्दुस्तान में किसी नौकरशाही को या नौकर को स्थान दें यह अच्छा नहीं लगता है। जनतन्त्र में नौकरशाही हुआ नहीं करती, लेकिन वही पुरानी लकीर पीटते चल जा रहे हैं। विरोधी दल वाले कहें तो दूसरी बात है लेकिन जब आप कहने लगते हैं तो शर्म आती है। कलेक्टर आपके हुक्म की ताईद करता है। उसकी देख-रेख में चल रहा था। सरकार का नुमाइंदा था। क्या जरूरत पड़ी? एक ही बात हुई। गुप्ता जी ने देखा था कि माननीय सपूर्णानन्द जी के जमाने में उनका बहुमत नहीं था, लेकिन जब पावर में आ गये तो उनका बहुमत हो गया। तो उन्होंने सोचा कि हमारे आदमी हर जगह अध्यक्ष पद पर हो जायेंगे तो हमारा बहुमत जहां जिला परिषदों में नहीं है वहां हो जायगा। इस तरह से अपना बहुमत करने के लिये हर कदम उठाया। यह बड़ा घिनौना कदम है। मैं अपील करूंगा, जिनकी आप दुहाई देते हैं, रात दिन गांधी जी की बात करते हैं, श्रीमन्, आज कल गांधी जयन्ती चल रही है, कभी-कभी हम गांधी आश्रम में जाते हैं, जगह-जगह पर जो नुमायशें लगी हुई हैं उनमें जाते हैं, तो गांधी जी की याद करते हैं, यहां पर भी गांधी जी की तस्वीर लगी है, मैं उनसे अपील करूंगा कि गांधी जी की मर्यादा किस लिये थी, आज उनकी तस्वीर यहां पर क्यों टंगी है? गांधी जी की मर्यादा केवल गांधी आश्रमों में नहीं है, केवल खद्दर पहनने में नहीं है, यह जगह-जगह प्रदर्शनियां आयोजित करनें में ही नहीं है। जब आप इस विधान सभा के अन्दर बैठते हैं तो गांधी जी किस परम्परा के थे, क्या चाहते थे, विधान सभा और परिषदें कैसी बनें, जिला परिषदें और पंचायतें कैसी बनें, इनके बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, यह भी आपको याद रखना चाहिये, गांधी जी के पुजारियों से मैं कहना चाहूंगा कि जिनके नाम पर, जिनकी कमाई को आज खर्च कर रहे हो, और यहां बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हो, उनके वाक्यों को याद करो। १९३७ के हरिजन से मैं पढ़ देना चाहता हूं जोकि गांधी जी का प्रिय-पत्र था। उसमें उन्होंने लिखा था—"मैं भारत में ऐसा राज्य चाहता हूं जिसमें सरकार जनता की आकांक्षाओं का दर्पण हो, विधान सभायें, पंचायती राज, में जनता की आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व करें। सरकार द्वारा लादे हुये हर जोर जबरिया के कानून को जिसमें जनता का हित न हो, उसका प्रत्येक भारतवासी को, जमकर विरोध करना चाहिये चाहे सरकार देशी हो या परदेशी।" यह गांधी जी के अरमान थे, दूसरा एक और पढ़ना चाहता हूं—"यदि मेरा बस चला तो स्वतन्त्र भारत में एक भी कानून ऊपर से नहीं लादने दूंगा चाहे उस समय की देशी सरकार से संघर्ष ही क्यों न करना पड़े। कानून वह

हित में नहीं लोक हित में होंगे।" यह गांधी जी के अरमान हैं। मैं पूछना चाहूंगा बंशीधर जी से और बनारसीदास जी से कि गांधी जी की इन आकांक्षाओं की पूर्ति क्या राज्यपाल के इस अध्यादेश से हुई है? किस लोक हित में यह कार्य हुआ है? इन अध्यक्षों को काबिज रखकर श्रीमन्, हमारा जो मुख्य मन्त्री कोष बना हुआ है, उस कोष में से बाढ़ के नाम पर पैसा बंटवाया गया, दो-दो, चार-चार हजार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बंटा और उससे अपने लिए वोट खरीदा गया। कितना घिनौना काम किया? और दो चार सौ बांट करके बाकी अपने पाकेट में रख लिया। अध्यक्षपद निरन्तर उनका कायम रहे इसके लिये इन पैसों का दुरुपयोग हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सदन में गांधी जी की तस्वीर टंगी हुई है, उनके नाम पर मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों तो जिस अध्यादेश के चलते राज्यपाल की संवैधानिक मर्यादा घटी है, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की मर्यादा घटी है और जिस अध्यादेश के चलते इस विधान सभा की मर्यादा घटी है, पंचायती राज और जिला परिषदों की मर्यादा घटी है, उन पर सबसे बड़ा अंकुश आपका पहुंच चुका है, उस अध्यादेश को आप गिरावें और मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करें, तब इस विधान सभा की मर्यादा कायम रह सकती है, यही मेरी आपसे आखिरी अपील है।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, माननीय काशीनाथ जी का जो यह प्रस्ताव था उस पर हमारे बहुत से साथियों ने इस अध्यादेश के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय जाहिर की और अध्यादेश को अप्रजातांत्रिक, गांधी जी की फिलास्फी के विपरीत और तमाम बातें कही गईं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं गांधी जी कौन सा पंचायती राज चाहते थे? गांधी जी के रामराज की कल्पना या थी? हरिजन का माननीय काशीनाथ जी ने जिक्र किया और उसके उद्धरण पढ़े। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि गांधी जी के पंचायती राज का यही नक्शा था कि गांव की जनता की छोटी छोटी सरकारें होंगी जिसमें कि नीचे से भावनाएं चलेंगी और वह उलटे जा कर एक उलटा पिरामिड न होकर एक सीधा पिरामिड होंगी। अधिकार नीचे होगा——जनता के पंचायती राज में। गांधी जी के इस पंचायती राज की कल्पना कहां से आयी? आपने भी देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस में अभी राज्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में पिछले वर्ष जब विचार चल रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी या लोकशाही जो है वह दुनियां में सब से अच्छी चीज है, लेकिन पंचायती राज जो भारत ने एक नया इंट्राडयूस किया यह एक अतिमानववादी है। ह्यूमैनिटेरियन टच और उससे भी आगे जो होने वाला है वह पंचायती राज की व्यवस्था में है। पंचायती राज यह केवल केन्द्रीय शासन और प्रादेशिक शासनों के बीच में नहीं है, पंचायती राज जिला स्तर पर, क्षेत्र समिति के स्तर पर और उसके नीचे गांव के स्तर पर है। इन कड़ियों को मिलाकर यह पंचायती राज की कल्पना की गई है। आप देखेंगे कि हमारी इस जिला परिषद् की स्थापना में गांव पंचायतों का चुनाव हुआ। राजस्थान और आन्ध्र में पंचायती राज की स्कीम लागू की गई। जब वहां पर कायम हुई तो भले ही वह किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में रही हो, लेकिन इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि पंचायती राज की गंगा बह चली और बीच में अब उसको पर्वत भी नहीं रोक सकता है। वह जनता का राज है। आज पंचायती राज का मतलब जनता का राज है और जन प्रतिनिधियों का राज है। जनता के सारे आदमियों को मिलाकर यह पंचायती राज बना है तो उसमें कलेक्टर या कमिश्नर किस प्रकार से बैठाया जा सकता है? जिला परिषद् का अध्यक्ष भी एक मेम्बर ही होता है और उसका मेम्बर वही हो सकता है जो आफिस आफ प्रफिट में न आये। आप उसको धारा पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ऐसे आदमियों को नामिनेट नहीं किया जायगा। आप दुहाई देते हैं कि आनरेबिल हाई कोर्ट ने उस नामिनेशन को अल्टरा वायरेस कर दिया और रद्द कर दिया। मेरे सामने वह फैसला है जो हाई कोर्ट ने दिया है। जो वहां के माननीय न्यायाधीश थे वह सब इस राय पर थे और एक मत के थे कि १७ को १९ के बाद आना चाहिये। जब सारी बाड़ी

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

कारपोरेट हो जाय तब बाद में क्लाज १७ शामिल होगी। सारी व्यवस्था जब ऐक्ट के अनुसार १८ जुलाई, १९६२ को लागू हो गई तो जितनी अन्तरिम जिला परिषदों के मेम्बर थे और काम करने वाले थे वे सब परिषद् के रूप में काम करने लगे, लेकिन एक डेट रखी गई यानी सरकार एक तिथि निर्धारित करेगी और उस दिन से जिले में जिला परिषद् की स्थापना होगी। आप कह सकते हैं कि सरकार का मन्शा नहीं था और यह सेल्फ क्रियेटेड क्राइसिस है सरकार की, लेकिन आप जानते हैं कि अप्रैल से चुनाव के लिये नक्शा बनाने की जिम्मेवारी उन्होंने ली और तैयारी की ताकि नामिनेशन हो जाय और उसके बाद जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव हो जाय। माननीय सदस्य कहते हैं कि ला डिपार्टमेंट की गलती थी और पंचायती राज विभाग की गलती थी, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय न्यायाधीशों के सामने जब यह मामला था तो उनकी भी दो रायें थीं और इस मामले पर एकमत नहीं थे। उन्होंने एग्री किया है। उनकी भी यही राय थी कि सेक्शन १७ यहां पर किसी स्टेज पर लागू नहीं होता। सेक्शन २२ कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट तैयारी करेगी तो सरकार ने तैयारी की थी कि २८ जून तक अध्यक्षों के चुनाव हो जायं। साधारण चुनाव होने के बाद जिला परिषदों की स्थापना की जाय। ८ फरवरी को क्लीयर सरकार की तरफ से आश्वासन इस हाउस को दिया गया और सरकार ने उसको पूरा करने की कोशिश की। इसलिये ३० तारीख निश्चित की कि इस डेट के अन्दर नई परिषदों की स्थापना कर देंगे। माननीय सदस्य जानते हैं कि २५,२६ को रिट हो गई और नामिनेशन रद्द हो गया। नामिनेशन का प्राविजन नहीं था, लेकिन सरकार उस स्थिति में क्या करती? सरकार ने सोचा कि हम चुनाव करा देंगे और ३० तारीख तक जिला परिषदें आ जायेंगी, लेकिन २६ को रिट हो गया और उस पर अन्डरटेकिंग हो गयी कि चुनाव नहीं होंगे और २७ को गजट में सरकार ने घोषणा की कि ३० तारीख से उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों की स्थापना हो जायगी। यह केवल उन्नाव, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी के जिले को छोड़ कर होने वाली थी। अब इस बीच में अध्यक्षों का चुनाव रुक गया और यहां पर अन्तरिम जिला परिषदें भी समाप्त हो गयीं। हम उसके आगे नहीं जा सकते थे। यह अन्डर टेकिंग थी। तो चारा क्या था सिवाय इसके कि दफा २७२ में हम रिमूवल आफ दि डिफिकल्टीज आर्डर निकालते और उसकी तहत में ऐसी अन्तरिम व्यवस्था करते कि काम चलता रहे। तो यह बहुत आवश्यक था।

श्री राधेश्याम शर्मा —

अध्यक्ष नामिनेट करना जरूरी था तो विरोधी दल के लोगों को क्यों नहीं नामिनेट किया गया?

श्री कल्पनाथसिंह —

जो अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल बढ़ाने में आपको क्या दिक्कत थी?

श्री बंशीधर पांडेय —

इस सरकार ने ८ फरवरी, १९६३ को यह अन्डरटेकिंग दी थी कि ३० जून से अधिक इनकी लाइफ नहीं होगी। (व्यवधान) हम तो चुनाव कराने वाले हैं, आप कराने तो दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप क्या चुनाव करायेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय —

चुनाव तो १० नवम्बर को हो रहा है और उसी दिन जिला परिषदों के अध्यक्षों का भी चुनाव होगा। माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कलेक्टरों को अध्यक्ष की हैसियत में फंक्शन करने का अधिकार नहीं है और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे प्रदेश में तीन

प्रकार की व्यवस्थाएं हो गयी हैं। एक तो वह कि जहां नामिनेटेड अध्यक्ष काम करता है और रिट नहीं हुआ, दूसरे जहां नामिनेटेड अध्यक्ष को हाई कोर्ट ने न मानकर उन्हें काम करने से रोक दिया और तीसरे वे जगहें जहां हाई कोर्ट ने अध्यक्ष को कार्य करने से मना कर दिया और केयर-टेकर नियत किया गया। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे आदमी को नामिनेट करती कि जो वहां का कार्य संचालन कर सके। (व्यवधान) अब आपका यह सवाल है कि पुराने अध्यक्षों को ही क्यों नामिनेट नहीं किया गया। मुझे भी इस बारे में कम जानकारी नहीं है और उसके आधार पर कह सकता हूं कि यह नामिनेशन कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं हुये हैं। उनमें यह देखा गया है कि उन व्यक्तियों को जिला परिषद् के सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो और वे वहां का काम चला सकें। (व्यवधान) आपने हाई कोर्ट के फैसले में देखा होगा कि मैलाफाइडो इंट्रेशन की जितनी बातें थीं उन सब को जजेज ने गलत कहा है और कहा है कि पार्टी बन्दो के आधार पर यह बातें कही गयी हैं। हाई कोर्ट ने माना है कि उन व्यक्तियों को सरकार ने इस विश्वास के साथ नामिनेट किया था कि वे वहां का काम चला सकते हैं, लेकिन यह सरकार ने कहा था जब माननीय न्यायाधीशों ने पूछा था ऐडवोकेट जनरल से कि अगर हम इस रिट पेटीशन को डिस्मिस करें तो जल्दी से जल्दी चुनाव करायेंगे, तो सरकार ने अन्डरटेकिंग दिया कि हम करायेंगे। १७ तारीख को जब खाली हुये तो मैं कलेक्टर को कर नहीं सकता था अध्यक्ष पद पर, क्योंकि माननीय न्यायाधीश का कहना है कि इसको आर्डिनेंस के द्वारा किया जा सकता है। (व्यवधान)। हम रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर ऐक्ट की मंशा को बहुत ज्यादा परिवर्तित करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसको आर्डिनेन्स से किया गया होता तो अच्छा था। मैंने उसी दिन आर्डिनेन्स निकाल कर नामिनेट किया, वैलिडेट किया... (व्यवधान)। सरकार का मंशा हरगिज नहीं था कि आर्डिनेन्स निकाला जाय और वह आर्डिनेन्स तो कांस्टीट्यूशन का पार्ट भी है। सरकार की नेकनीयती का यह सबूत है कि हमने जल्दी की, क्योंकि यह काम १५ दिन में कर देने की हमने अन्डरटेकिंग ली थी।

श्री मैनेजर सिंह —

एक स्पष्टीकरण दीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आपने मनोनीत किया और आर्डिनेन्स से उस तारीख से किया जिस तारीख से उनका मनोनयन हुआ था और इस बीच में हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार जिलाधीश जो केयरटेकर के रूप में कार्य करते थे और जिन-जिन जिलों में उन्होंने अध्यक्ष का कार्य सम्पादन किया, मीटिंग बुलाई, पेमेंट पर दस्तखत किये, नियुक्ति और छुट्टी पर किया, उसके सम्बन्ध में आपने क्या किया?

श्री बंशीधर पांडेय—

ये सारी बातें तो डिटेल की हैं। उसमें क्या वैलिडिटी है वह सब बतायी जा सकती है। अब तो खैर, १० नवम्बर को चुनाव हो जायगा। पंचायती राज में पार्टी का कोई सवाल नहीं है कि इस पक्ष का है या उस पक्ष का। उसमें तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जायगा.. (व्यवधान)... वह तो सब १० नवम्बर को जब चुनाव होगा तो मालूम हो जायगा कि किस पार्टी का बहुमत है और जनता किस के साथ है।

जहां तक नामिनेशन की बात थी दो एक ऐसे जिले थे जिनमें नये आदमी हैं, बहुत से पुराने भी हैं। १९ आदमी तो निर्विरोध चुने गये थे, लेकिन उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में पेटीशन्स हैं। एक पीरियड है, पांच साल के लिये चुने जाते हैं उसके बाद बदले जा भी सकते हैं। तो सारा कार्यक्रम आर्डिनेंस का बहुत आवश्यक था। उस बीच में अगर आर्डिनेंस लागू न करते तो अन्तरिम जिला परिषद् को लाइफ खत्म हो गयी थी। कलेक्टर से काम नहीं चल सकता था। उसमें तो जनता के प्रतिनिधियों को ही होना चाहिये था। अध्यक्षों को मनोनीत करके हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि सूरज को पूर्व से पश्चिम

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

म कर दिया हो। फिर भी जो बातें ध्यान में लायी गयी हैं उन पर सरकार विचार करेगी। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता और माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को अस्वीकार करे।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार १० नवम्बर तक सारे उत्तर प्रदेश में चुनाव करा देगी?

श्री बंशीधर पांडेय—

तीन डिवीजनों का ऐसा है कि जहां फ्लड के कारण रुका हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

हां—४३,

नहीं—९७।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक में ३, ४ धाराओं में छोटे-छोटे संशोधन करने की बात कही गई है। पहला संशोधन सेक्शन १७, जिसकी अभी बहुत चर्चा हुई, के बारे में है। पहले यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस स्टेज पर लागू हो। हमने रखा है कि जब धारा १८, पूरे सेक्शन्स (१) और (२), के अन्तर्गत परिषद् कम्पोज हो जाय तब सेक्शन १७ लागू कर दिया जाय। दूसरे, धारा १९ में एक प्रोविजो जोड़ने की बात है जिससे यह होगा कि जहां अध्यक्ष चुना नहीं जा सके या देर हो, इन्टेरिम पीरियड में राज्य सरकार को अधिकार हो कि वह अध्यक्ष पद के लिये किसी व्यक्ति को जो चुना जाने के लिये योग्य हो, मनोनीत कर दे। धारा २० में पहले यह था कि कोआप्टेड मेम्बर की लाइफ शुरू होती थी कोआप्शन की तिथि से और दूसरे सदस्यों की लाइफ शुरू होती थी जिस दिन से जिला परिषद् स्टार्ट करे। अब दोनों प्रकार के सदस्यों की जिन्दगी एक साथ करने की बात धारा २० में है। ६ठें क्लाज में हमने जिस नामीनेशन का आर्डिनेन्स के द्वारा होना चाहिये था, उसे वैलीडेट करने के लिये उस आर्डिनेन्स को ऐक्ट की शक्ल में लाने के लिये रखा है। ये सब निहायत जरूरी संशोधन हैं और मैं आशा करता हूं कि सदन इन्हें पास करने की कृपा करेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि बार-बार आप मुख्य मन्त्री, मुख्य मन्त्री पुकारते हैं और बंशीधर जी पांडेय खड़े होते हैं जबकि मुख्य मन्त्री महिला हैं।

डा० सम्पूर्णानन्द एवार्ड को पूर्णरूप से लागू न किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब चूंकि ५।। बज गये हैं अतः दूसरा आइटम लिया जायगा।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष महत्व की बात जिसके लिये यह प्रस्ताव मैं लाया हूं, यह है कि सूती वस्त्र उद्योग में, कानपुर में, जिसमें ४० हजार के लगभग व्यक्ति काम करते हैं और २ लाख प्रभावित हैं, डा० सम्पूर्णानन्द के अवार्ड को लागू करने के लिये जो व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं की जा रही है। राज्य सरकार की इस लापरवाही का फायदा उठाकर मिल मालिक मनमाने ढंग से सम्पूर्णानन्द अवार्ड का उपयोग कर रहे हैं जिससे श्रमिकों को लाभ के बजाय हानि अधिक हो रही है और वह लाभ जो इस अवार्ड से होना चाहिये था, नहीं हो रहा है। दूसरी बात विशेष यह है कि कानपुर में बिजली और दूसरी कठिनाइयों के कारण

(इस समय ५ बज कर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

और इस अवार्ड के लागू न होने के कारण जो स्थिति है वह बहुत ही गम्भीर होने से श्रमिक वर्ग और भी परेशान हो गया है। ४०,००० व्यक्तियों में से हजारों की संख्या में श्रमिकों ने ग्रैचुइटी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें अभी तक मुश्किल से करीब १,५०० पर विचार हो सका है और नियमतः जैसे गेट पर नोटिस लगना चाहिये था वह नहीं लगाया गया है। मिल मालिकों ने होशियारी करके औसत निकालने के लिये कुल गैरहाजिरी काटकर कुल वेतन को वर्ष भर में बांट दिया, इस तरह से १५ दिन का औसत बहुत कम रह गया, यानी नाम मात्र भी नहीं रह गया।

आज गुटबन्दी के कारण जो यहां चल रही है उस फैसले को जिसे बहुत दिन पहले लागू हो जाना चाहिये था पूरे तौर से, वह इसी झमेले में रहा कि वह मुख्य मन्त्री के रूप से था या कैसे था। २४ अगस्त को वह अवार्ड जिन शर्तों के साथ लागू हुआ उनमें एक कमेटी बनाने का सुझाव था और एक सुपरवाइजरी कमेटी के नाम से एक कमेटी मिल स्तर पर मिल कमेटी के नाम से बनायी जाने वाली थी। जो मुख्य मन्त्री थे वे स्वयं ही यहां से चले गये, इससे मजदूरों को बहुत क्षति हुई है। दूसरे, सुपरवाइजरी कमेटी आज तक ठीक ढंग से फंक्शन ही नहीं कर पाई। मिल मालिकों की सभी सुविधायें प्राप्त होती हैं और वे हर बात में झगड़ा पैदा करते हैं जिससे मजदूरों का लाभ नहीं हो सका। और झगड़ों का आरबिट्रेशन के रूप में फैसला होना चाहिये था, वह फैसला इस समय तक नहीं हो सका। और आर्बिट्रेशन से जो लाभ मिल मालिकों को होना था वह हो गया दो तीन बातें जिनके सम्बन्ध में यह फैसला था वह थीं—मजदूरों का वेतन (पारिश्रमिक), कार्य करने की स्थिति और मिल मालिकों से श्रमिकों को क्या प्राप्त होने वाला था उसके बारे में था। काम की स्थिति में जहां देखिये बढ़ोत्तरी हुई है। वीविंग, कटिंग आदि के कार्य में ७५ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। परमानेन्ट कर्मचारियों को तो दूसरे स्थानों पर कर दिया गया है, लेकिन उनके स्थान पर जो टेम्पोरेरी कर्मचारी कार्य कर रहे थे या जो और काम पाने वाले थे उनको इस आधुनिकीकरण की स्कीम से कोई लाभ नहीं हुआ जैसा कि काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये और श्रमिकों के हित के लिये इसको लागू किया गया था, वह नहीं हुआ और नयी दरों से जो श्रमिकों को वेतन मिलना चाहिये था, वह भी नहीं मिला। एवार्ड के अनुसार उन श्रमिकों को परमानेन्ट कर दिया जाना चाहिये जो २४० दिन काम कर चके हों वैसे तो एक मिल मालिक किसी मजदूर को परमानेन्ट करने में तरह-तरह की अड़चनें डालता है, बीच में किसी न किसी बहाने से उनको निकाल देता है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरी प्रसाद]

से उसने दिन पूरे भी कर लिये तो भी उसको परमानेन्ट नहीं किया जाता है और जो उसको मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। जो कुछ कम काम करते थे और उनको एवार्ड के हिसाब से परमानेन्ट हो जाना चाहिये उनको भी नहीं किया गया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वस्त्र उद्योग में जो इस प्रकार की अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं उनसे आज हमारे देश की विषम स्थिति में उत्पादन का संकट पैदा होने की शंका पैदा हो गयी है। इसके अलावा इस बढ़ती हुई मंहगाई में कानपुर जैसे बड़े नगर में जो जीवन निर्वाह करना वैसे ही दुरूह हो रहा है वह और भी कठिन हो सकता है।

एवार्ड में कार्य करने की स्थिति के बारे में भी था कि जो मशीनें लगेंगी वह दूर-दूर लगेंगी, मिल का वातावरण अच्छा होगा, उससे दुर्घटनाएं कम हो सकेंगी, साथ ही साथ हमारे मजदूरों का स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकेगा। ताकि मिल के आर्टिफिशियल और मोईश्चर से युक्त वातावरण में मजदूरों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके, लेकिन आज उस स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो सका है। तीसरी बात जो मुझे निवेदन करनी थी वह ग्रेचुएटी के सम्बन्ध में थी। अनुमान लगाया गया है कि मिल मालिकों के ऊपर मजदूरों की ग्रेचुएटी का लगभग १५ लाख रुपया बकाया है। और वे श्रमिक जिन्होंने इस विचार से इस्तीफा दे दिया था कि ग्रेचुएटी मिल जाने के बाद वे कोई दूसरा काम करेंगे वे अपने इस्तीफे और ग्रेचुएटी के नाम पर जो रो रहे हैं। जहां तक मजदूरों की भर्ती का सवाल था और जिससे उन मजदूरों का कुछ लाभ होने वाला था उसमें भी मिल मालिकों ने डिसि क्रमिनेट करना शुरू कर दिया है। जिन श्रमिकों ने आन्दोलन चलाया, जिस लड़ाई को उन्होंने सामूहिक रूप से गठित किया उसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या नहीं किया जो वह कर सकती थी। साथ ही उस सुपरवाइजरी कमेटी ने क्या नहीं किया जो वह कर सकती थी। ऐसे माननीय सन्त सिंह यूसुफ उस सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, वे ही इसके बारे में बतलायेंगे कि इतने वर्ष कमेटी को बने हुए हो गये और उसने इस बीच में क्या किया है। खास कर इस कमेटी में दो पक्ष के सदस्य थे, एक तो मिल मालिकों का पक्ष था और दूसरा ऐसा पक्ष था जो मिल मालिकों के प्रति सहिष्णु अधिक है और एक तीसरा पक्ष ऐसा था जिसको निष्क्रिय पक्ष कह सकते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि माननीय सन्त सिंह यूसुफ से मैं ऐसी आशा नहीं करता था कि वे भी निष्क्रिय पक्ष के सदस्य होंगे। तो इस तरह से इन तीनों पक्षों के सदस्यों ने मिल कर उस कमेटी को अव्यावहारिक बना दिया। मुझे यह देख कर दुख हुआ कि माननीया मुख्य मन्त्राणी जो जो पहले लेबर मिनिस्टर थीं और जिनके समय में यह एवार्ड हुआ वे मजदूरों के हित सम्बन्धी बहस में विशेष रुचि लेंगी और यहां उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे यहां नहीं हैं। माननीय बनारसी दास जो जो पहले सूचना मन्त्री रह चुके हैं वे किसी बात के पूछने पर कह देंगे कि मैं तो इस विभाग का नया नया ही मन्त्री हूं इसलिये इसके बारे में कुछ नहीं जानता और इस तरह से पिछले सूचना मन्त्री होने के नाते जो सूचना उनके पास होगी उसी के आधार पर वे कुछ कह सकेंगे। हमारा तो मुख्य उद्देश्य मजदूरों के संरक्षण हेतु जल्द से जल्द सरकार द्वारा कदम उठाने से है ताकि उनकी तकलीफ दूर हो। आज की स्थिति में अगर सरकार ने और अधिक लापरवाही इस ओर की तो आप निश्चय समझें कि यह काम चलने वाला नहीं है। श्रीमन्, आप भी इस बात को मानेंगे कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों का मन्त्रियों से सीधा सम्बन्ध होता है। माननीय मन्त्री जो सीधा सम्पर्क श्री पदम्पत सिंहानिया और जयपुरिया से होता है और मन्त्री लोग सीधे उनके पास जाकर उनका आतिथ्य ग्रहण करते हैं। ऐसी हालत में मिल मालिक लेबर कमिश्नर या लेबर विभाग को मामूली आदमी सा समझता है और ऐसी हालत में लेबर डिपार्टमेंट भी अपने को असमर्थ पाता है।

इस समय तक फैसले न होने के कारण लगभग ५ हजार व्यक्ति प्रभावित हैं जिनका कि वस्त्र व्यवसाय से सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में माननीय सन्तसिंह यूसुफ अधिक जानकारी रखते हैं और अपने भाषण में वे इस पर प्रकाश डालेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस समय तक ग्रेचुएटी नहीं मिली है उनको अन्तरिम ग्रेचुएटी दिलायी जाय और मिल मालिकों ने इतने दिनों तक जो उनकी ग्रेचुएटी के पैसे को रोक कर उससे फायदा उठाया है जिस दिन से मजदूरों ने इस्तीफा दिया है, उनको उस रकम पर ऐसा इन्टरेस्ट दिलाया जाय जो कि मार्केट इन्टरेस्ट होता हो। इसके साथ ही साथ जो टेम्पोरेरी मजदूर हैं और जिनको अपने क्रम के अनुसार परमानेन्ट हो जाना चाहिये था उनको क्रम के अनुसार स्थान मिले और सरकार तुरन्त उनको परमानेन्ट करने की व्यवस्था करे। अब प्रश्न यह है कि सूती मिल मजदूर सभा के अन्दर के जो झगड़े हैं उन को तो मैं यहां ज्यादा नहीं खींचना चाहता, वहां के मेम्बर कौन होंगे या और झगड़ों को लेकर है वह तो यूसुफ साहब बतायेंगे पूरी समिति काम न कर सके या या हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो अवार्ड है उस में निश्चितता आ जाय या तुरन्त एक दूसरी कमेटी का निर्माण किया जाय और मजदूरों को फौरन वह पैसा दिलाया जाय और मैं यूसुफ साहब से कहूंगा कि कोई ऐसी चीज निकालें जिस से उनके आपस के झगड़े न हों, मजदूरों को वह उन में न डालें। आज मिल मालिकों का निश्चित रुख है कि वह अनिश्चित काल तक फैसला नहीं होने देना चाहते। इसके अलावा एक बात यह भी है कि आज जो मजदूरों की परिस्थिति है वह यह है कि आज उन को उनके रेगुलर कामों के लिये ही पैसा मिलना कठिन हो रहा है। इस समय मजदूरों की तो बात ही क्या सरकार का बिजली का बिल भी आज मिल मालिक देना नहीं चाहते। केस के सम्बन्ध में भी वह कहते हैं कि जब दावा करेंगे तब पेमेंट देंगे। जब सरकार के ड्यूज का यह हाल है तो फिर गरीब मजदूर का कहां ठिकाना है उसके पास पैसा कहां है कि वह आर्बिट्रेशन कराता फिरे और खर्च कर के मुकदमा लड़ सके। आज स्थिति यह है कि जो उन की सुपरवाइजरी कमेटी है वह भी फंक्शन नहीं कर रही है। यह आप समझ सकते हैं कि हमारे गरीब मजदूर किस कदर तकलीफ का अनुभव कर रहे होंगे। जो यह इन मुख्य बातों का हल हमने आप के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसके लिये सरकार कोई रास्ता निकाले। प्रथम तो यह कि ५–६ हजार मजदूरों का जो करीब १५ लाख रुपए का पेमेंट है वह तत्काल कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड को पूर्ण रूप से लागू किया जाय।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सम्पूर्णानन्द अवार्ड जिस पर कि बहस हो रही है १४ अगस्त, सन् १९६२ को लागू हुआ था। उस वक्त.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सदस्यों के लिये समय निश्चित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

दस दस मिनट रहेगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

आज उसको लागू हुए १४ माह से ज्यादा हो गये। बहुत शोरगुल और उसके बाद यह कमेटी आई और १५–१६ साल की सारी कोशिश के बाद यह अवार्ड आया। पिछले १६ साल से जो रेशनेलाइजेशन की बात चल रही थी और इम्पलायर्स जो उसके विरोध में थे। उनका कहना था कि विदाउट फीयरेशनेलाइजेशन होना चाहिये। उस को न मानकर उसके विरोध में ८० दिन की हड़ताल हुई। उस जमाने में माननीय सम्पूर्णानन्द जी यहां के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उस हड़ताल के बाद नैनीताल में एक मीटिंग बुलवाई। उस में सब पार्टियों ने मिलकर, नहीं, बीच में एक विन्दवासिनी कमेटी की रिपोर्ट भी आई वह भी लागू नहीं हुई वेज बोर्ड के एवार्ड के इन्तजार की वजह से—तो सब पार्टियों ने मिलकर सम्पूर्णानन्द जी को आर्बिट्रेटर बनाया और

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

बस साल के बाद सम्पूर्णानन्द एवार्ड मजदूरों को मिला. लेकिन दुख है कि उस में जो सुविधाएं मिलीं वह भी करीब-करीब इस ढंग से लागू हुई हैं कि वह पूरे ढंग से लागू नहीं हो सकीं। और अभी उनमें से कुछ लागू नहीं हुई हैं। मैं ज्यादा तो नहीं, क्योंकि समय कम है सिर्फ ४, ५ बातें बताना चाहता हूं। ग्रेचुएटी के बारे में यह है कि जिस मजदूर ने ५ साल से ऊपर काम किया है उसको १,००० रुपया मैक्सिमम मिलेगी। करीब ३, साढ़े तीन हजार आदमियों ने एप्लाई किया। लेकिन उस स्कीम को जिस गलत तरीके से मिल मालिकों ने इंटरप्रेट किया है उससे ३०, ३० लाख पुराने मजदूरों को ग्रेचुएटी का एक पैसा नहीं मिल रहा है जो वाकई में उसके पाने के अधिकारी हैं। ५०० आदमी टी० बी० के मरीज हैं, ३०, ३० साल की नौकरी हो चुकी है उनको एक पैसा नहीं मिल पा रहा है। मैं एक मजदूर के बारे में बताऊं यह कंसीलियेशन अफसर की रिपोर्ट है कि ५६ साल से एक मजदूर ने म्योर मिल में काम किया, उसके बाद उसने ग्रेचुएटी के लिये दरख्वास्त दी। मिल वाले कहते हैं कि तुम्हारी ग्रेचुएटी नहीं बनती जो गलत इंटरप्रीटेशन वह लगाते हैं उसके अनुसार। डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने अपने एवार्ड में कहा है कि जिस दिन मजदूर इस्तीफा दे उससे पहले का जो एक साल है काम का उसको १२ महीने की तनख्वाह ले कर उसका ऐवरेज निकाल लो और जितने साल की उसकी सर्विस हो उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह जो रकम आवे वही उसकी ग्रेचुएटी होगी, सबजेक्ट टु मैक्सिमम आफ १,००० रु०। एक मजदूर है उसने आज ३० साल की नौकरी के बाद ग्रेचुएटी के लिये एप्लाई किया, लेकिन पिछले एक साल टी० बी० का मरीज होने के कारण बोर्ड से रिकमेन्डेड छुट्टी ले रखी है तो वह कहते हैं कि पिछले साल भर से तुम बीमार हो इसलिये तुम्हारा मन्थली एवरेज नहीं निकलेगा और तुमको ग्रेचुएटी नहीं मिलेगी। २९ साल की उसकी सर्विस बेकार हो गई। इस गलत इंटरप्रीटेशन से जो ग्रेचुएटी पाने का हकदार है वह नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल अंधकार में है। ९० फीसदी मजदूर ३०, ४० साल नौकरी करने के बाद बीमार हो जाते हैं और तभी जाकर रिटायरमेंट और ग्रेचुएटी के लिये मांग करते हैं लेकिन उनको मना कर दिया गया है। इसके बरअक्स एक आदमी ने १० साल काम किया तन्दुरुस्त है तथा पिछले साल पूरा काम किया है तो उसको ५०० रु० ग्रेचुएटी मिल जायगी, लेकिन जो वास्तव में हकदार है उसको नहीं मिलती। हमने इस बारे में मन्त्री जी से बात की, माननीय बनारसी दास जी नये मन्त्री हुए हैं मैं आशा करता हूं कि इस सवाल को लेंगे और इसका हल निकालेंगे ताकि जो मजदूरों में असंतोष है वह दूर हो।

दूसरे यह कि रेशनेलाइजेशन हुआ, काम की बढ़ोत्तरी हुई पर तनख्वाह बढ़ी हुई पिछले २ साल से नहीं दी। डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड १४ अगस्त, १९६१ से लागू हुआ जिसमें दिया हुआ है कि जहां ७० फीसदी रेशनेलाइजेशन हुआ है उनमें बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। वेज बोर्ड एवार्ड ने वर्क लोड निर्धारित कर दिया, यानी इतने स्पिन्डल एक आदमी चलायेगा और इतनी तनख्वाह होगी। पूरी स्कीम डिटेल में दी हुई है उस पर भी मिल मालिकों ने २ साल

(इस समय ५ बज कर ५३ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

का एरियर अभी तक, यद्यपि १४ महीने हो गये, नहीं दिया। ४ मिलों में लोगों का साल भर का एरियर नहीं दिया गया है। विन्दवासिनी की रिपोर्ट में भी था कि एरियर्स दिये जायें परन्तु अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। बाकी मिलों में रेशनेलाइजेशन हो रहा है। जिन मिलों में रुई का काम होता है उनमें ७ विभाग हैं। बहुत से मिल मालिक कहते हैं कि यहां तो रेशनेलाइजेशन नहीं है। एवार्ड में यह साफ दिया हुआ है कि २०० स्पिन्डल में ३४ रुपये १२ न० पै० दिये जायें परन्तु कहा जाता है कि हमारे यहां रेशनेलाइजेशन नहीं है। १० साल से काम कर रहे हैं और अभी तक उसके एवार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, उन मिलों में, मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा, एवार्ड तो लागू होगा लेकिन झगड़े के बाद होगा, तो उसमें प्रोडक्शन का लास होता है। उसमें कुछ वर्कर्स का भी नुकसान होता है। जब कुछ मिलों के मजदूरों ने एवार्ड में दिये हुए वर्कलोड से ज्यादा काम करने से मना कर दिया तो वहां के मिल वाले समझौते के लिये तैयार हो गये। ५ एग्रीमेंट हुए झगड़े के बाद ही। मैन्युफैक्चरिंग मिल्स में झगड़े के

बाद ही नोटिस लगा दिये गये लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं। मेरे काम रोको प्रस्ताव रखने के बाद वहां झगड़ा हुआ तो तनख्वाह की कमी हुई है।

इसके अलावा ज्यादातर वर्कर्स टेम्पोरेरी हैं। सरकार के भी डिपार्टमेंट हैं, परन्तु मिलों में १५-१५ साल से टेम्पोरेरी और सब्सीट्यूट कानपुर में काम कर रहे हैं। सम्पूर्णानन्द एवार्ड में लिखा हुआ है कि इस एवार्ड के एक साल बाद जितनी टेम्पोरेरी जगहें खाली हों उन टेम्पोरेरी जगहों को परमानेन्ट कर दिया जायगा। पर खेद है कि एक आदमी को भी परमानेन्ट नहीं किया गया। इसके अलावा इस एवार्ड में सन्डे के बारे में दिया हुआ है। सम्पूर्णानन्द एवार्ड में दिया हुआ है कि सन्डे को शिफ्टों में जैसे ६ से २ बजे तक आदि काम हो, परन्तु सन्डे को भी ९-९ घंटे काम लिया जाता है। सुपरवाइजरी कमेटी का भी झगड़ा अभी तक नहीं तय हो पाया है। वेजेज के सिलसिले में, वर्क लोड के बारे में इन तमाम सिलसिलों में कोई कारवाई नहीं हो पायी है और एवार्ड में माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा कि इन मिलों के बारे में एडवाइजरी कमेटी एलाट करेगी तो होगा नहीं तो नहीं होगा वह झगड़ा भी तै नहीं हुआ। जो वेजेज एरियर्स में थे प्रेवुएटी के बारे में, संडे वर्किंग के बारे में, अभी तक कानपुर की मिलों में झगडा पड़ा हुआ है। बनारसी दास जी से मेरा कहना है कि वह इन मामलों को तय करें और अगर आप तय नहीं करेंगे तो अशान्ति फैलेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि यह एवार्ड सरकार का है। गवर्नमेन्ट का कानून है। उसके लिये नोटिफिकेशन गवर्नमेन्ट का है। साल भर हो गया और सरकार ने उसे फिर एक्सटेंड कर दिया। मेरा कहना है कि आप सिर्फ इतना कर दीजिये कि बीच में से हट जाइये। हमको और मिल मालिकों को छोड़ दीजिये। आप इसे इम्पलीमेन्ट नहीं करा सकेंगे तो हम तीन महीने के अन्दर इसे कानपुर में इम्पलीमेन्ट करा देंगे और अगर नहीं करा सकूंगा तो असेम्बली से इस्तीफा दे दूंगा।

इमरजेंसी की बात कही जाती है। पुलिस आ गयी। सुपरिंटेंडेंट पुलिस आ गये। वह कुछ करें तो कुछ नहीं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आपको इन सब चीजों को देखने की जरूरत है।

यहां अभी यह जो बिजली का संकट पैदा हुआ उससे प्ले आफ के पैसे का भी संकट पैदा हो गया। माननीय मंत्री जी बड़े सीधे सादे हैं। उन्हें बुद्धू कहूंगा तो अनपार्लियामेंटरी हो जायगा। मिल मालिक हमसे कहते हैं कि सरकार की वजह से नुकसान हुआ है। इसलिये तुम हमारी मदद करो और हरजाना दिलवाओ सरकार से। हम कहते हैं कि जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होना चाहिये, लेकिन सरकार से हरजाना वसूल करने में हमारा साथ नहीं होगा। मैं तो सरकार से कहता हूं कि तुम्हारे ऊपर और टैक्स लगना चाहिये। उनका कहना है कि ८ दिन इतवार चलवा दो तो हम ८ दिन का पैसा दे देंगे। एक दिन इतवार की छुट्टी मिलती है। सन् १९३८ में इसके लिये ५२ दिन लड़ाई लड़ी थी। इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। रफी अहमद साहब तथा पंत जी का उसमें समर्थन प्राप्त था और राजेन्द्र बाबू उसके प्रेसीडेन्ट थे। उसमें यह तै हुआ था कि इतवार को छुट्टी होना चाहिये। आज सब्सीट्यूट हालीडे के बदले इतवार चलाने के लिये एग्री होना पड़ेगा। बिजली उनकी नालायकी की वजह से गयी और इतवार को भी कारखाना चालू रखिये जैसे हम मशीन हैं। लेबर डिपार्टमेन्ट के कुछ साथी मिले। उनका कहना था कि प्ले आफ का पैसा कानूनी हक है मजदूर का वह उसे मिलना चाहिये लेकिन इतवार चला दो। लेबर कमिश्नर साहब मिले उनसे भी बातचीत की। माननीय मंत्री जी से भी कह दिया। हम भी इंसान हैं। हमको इंसान की तरह ट्रीट करो। थोड़ा सा मालिक को भी आप रगड़ें। स्वदेशी काटन मिल म्योर मिल, एथर्टन मिल में नाइट शिफ्ट बन्द हो गयी १,४०० लूम बंद पड़े हैं, इसकी आप जांच करें। सूत वह बाजार में बेंच देते हैं, क्योंकि मुनाफा

[श्री संत सिंह यूसुफ]

होता है। हमसे कहा जाता है कि नेशनल इमर्जेंसी है। तो यह नेशनल इमर्जेंसी केवल हमारे लिये ही है।

मजदूरों ने काम किया कुर्बानी की और पैसे दिये उसके लिये यह सब कहते है कि कुर्बानी करो और मालिक से नहीं कहते कि तुम्हें भी कुछ कुर्बानी करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो कहने को बहुत ज्यादा है, लेकिन समय खत्म हो रहा है इसलिये सिर्फ इतना कहूंगा कि बनारसी दास जी चूंकि नये मंत्री हुये है इसलिये हम हमेशा की तरह पहले बात करना चाहते है और हो सकता है कि कोई हल निकल आये वरना आप चाहे जितना परेशान करें चाहें हमें जितना प्रोवाइनीज कहो यह कुछ अब आपका चलेगा नहीं। हमने किसी मिनिस्टर से कम नहीं ज्यादा ही जेल काटी है, देश के लिये कुर्बानी हम भी देना जानते है, लेकिन चाहे आप जितना कहो कि पार्टीबाजी मत करो लेकिन उससे मामला दबनेवाला अब नहीं है। यह आपके चीफ मिनिस्टर का एवार्ड है गवर्नमेन्ट ने उसका नोटीफिकेशन किया है और गुलजारी लाल नन्दा इसकी ताईद करते है और जितने आपके मिनिस्टर है सब इसकी ताईद करते है। बम्बई में सुपरवाजिंग कमेटी ने यह फैसला किया कि इम्प्लीमेंटेशन करवाने के सम्बन्ध में, लेकिन उसको भी नहीं मानते है। ग्रेचुएटी के बारे में कहा गया कि ९० दिन के अन्दर पैसा दे देना चाहिये, लेकिन साल-साल-भर तक पैसा नहीं दिया गया है।

*श्री उग्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो सम्पूर्णानन्द एवार्ड के निफाज न होने पर विवाद हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कब्ल इसके कि मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करूं एक बात माननीय बनारसीदास जी चूंकि नये मंत्री इस विभाग के है बतलाता हूं कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार की यह भी पालिसी है कि बोर्ड बन जाता है एवार्ड हो जाता है, लेकिन वह उस एवार्ड को मानती नहीं है। यह बात हो सकती है कि जनतंत्र में जब किसी बात को टालना हो तो एक कमेटी बना दो फ्लड कमेटी, विन्दवासिनी प्रसाद कमेटी, राजेन्द्रप्रसाद कमेटी, सम्पूर्णानन्द एवार्ड वगैरह वगैरह सं. नहीं तो ६०,७० कमेटियों की रपट तो मैं जानता हूं कि इस सरकार ने निकाला है, लेकिन एक की भी बात को नहीं माना है। मैं कहता हूं कि इस एवार्ड की जरूरत नहीं थी। माननीय न्यायाधीश विन्दवासिनी प्रसाद कमेटी बनी उसके सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेन्ट जो बहुत कुशल माने जाते है उप श्रमायुक्त वह उसके सेक्रेटरी और सूती मिल मजदूर सभा के माने जाने मजदूर नेता श्री गणेशदत्त वाजपेयी वह मजदूरों का प्रतिनिधित्व उसमें कर रहे हैं। एक लाख से ज्यादा रुपया उस पर खर्च हुआ होगा सदन में उसकी रपट पर विवाद हुआ। उस समय बराबर सरकार की तरफ से मजदूरों को आश्वासन दिया गया था कि वह रिपोर्ट नैनीताल में फाइनल हो जायगी और जब वह लागू उसके बाद हो जायगी तो कानपुर के मजदूरों के लिये स्वर्ग बन जायगा।

कानपुर के मजदूरों का सारा पाप कट जायगा। विन्दवासनी प्रसाद रेशनलाइजेशन कमेटी की रपट भी निकल गयी मगर क्या मंत्री जी बतायेंगे अपने जवाब में कि जो मुख्य मुख्य सिफारिशें उस कमेटी ने कीं उनमें से कितनी मानी गयीं? झगडे खड़े हो गये। फिर यह हुआ कि जो खास-खास मुद्दे है उनके लिये एक कमेटी बना दी जाय जिसमें मजदूरों के भी प्रतिनिधि हों और मामला निपटा दिया जाय। विन्दवासनी प्रसाद कमेटी के अभिनवीकरण की योजना की सिफारिश हेतु मिलमालिकों को यह आदेश तो मिल गये कि आप नयी मशीनें मंगाइये और रेशनलाइजेशन कीजिये मगर उससे जो वर्कलोड मजदूरों पर बढ़ा उसकी क्षतिपूर्ति की कोई बात नहीं हुई। छटनी होने लगी। सरकार के पास इसका कोई निराकरण नहीं है। सम्पूर्णानन्दजी पर मजदूरों ने विश्वास किया। उनके प्रतिनिधि पता नहीं कैसे माने गये। म्योर मिल एलगिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल और मिलों का आपस में झगड़ा था। जब दो मिलों में आपस में झगड़ा होता था तो माननीय सम्पूर्णानन्द प्रोफसर को बुला लिया जाता। सम्पूर्णानन्द जी जब बीच में पड़ जाते तो कहते कि बाद में फैसला कर देंगे, लेकिन बीच में टेक्सटाईल वेज बोर्ड आ गया। उसके लागू होने से दो बातें हुई। रेशनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट सरकार को लागू करनी है। सेन्ट्रल टेक्सटाइल वेज बोर्ड का जो फैसला आया उसे सरकार ने लागू करा दिया। इन दोनों की कुछ प्रतिक्रियाएं हुईं और उसका लाभ उठा कर मिलमालिकों ने सब बातें सम्पूर्णानन्द जी के मत्थे मढ़ दीं। उनका यहां से तख्ता उलट गया वे बीच में राज्यपाल हो कर राजस्थान चले गये लेबर आफिस जा कर माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने एक एवार्ड दिया चाहे वह अच्छा है या बुरा, यह बात दूसरी है। मैं उसके सब मुद्दों से सहमति नहीं रखता हूं। मगर जो कुछ भी उन्होंने दिया सरकार ने उसका पालन नहीं किया। मैं स्वयं लेबर कमिश्नर के आफिस में गया था कुछ मजदूर नेता एलगिन मिल के आये। बहुत छोटी सी बात इतवार के बारे में कह रहे थे कि हमें इतवार हमेशा मिलता है कम से कम सात दिन में तो एक दिन की छुट्टी होनी चाहिये। मगर उनकी बात नहीं मानी गयी। मैं आपको बताऊं कि कम से कम दस हजार मजदूर ऐसे है कि जो रेशनलाइजेशन कमेटी से बिलकुल भुखों मर रहे हैं। ज्यादा मजदूर हमारी तरफ के आते हैं। वे सब घर चले गये। सरकार के इन एवार्डों के फलस्वरूप मजदूरों का बिल्कुल गला कट गया इस बहस का ही क्या नतीजा निकलने वाला है कामरेड यूसुफ अच्छी तरह जानते हैं। मजदूर नेताओं ने जूलूस निकाले प्रदर्शन किये मगर उनको कुछ नतीजा नहीं मिला ग्रेचुएटी नहीं मिली इतवार नहीं मिला जो वर्कलोड बढा उसके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिला। अब हम लोगों ने इस सदन में प्रस्ताव रखा कि इस पर बहस हो जाय और आज यह बहस है। हमको त मालूम नहीं हो रहा है कि मंत्रीजी आज कोई क्रान्तिकारी घोषणा कर देंगे। इसलिये मैं कानपुर के मजदूर और मजदूर नेताओं से और खासतौर से कामरेड यूसुफ से कहना चाहता हूं कि जो आपका तरीका है कि अपनी मांगे लड़ के लेंगे उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ करवाना है तो कानपुर के मजदूरों को हड़ताल का नारा दे कर अपनी मांगों को मनवाना चाहिये और सरकार से जम कर मोर्चा लेना चाहिये।

आज कानपुर में बिल्कुल आग सुलग रही है। यह हमारी कमजोरी है कि वह आग हमने अभी भड़काई क्यों नहीं। जैसा कि कामरेड यूसुफ ने कहा कि यह तुम्हारे मुख्य मंत्री का एवार्ड है यह डांगे या अटलबिहारी बाजपेयी का एवार्ड नहीं है यह डाक्टर सम्पूर्णानन्द का एवार्ड है, चन्द चांदी के टुकडे मांगते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं जिसके अनुसार चंद चांदी के टुकड़े दे दिये जायं। हम चाहते हैं जैसा कि हमारे नन्दा साहब चाहते हैं और जैसा कि अहमदाबाद में मिलों में लागू कर रखा गया है। यह भी कहा गया है कि वह मिल मालिक सब से अच्छा होगा जो मैनेजमेंट में मजदूर को हिस्सा देगा। आप अपनी योजनाओं को पढ़िये, नन्दा साहब के भाषणों को पढ़िये पार्लियामेंट में जो भाषण हुये हैं उनको पढ़िये तो आपको असलियत मालूम होगी, लेकिन आज बिचारा मजदूर इन सबको हटाकर पैसा मांगता है। मजदूर पर जो कार्यभार बढ़ा है उसका आप उसे क्या देते है? यह एक छोटी सी बात है। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मजदूरों के स्वास्थ्य का सवाल है उसके लिये आपने कोई सर्वे कमेटी बनाई? कानपुर के अहाते जो मजदूरों के रहने के लिये हैं उनसे बदतर और बदनसीब जगह और कहीं के मजदूरों के लिये नहीं होगी। मैंने बम्बई को देखा है, हैदराबाद को देखा है और जापान के मजदूरों के घरों को देखा है, लेकिन जब मैं कानपुर के मजदूरों की तुलना करता हूं तो कानपुर के मरते हुये मजदूरों के लिये मुझे तरस आता है। क्या यह आपकी सरकार नही है? क्या सिंहानिया और बागला की सरकार है?

कानपुर में बिजली का संकट अभी अभी खत्म हुआ है। कानपुर के मिल मालिक कहते हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जायेंगे। अगर हम अभी से रुपया दे देंगे तो हमें उतने रुपये का ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिये वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात

[श्री उग्रसेन]

सोचते हैं। हमारे माननीय बनारसीदास जी श्रम मंत्री रह जायं तो अच्छा है और उनको भी असलियत मालूम हो जायगी। कहीं ऐसा न हो जैसे कहा जाता है कि नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है। फिर बाद को सरकार कहेगी, सुचेता जी कहेंगी कि मुकदमेबाजी मत करो और मजदूरों से कहेंगी कि ऐसा कीजिये कि मुआवजा छोड़ दो तब मिल मालिक कहीं जाकर पैसा देगा। मैं तो कहता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाय, १४ दिन की हड़ताल की जाय और माननीय बनारसीदास जी इस बात का ध्यान रखें कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के एवार्ड का एक एक शब्द लागू किया जाय एक हफ्ते के अन्दर। वरना इन मिलों को बेच दिया जाय यह मिलें क्या हैं? आपने बम्बई की मिलें देखी हैं, शोलापुर की मिलें देखी है, अहमदाबाद की मिलें देखी है और वहां के पूंजीपतियों को देखा है? यहां के पूंजीपति उनके मुकाबले में बहुत ही घटिया किस्म के हैं।

श्रीमन्, मैं बम्बई टेक्सटाईल मिल्स में किसी जमाने में मजदूरी का काम करता था। वहां की आबहवा के लिहाज से कहा जाता है कि बम्बई और अहमदाबाद में सूत का डोरा कम टूटता है और उसके मुकाबले में कानपुर में बहुत ज्यादा टूटता है। अब सोचिये कि एक मिनट में सूत के डोरे के टूटने का जहां प्रतिशत बहुत कम है वहां के मजदूरों को कितना आराम है? और जहां पर बहुत ज्यादा टूटता है वहां के मजदूरों को कितना नुकसान होता है और परेशानी उठानी पड़ती है। यह लोग हमारी जान निकलने के लिये अभिनवीकरण करेंगे। यह लोग मिलों में बढ़िया मशीनें नहीं लगायेगें। मैं माननीय बनारसीदास जी से निवेदन करूंगा कि वे मिलों में जाकर स्वयं देखें। आज हर मिल का सर्वेक्षण होना चाहिये। आज से ७-८ साल पहले से यह सवाल उठा है कि मिलों में जो सांचे खाली होते हैं उन पर कोई मजदूर नहीं रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष—

इसका उल्लेख सम्पूर्णानन्द एवार्ड में नहीं है।

श्री उग्रसेन—

बिलकुल है श्रीमन् यह देखने का विषय है कि यह एवार्ड क्यों हुआ? जब विन्दवासिनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट लागू नही हो सकी तो यह एवार्ड हुआ। इसलिये मैं कहता हूं इसमें कोई प्रश्न कानपुर के मजदूरों का ही नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कानपुर जांये और मजदूरों की मांग पूरा करायें वरना जिस जमीन पर आप बैठे हैं जब उनकी भूख की आग भड़केगी तो आप और आपकी सरकार उसमें जल कर भस्म हो जायगी।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मुझे तो थोड़ा ही बोलना है, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि कानपुर से सम्बन्धित मामला है इस लिए कुछ कहना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड क्यों हुआ? मजदूरों और मिल मालिकों का झगड़ा रहता था, इसलिए एवार्ड आया लेकिन १५ महीने के बाद भी आज तक वह लागू नहीं किया गया। मुझे नहीं मालूम कि एक भी मजदूर ने उस एवार्ड को तोड़ा हो, लेकिन जिन मालिकों ने एवार्ड तोड़ा है उनके खिलाफ एक भी कदम आज तक नहीं उठाया गया। उस एवार्ड से मजदूरों का कोई खास फायदा नहीं हुआ लेकिन फिर भी जैसा वह राटेन एवार्ड था, उसको भी लागू नहीं किया गया। आज भी हजारों मजदूर आते हैं अपने एवार्ड के लिये वह खाली जाते हैं। पंद्रह साल के नीचे वालों को तो एक पैसा मिलता नहीं। उससे ज्यादा का अगर बीस साल का मजदूर है तो अगर १०० रुपया तनख्वाह है तो मुश्किल से ढ़ाई सौ रुपया मिलता है। वैसे प्रावीडेंट फंड १९५२ से लागू हुआ, लेकिन मिल मालिकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मे बेइमानी करके अपने हिस्से का रुपया मजदूरों से काट लिया। जो सम्पूर्णानन्द एवार्ड की मंशा थी उसके बरक्स मजदूरों से पैसा छीना है। सम्पूर्णानन्द एवार्ड का क्या इंटेशन था? कमरे में अच्छा टेम्परेचर हो, मशीन अच्छी हो मजदूर के लिये अच्छी कंडीशन होनी चाहिये। यह एक भी सुबिधा मिल मालिक मजदूर को देने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने बम्बई की बात कहीं। बम्बई की कंडीशन आज भी कानपुर से बहुत बेटर है। अगर वेजेज पर आप जांय तो १९३९ से लेकर १९६३ तक पांच गुना डियरनेस ज्यादा हो चुका है उसमें से मुश्किल से आज तीन गुना कानपुर के मजदूर को मिल रहा है। अब भी ४७ परसेन्ट कम है। बम्बई का मजदूर आज भी ९० परसेंट पा रहा है। मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी से कि जो महंगाई बढ़ी है, और मजदूरों को वह सुविधा नहीं मिल रही है, उसकी ओर वह ध्यान दें। आखिरकार दुनिया के अन्दर जो रौनक है, चारों तरफ जो चमचमाहट है यह मजदूर की ही मेहनत है। तो अगर बम्बई में ९० परसेंट डियरनेस अलाउन्स बढ़ा है तो आप ७०,७५ फीसदी ही बढ़ाने की कोशिश कीजिये। मेरा ख्याल है कि ४० रुपया बम्बई में के मुकाबले में कम मिल रहा है।

श्रीमन्, एक सुपरवाईजरी कमेटी बनी। बड़ा ताज्जुब है, उस सुपरवाइजरी कमेटी में कौन से मेम्बर्स हैं? सूती मिल मजदूर सभा का एक आधा रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी न जाने कहां से लाकर उसमें रख दिया है। कुछ पता नहीं उनका रेप्रेजेन्टेन्शन कितना है। वह मेम्बर है या नहीं, लेकिन उसमें रख दिये गए हैं। एक तो टेक्सटाईल में अवस्थी जी है और एक दूसरे प्रभाकर जी। क्या है उनका रेप्रेजेन्टेशन? सुपरवाइजरी कमेटी में लेबरर्स के रेप्रेजेन्टेशन को उसके डेमोक्रेटिक सेट अप को तोड़ कर के मनमाने ढ़ंग से कांग्रेस ने अपने आदमियों को रखने की कोशिश की है। क्यों है ऐसा? आप चारों तरफ डेमोक्रेसी चाहते हैं तो मिलों के अन्दर भी बैलेट करवाइये और यूनियन में किसका रेप्रेजेन्टेशन ज्यादा है यह देखिये जिसका ज्यादा हो उसी को लेकर सुपरवाइजरी कमेटी बनाइए तो ज्यादा अच्छा हो लेकिन इस से आपको डर लगता है, क्योंकि फिर वह मनचाहे लोग नहीं आने के हैं। वह लोग जिनसे मजदूरों को कोई फायदा नहीं है। मजदूर जिनको चाहता भी नहीं है रिटायर्ड लाइफ के लोग आज मजदूरों की प्लेडिंग कर रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि खास तौर से आप बैलेट सिस्टम और डेमोक्रेटिक सेट अप को इस एवार्ड के अन्दर लागू करने की कोशिश कीजिए।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो छटनी है इस के अन्दर आपकी तरफ से कोई मजदूरों के लिये सिक्योरिटी नहीं है। मजदूरों को सिक्योरिटी दीजिये, आज नेशनल इमर्जेंसी के अन्दर मिल मालिक लोग बेटर टेकनिक के नाम पर मजदूरों की छटनी कर रहे हैं तो उन नवजवानों को जो कि एक्सपीरियंस्ड भी है उनको ज्यादा से ज्यादा वर्क दिलाने की कोशिश कीजिये। आज जैसा यूसूफ जी ने कहा बाजार के अन्दर सूत आ रहा है। अगर आप पकड़ना चाहें तो सी० आई० डी० से पकड़वा सकते हैं। लाखों रुपये का ब्लैकमार्केट मिल मालिक कानपुर के अन्दर कर रहे हैं। वह इसलिये कि उनके यहां लूम्स की कमी हो चुकी है. आखिरकार यह नेशनल लास हो रहा है एक्साइज ड्यूटी में कमी हो रही है या नहीं? लाखों रुपये का श्रीमन् इस सरकार को लास है। इसलिये चाहता हूं कि यह जो मिल मालिक चारों तरफ से ज्यादती कर रहे हैं उसको रोकने के लिये और आज जैसा भी एवार्ड है उसको लागू कीजिए और कम से कम उनको सिक्योरिटी अवश्य दीजिए। आज जो कानपुर के अन्दर लेबर कोर्ट्स के अन्दर मारा-मारा फिरता है और हजारों लोग रोजाना मांगने के लिये आते हैं उनको कुछ इसके जरिये से मिले इसका प्रबन्ध कीजिए।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो विषय उपस्थित है वह कानपुर की दस मिलों के लगभग ६० हजार मजदूरों से सम्बन्धित है। विवाद प्रारम्भ करते हुए कुछ आंकड़े माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने रखे और माननीय युसूफ साहब ने भी कुछ आंकड़े रखे और एवार्ड के

[श्री रक्षपाल सिंह]

इम्प्लीमन्टेशन उसके लागू करने के बारे में अपनी बातें रखीं जैसा कि बताया गया है यह एवार्ड पिछले कई वर्ष के संघर्ष के चलते रहने के पश्चात् मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में कैसे सम्बन्ध होने चाहिये उनके बीच वेतन कैसे तय होने चाहिये, उनकी वर्किंग कंडीशन्स कैसी होनी चाहिये, कितनी छुट्टी होनी चाहिये तनख्वाहों में इन्क्रीमेंट कैसे होना चाहिये इस तरह से करीब ११ बातों को लेकर इन पर माननीय सम्पूर्णानन्द जी का फैसला हुआ । सभी बातों पर इसमें विचार हुआ और उनके लागू करने के सम्बन्ध में भी दो कमेटी बनाने की बात हुई । मैं उग्रसेन जी की राय से बहुत कुछ सहमत हूं कि वास्तव में सरकार जिस काम को करवाना नहीं चाहती है या कोई बाधा डलवाना चाहती है तो उसके लिये सरकार का हमेशा का यह ढंग रहा है कि उसके लिये एक कमेटी बना देते हैं। इसके लिये भी एक कमेटी बनादी गई और कमेटी बना देने से वह मामला वैसे ही पड़ा रहा । हमारे मजदूरों के प्रतिनिधि अपनी लड़ाई करते रहे । मैं समझता हूं कि उनमें भी एक गलती हो गई और वह यह कि जो कमेटी काम को एक्जिक्यूट करने के लिये थी वह उसके भाग बन गये । ३ आदमी उसमें उपस्थित रहे, लेकिन वे संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहे । वह इस तरह का काम करने की स्थिति में नहीं रह गये जिससे उस एवार्ड को लागू करा सकें । उस कमेटी में ७ आदमी थे । ३ तो उसमें मिल मालिकों के प्रतिनिधि थे और ३ हमारे मजदूरों के प्रतिनिधि थे और एक और आदमी था जो दोनों के समझौते से मिला था । अगर जो मजदूरों के प्रतिनिधि उसमें गये वह भी उस चौथे आदमी को समझा सकते तो सम्भव था कि यह काम कुछ हो सकता लेकिन सरकार की जो कमेटी बनाकर काम को टाल देनेकी नीति है वह यहां भी सफल हुई और उसका शिकार हमारे मजदूरों के प्रतिनिधि भी हो गये । बाद में जैसा कि यहां पर बतलाया गया है कि कमेटी की कई सिफारिशें थी उसमें एक में तो समझौता हो गया था शायद वह ७ वीं थी और जो दूसरी सिफारिशें थीं ११-१२ उनको छोड़देने की बात थी जो ये ७–८ सिफारिशें थीं उनके विषय में कोई इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ और अगर कुछ हुआ है तो वह मिलमालिकों के पक्ष में ही हुआ है । उनसे मजदूरों का कोई फायदा नहीं हुआ है । इसके अन्तर्गत परमानेन्ट होने की व्यवस्था की गई, परन्तु एक भी मजदूर परमानेन्ट नहीं हुआ । ग्रेचुएटी मिलने की बात थी तो उसमें ३०,३५ साल के मजदूर थे, परन्तु उनको एक पैसा भी नहीं मिला । यह बड़ी विचित्र बात है । एक प्रकार से जो भी मजदूरों के प्राबलेम को सामने रखकर समझने की कोशिश करेगा उसको पतालगेगा कि यह एवार्ड एफेक्टिव नहीं रह गया है, परन्तु ऐसा समझना गलत होगा कि अगर कुछ किया जाय तो इस एवार्ड के आधार पर कुछ नहीं किया जा सकता । अगर इस एवार्ड को छोड़ा जाता है तो फिर वही हड़ताल और फिर वही काम रोकना और उसी प्रकार से झगड़े फिर होने लगेंगे और उत्पादन का नुकसान होगा जिसका संकेत माननीय उग्रसेन जी ने किया है । इस एवार्ड का उपयोग अभी तक नहीं हो सका ।

मैं इस बात के समर्थन में नहीं हूं कि यह कहा जाय कि इमर्जेन्सी नहीं है । मैं नहीं कहता कि मजदूरों की उपयोगिता नहीं है । मजदूर की उपयोगिता है और देश की सुरक्षा के लिये उसकी आवश्यकता होती है । मजदूरों को अगर अपना कोई संघर्ष करना पड़ेगा तो उसके लिये सोचना पड़ेगा । मजदूर भी इस समय समझता है कि इमर्जेन्सी है । हमारी सेना के लिये सामान की आवश्यकता है । तो इस स्थिति में निश्चित जो भी किया जाय व दोनों पार्टी के समझौते से किया जाय । पहले भी जो समझौता हुआ वह भी एक निश्चित समझौता है और उसके आधार पर यदि कुछ काम किया जाय तो वह ऐसा निर्णय नहीं है जिससे मालिकों को ज्यादा नुकसान हो । निर्णय मजदूरों को संरक्षण देने के लिये, उनको परमानेंट बनाने के लिये और उनको वेतन दिलाने के लिये होना चाहिये । इस समय देश में वास्तव में इमर्जेन्सी है । देश में इस समय मजदूर अधिक काम करने की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो यह देश के लाभ की बात है । जितने भी कपड़ा मिलों के मजदूर हैं वह सब एक महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंध रखते हैं । इस कारण मैं समझता हूं कि एवार्ड को लागू कराने की उनके लिये आवश्यकता है । इसमें हमारी सरकार को ही पार्ट प्ले करना पड़ेगा वरना जो परिस्थिति खराब हो गई तो बाद में उनको रोका नहीं जा सकेगा और एवार्ड को भी उस समय

इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा और एवार्ड की बातों को बाद में लागू करने में कठिनाई होगी। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि स्थिति को सामने रखकर देश में उत्पादन बढ़ाने की इच्छा से इस प्रश्न को सामने रखते हुये, सम्पूर्णानन्द एवार्ड को लागू किया जाना चाहिये, योंकि यह समझा गया है कि जो एवार्ड है उसके लागू होने से कोई विशेष परिस्थिति पैदा होने वाली नहीं है। मिल मालिक अपने फेवर की बात को सोचता है, योंकि वह तो मजदूर को ए सप्लायट करता है। परन्तु कोई भी स्थिति हो यदि मालिक, सरकार और कर्मचारी मिलकर काम करें तो आसानी से कठिनाई हल हो सकती है। ऐसी स्थिति में श्रीमन् इस एवार्ड को लागू किया जाना नितांत आवश्यक है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अपने व तव्य में इस बात की घोषणा करेंगे कि एवार्ड की किन-किन बातों को लागू किया गया है। इसके साथ ही जो यह पिछला बिजली संकट कानपुर में आया था उसमें भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। मजदूर मिल के गेट तक गया है। उसकी हाजरी हुई है। उसे कम से कम उसको मजदूरी का आधा पैसा मिलना चाहिये। लेकिन मिल मालिक सरकार से मिलकर इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि उसे मजदूरी न देनी पड़े इसलिये कि बिजली संकट सरकार के कारण उपस्थित हुआ है। उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं समझता हूं कि मजदूर को मजदूरी दिलाने की जिम्मेदारी हमारे श्रम मंत्री महोदय की है। उसे मजदूरी दिलवानी चाहिये और इस मामले को सरकार को मिल मालिक से मिल कर आपस में तय करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि संपूर्णानन्द एवार्ड को पूर्णतया शीघ्र ही लागू किया जायेगा, ताकि अधिक उत्पादन हो सके तथा मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण हो सके।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री टंडन ेश्वर प्रसाद तथा श्री संतसिंह यूसुफ साहब का आभारी हूं कि उन्होंने सदन के समक्ष इस प्रश्न को उपस्थित किया। माननीय उग्रसेन जी ने यह कहा कि जब किसी प्रश्न को टालना होता है तो समितियां नियुक्त कर दी जाती हैं। सन् १९५५ में विन्ध्यवासनी साहब को नियु त किया गया था। रेशनलाइजेशन के प्रश्न पर अपने सुझाव देने के लिये और संपूर्णानन्द एवार्ड की आवश्यकता ही नहीं थी। माननीय उग्रसेन जी जानते हैं कि सन् १९५६ में विन्ध्यवासनी साहब ने अपना एवार्ड दिया और उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेज बोर्ड की घोषणा की। तो विन्ध्यवा सनी प्रसाद जी का एवार्ड तो हमारे प्रदेश तक ही सीमित रहना और उस वेज बोर्ड क रिपोर्ट पूरे देश पर लागू होती तो यह उचित समझा गया कि उसका इंतजार किया जाय। वेज बोर्ड की रिपोर्ट आयी और सन १९६० में जब यह सम्मेलन हुआ कि काम को कैसे कराया जाय तो वर्कर्स और इम्प्लायर्स ने मिलकर एक राय से फैसला किया कि वेज बोर्ड के संबंध में जो मतभेद है उसके संबंध में संपूर्णानन्द जी जो फैसला देंगे वह हमको मान्य होगा और उनके एवार्ड में इनको व्यवस्था कर दी गई है कि वह किस प्रकार कार्यान्वित होगा। उसके लिये एक सुपरवाइजरी कमेटी होगी और उसके बाद एक मिल की कमेटी होगी।

श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या आप अपनी उस कमेटी के फैसले को मानते हैं ?

श्री बनारसीदास—

मैं निवेदन कर रहा था कि एक मशीनरी की व्यवस्था की गयी। माननीय यूसुफ साहब सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं। बहुत से सदस्यों ने उस कमेटी के गठन पर आक्षेप किया है। मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है क्योंकि जो व्यि त उसमें हैं उनका जीवन भर उन मजदूरों का साथ रहा है और उन्होंने उनमें काम किया है। वे मजदूरों के हितैषी हैं। एक सदस्य ने कहा कि मिल की कमेटियों को उस सुपरवाइजरी कमेटी में प्रतिनिधित्व दिया जाय। मिल

[श्री बनारसी दास]

कर्मचारियां बनेंगी। अभी तक जो असुविधायें थीं वह दूर नहीं हो पायीं, अब उसके ऊपर अमल किया जायगा। असल सवाल यह है कि संपूर्णानन्द एवार्ड कहां तक कार्यान्वित किया गया ? यह कहा गया कि वर्कर्स को ग्रेचुइटी नहीं दी गयी। आप देखें की ग्रेचुइटी के संबंध में करीब-करीब २,५६५ अप्लीकेशन्स थीं जिन में १,५११ केसेज में फैसला हो गया। इन केसेज में १०,७१,७६८ रुपये ४६ नये पैसे जो ग्रेचुइटी के होते हैं वह रकम अदा कर दी गयी। इनमें ३५५ ऐसी अप्लीकेशन थीं जिनको मान्य करार नहीं दिया जा सकता था और अब तक उस फैसले के मुताबिक जिन केसेज को डिस्पोज आफ नहीं किया गया और ३० दिन के अन्दर उनका भुगतान नहीं किया गया उनकी संख्या २९१ है और जिनको तय कर दिया गया, लेकिन उनकी ९१ दिन की मियाद पूरी नहीं हुई है उसका भुगतान शीघ्र किया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह बाकी केसेज हजार के ऊपर आते हैं।

श्री बनारसीदास—

मैंने अर्ज किया कि ३५५ को माना नहीं जा सकता, उसको भी १,५११ में जोड़ लीजिए और फिर मैंने अर्ज किया कि कुछ केसेज को अक्तूबर में डिस्पोज आफ किया गया, ३ महीने में उनको अदा करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया उनकी तादाद २९१ है। और जिनका फैसला किया गया, जिनकी शिकायत नहीं की जा सकती, ९१ दिन पूरे नहीं हुए उनकी तादाद ज्यादा नहीं है। तो ग्रेचुइटी की रकम अदा नहीं की गयी यह कहना गलत होगा।

श्री संतसिंह यूसुफ—

इसका मतलब अभी नये होने की वजह से आप समझ नहीं सके। इसमें केलकुलेशन का जो तरीका है वह एम्प्लायर्स ने आपका और हमारा नहीं माना ? हमारा आपका तरीका यह है कि ३१२ दिन जिस दिन इस्तीफा दे उसके बाद की तनख्वाह मिलाकर...

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय मंत्री जी नहीं बैठते हैं तो आप आसन ग्रहण करें।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन, ग्रेचुइटी का हिसाब लगाने के लिये संपूर्णानन्द एवार्ड के १५४वें पैरे को लेकर थोड़ा सा विवाद हो गया। जैसे कि टी० बी० की बीमारी का पेशेंट है, लम्बी बीमारी का है उसको असुविधा होती है। मैं मानता हूं कि इससे कुछ वर्कर्स को थोड़ी कठिनाई भी हुई। उसमें लिखा है—

"(*e*) "Continuous Service"—means un-interrupted service and includes service which may be interrupted on account of sickness, accident, authorised leave, strike which is not illegall, lock-out or cessation of work which is not due to the fault on the part of the workman :

Provided that interruptions in service up to six months duration at any one time and eighteen months duration in the aggregate of the nature other than those specified above shall not cause the workman to lose the credit for previous service in the mill for purposes of calculation of gratuity, but at the same time shall not entitle him to claim benefit of gratuity for period of such interruption."

यानी अगर सेवा की अवधि में बीमारी की वजह से, छुट्टी की वजह से, लाक-आउट की वजह से अगर १८ महीने तक कोई भी वर्कर उपस्थित न हो, इसकी वजह से उसको वंचित नहीं

किया जायगा ग्रेचुइटी से, लेकिन उस समय का कोई भी उसको मुआवजा नहीं दिया जायगा। तो मिल-मालिक इसका इंटरप्रिटेशन अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। लेबर विभाग की तरफ से बराबर इस बात का प्रयत्न किया गया कि श्रमिकों की सहायता की जाय। दूसरा बुनियादी प्रश्न जिसके लिये रेशनालाइजेशन कमेटी बनायी गई थी वह यह था कि इससे उत्पादन कितना बढ़ेगा, कितने कार्यकर्त्ता सर्पलस हो जायेंगे, क्या वर्कलोड बढ़ेगा, फिर उत्पादन की कीमत पर उनको कितना हिस्सा मिलना चाहिये। साथ ही साथ चूंकि उनका उत्पादन बढ़ जायेगा, उस सूरत में उनका वेतनक्रम क्या होगा। इस दृष्टि से आप देखें कि कानपुर की १० सूती मिलों ने इस फैसले पर अमल किया और १४ अगस्त, १९६१ को माननीय संपूर्णानन्द एवार्ड के मुताल्लिक यह तय किया कि उनको एरियर्स मिलना चाहिये। कुछ मिलों ने उसको दिया और कुछ ने उसके लिये वायदा किया कि हम अक्तूबर के अंत में देंगे। लक्ष्मी रतन मिल के वर्कर्स ने, जिनकी कोई यूनियन नहीं है, १४ अगस्त, १९६१ को हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी। उसमें माननीय संपूर्णानन्द एवार्ड को चैलेंज किया गया था। आखिर में वर्कर्स के अन्दर एक फैसला हो गया और वहां पर भी संपूर्णानन्द एवार्ड को फरवरी, १९६३ से मान लिया गया और जो एरियर उनको मिलना चाहिये था उसके संबंध में भी मिल मालिकों और वर्कर्स में फैसला हो गया और उसका भुगतान भी कर दिया जायगा।

श्रीमन, मैं आभारी हूं माननीय यूसुफ साहब तथा दूसरों का जिन्होंने कहा कि मैंने श्रम विभाग अभी संभाला है, मैं अनुगृहीत हूंगा यदि मैं उनके अनुभवों से लाभान्वित हो सकूं। मेरा खुला दिमाग है और मैं बराबर श्रम विभाग की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करूंगा। श्रीमन, कहने के लिये बाहर प्लेट फार्म पर कुछ कहा जाता है और कमेटी के अन्दर कुछ दूसरी बात कही जाती है। कुछ लोग यह कहते हैं कि सरकार अलग खड़ी हो जाय, हम अपना निबटारा स्वयं कर लेंगे। इस तरह से लड़ाई का ग्रीन सिगनल देते हैं, हड़ताल का नारा लगाते हैं। श्रीमन, यह उचित नहीं, यह न मजदूरों के हित में है, न देश के हित में है। श्रीमन, एक जमाना था जब कि लेबर का ए सप्लाइटेशन एक राजनैतिक ढंग से किया गया। अंत में लेबर परेशान हो गया। लेबर ने लेबर नेताओं को जिन्होंने समय-समय पर सहयोग का नारा दिया था उनको ठुकरा दिया। आज वे लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं। राजेन्द्र प्रसाद कमेटी ने यह कहा कि हमारी श्रम नीति का आधार यह होगा कि श्रमिकों का किसी प्रकार शोषण न हो। १९५७ में इसी आधार पर इंडियन लेबर कान्फ्रेंस में कुछ सिद्धान्तों में परिवर्त्तन भी हुआ। यह सरकार उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है और हम चाहते हैं रेशनलाइजेशन हो। वर्कर्स को अलग होना पड़े, जो उत्पादन हो यह मिल-मालिकों को न जाय। वह कम्युनिटी, लेबर और मिल मालिक तीनों का उसमें हक हो। चौथा सिद्धान्त यह है कि इस उत्पादन की वृद्धि से केवल मिल मालिकों को ही लाभ न हो, मिल में काम करने वाले श्रमिकों को भी उससे लाभ हो।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी मिल के फाटक पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

जहां आप बोल रहे थे वहीं बोल रहे हैं।

श्री बनारसीदास---

उग्रसेन जी ने फरमाया कि सरकार ने मजदूरों के मकानों की व्यवस्था नहीं की है। मजदूरों के रहने के लिये १६ हजार मकान बनवाये गये हैं। उनकी स्वास्थ संबंधी स्थितियों का अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी है जो विचाराधीन है। सिक्किम वालों ने जैसे बैलगाड़ी तो देखी नहीं, लेकिन हवाई जहाज देख लिया और यह न जाना कि किस प्रकार से विकास हुआ, उसी प्रकार से हमारे कुछ

[श्री बनारसीदास]

लोग सिक्किम के लोगों की तरह से हवाई जहाज के दर्शन करना चाहते हैं और एक साथ ही स्वर्गपुरी पा लेना चाहते हैं। शहरों को गांवों और देश की स्थिति से अलहदा कर देना चाहते हैं।

यह सही है कि कानपुर में बम्बई की स्थिति को इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। मैं पूछता हूं, आखिर आप क्या चाहते हैं? आप इस सूबे में औद्योगीकरण चाहते हैं या नहीं? इंग्लैंड और दूसरे देशों की तरह से इस सूबे में इस समय औद्योगीकरण नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

अब कोरम नहीं है। हाउस का इंटरेस्ट कुछ कम मालूम होता है, अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्री उग्रसेन—

यह जो मंत्री जी हांक रहे हैं उसको बन्द करा दिया जाय।

श्री बनारसीदास—

प्रेचुइटी को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है। बेज इन्क्रीज कराये गये हैं। इसके अलावा संपूर्णानन्द एवार्ड की शर्तों को कार्यान्वित कराने में सरकार प्रयत्नशील है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५२ मिनट पर अगले दिन के साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२१ अक्तूबर, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिए ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५२ पर]

सेवा में,

श्रीमान् कारागार मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) ।

विषय : जेल अधिकारियों द्वारा सुनियोजित योजना के अनुसार बंदियों के साथ किय जाने वाले अमानवीय अत्याचार और अवैध आचरण के संबंध में ।

प्रार्थी : दिल्लीपति मृत्यु दण्ड प्राप्त बंदी, फांसी गारद नं० २ जिला कारागार फैजाबाद ।

महाशय,

सेवा में सविनय निवेदव है कि मैं प्रार्थी दिल्लीपति मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दी की हैसियत से जिला कारागार फैजाबाद में रह रहा हूं । जेल के वर्तमान बर्बर अधिकारियों द्वारा बन्दियों के साथ किये जाने वाला अमानवीय अत्याचार और अवैध आचरण अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है और हम अपना जीवन पूर्णतः अरक्षित समझते हैं । यहां के मृत्यु दण्ड बन्दियों के साथ जो बर्बरता पूर्ण अत्याचार किया जा रहा है वह वास्तव में हमारे शांतिप्रिय और मानवता वादी लोक प्रिय सरकार के लिये लज्जाजनक है । प्रार्थी कुछ आवश्यक तथ्यों को श्रीमान् जी के समक्ष उचित न्याय और जरूरी कार्यवाही के हेतु प्रेषित करता है। आशा है बन्दियों के साथ उचित न्याय किया जायगा ।

१—गत माह में एक बन्दी श्री बलदेव लाल अनशनकारी की मौत भूख हड़ताल करने की वजह से हुई थी जिसे यहां के जेल अधिकारियों ने स्वाभाविक मृत्यु निरूपित किया था । वास्तव में बलदेव लाल की मौत यहां के जेल अधिकारियों के सुनियोजित षडयंत्र की वजह से हुई । मौत के कुछ समय पहले अधीक्षक जेल और जेलर की आज्ञा से बन्दी बलदेव लाल को वार्डरों ने पीटा था । जिसमें श्री प्यारे लाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है । चूंकि साहब की आज्ञा से वार्डर प्यारे लाल वगैरह ने बन्दी बलदेव लाल को पीटा था और बन्दी बलदेव लाल ने इसकी शिकायत अधीक्षक जेल से की थी और अधीक्षक जेल ने उसको शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिये बन्दी बलदेव लाल मौत के कुछ अरसे पहले भूख हड़ताल कर रहा था । बन्दी बलदेव लाल के भूख हड़ताल संबंधी कोई सूचना यहां के जेल अधिकारियों ने कारा-पदस्थ उच्च अधिकारियों को इसलिये नहीं भेजा था कि वे अपनी बदनामी से बचना चाहते थे और इसी भूख हड़ताल के दौरान में बन्दी बलदेव लाल की मौत हो गई । चूंकि इससे जेल अधिकारी पूर्ण रूप से बलदेवलाल की मौत के लिये जिम्मेदार थे इसलिये अधिकारियों ने बन्दी बलदेव लाल की मौत को स्वाभाविक मौत करार दिया और अपने षड़यंत्र से बन्दी बलदेव लाल की लाश की पोस्ट मार्टम तक न होने दी । बन्दी बलदेव लाल की मौत विशुद्ध रूप से हत्या का मामला है ।

२—बन्दी बलदेव लाल की मौत के बाद एक और विचाराधीन बन्दी की मौत डाक्टर की लापरवाही और जेल के अधिकारियों की साजिस से हुई है जो भरती अन्दर अस्पताल था । इस दूसरी मौत के लिये भी जेल अधिकारी ही जिम्मेदार हैं । इन सब मामलों को रफा-दफा करने के लिये अधीक्षक जेल श्री जसकरन सिंह और डाक्टर जेल हाल ही में लखनऊ पैरवी के वास्ते गये थे ।

३—अभी कुछ ही समय पहले दो कैदियों को अधीक्षक जल श्री जसकरनसिंह और जेलर गुलाब चन्द तिवारी की आज्ञा से हेड वार्डर मनीराम और वार्डर प्यारेलाल ने इतनी बुरी तरह

पीटा था कि दोनों बन्दी बमुश्किल मरने से बचे जिनका नाम तालुका और गजराज भंडारी हैं । इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अधीक्षक जेल से यह शिकायत की थी "कि गोदाम में राशन काट लिया जाता है ।"

४—प्रांतीय सरकार ने बन्दियों के भोजन में चाहे जो कुछ भी सुधार किया हो लेकिन वास्तविकता यह है कि इस जेल में बन्दियों को आज भी रोटी १/२ हिस्सा कच्ची और दाल में कीड़े और सब्जी में कटिया ही दी जाती है । जब कभी कोई उच्च अधिकारी जेल निरीक्षण के लिये आता है तो उसकी जानकारी यहां के जेल के अधिकारियों को हो जाया करती है और निरीक्षण के समय जेल की सारी व्यवस्थायें कायदे के अनुरूप ठीक कर ली जाती है । और निरीक्षण के बाद जेल की व्यवस्थायें पुनः वैसे हो जाती हैं जैसे निरीक्षण के पहले होती हैं ।

५—जेलर, श्री जी० सी० तिवारी दो भैंसें जेल कम्पाउण्ड में पाले हुए हैं इन भैंसों का दूध ठीकेदार के नाम पर १/२ हिस्सों से अधिक पानी मिलाकर जेल के मरीज कैदियों को दी जाती है । गुप्त निरीक्षण करके इन सब बातों को अभी देखा जा सकता है । भैंस के खाने के लिये जेलर साहब के यहां जेल के भंडारे से रोटी दाल और गोदाम से भूसी वगैरह तथा जेल की बगिया से साग प्रति दिन ले जाया जाता है ।

६—बगिया की तमाम अच्छी सब्जियाँ बेच डाली गयीं और बंदियों को दोनों वक्त मरसा की कटिया दी जाती है जिसमें कीड़े पड़ गये हैं ।

७—बगिया और जेल में तमाम कटहल के पेड़ हैं जिनमें इस साल बहुत ज्यादा फल लगे थे । सब कटहल अधीक्षक, जसकरन सिंह और जेलर श्री जी० सी० तिवारी ने मिल कर बेच दिया और पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं किया । बल्कि इन लोगों ने रुपया आपस में बांट लिया । कटहल की सब्जी एक रोज भी बंदियों को नहीं दी गई लेकिन वैजिटेबुल रजिस्टर पर कटहल की सब्जी बन्दियों के देने के बावत जरूर इंदराज किया गया होगा ।

८—जेल बगिया का आम २५० रु० में बेचा गया था लेकिन सरकारी खजाने में लगभग ७० रु० के ही जमा किया गया । बाकी रुपया अधीक्षक जेल ने आपस में बांट लिया ।

९—सप्ताह में बंदियों को दो दिन चावल दिया जाता है लेकिन चावल में पड़ने वाला तेल चावल में नहीं डाला जाता । सब तेल और कटा हुआ राशन अधिकारी आपस में बांट लेते हैं ।

१०—बंदियों से मिलने वास्ते जब कोई उसका सम्बन्धी आता है तो उससे जबरन सुरक्षा कोष के नाम पर रुपया वसूल किया जाता है और बगैर रुपया लिये मिलाई नहीं कराई जाती । रुपया देने वाले व्यक्ति को कोई रसीद नहीं दी जाती स्वयं प्रार्थी के मुलाकातियों से १० रु० सुरक्षा कोष के नाम पर जबरन वसूल किया गया था ।

११—प्रार्थी ने इन सब बातों को अधीक्षक जेल के समक्ष कुछ समय पहले विचाराथ मौखिक रूप से प्रस्तुत किया था उचित न्याय के बदले में प्रार्थी को फटकार सुननी पड़ी और अधीक्षक जेल ने प्रार्थी को मुंह बन्द करके समय काटने की चेतावनी दी । सम्भवतः अधीक्षक जेल और जेलर के संकेत से प्रार्थी के साथ भी एक अभद्र, असन्तोषजनक, बर्बर और अनियमित दुर्व्यवहार एक वार्डर श्री प्यारे लाल द्वारा ८ जुलाई, सन् १९६३ ई० को किया गया । श्री प्यारेलाल, वार्डर, अधीक्षक, जेल और जेलर के खैरख्वाह और खास आदमी हैं । इसलिये अधीक्षक जेल और जेलर ने प्रार्थी की शिकायत ठुकरा दी और श्री प्यारेलाल वार्डर को यह हिदायत दी कि प्रार्थी के साथ और भी सख्ती से पेश आये । वार्डर प्यारेलाल ने प्रार्थी को बेरहमी के साथ बुरी तरह मारा था और प्रार्थी के पूर्वजों को जो गालियां उन्होंने दीं थी उसकी कोई गिनती नहीं थी । प्रार्थी ने इसकी लिखित शिकायत जेलर के माध्यम से अधीक्षक जेल को दी थी और प्रार्थी ने यह प्रार्थना किया था कि प्यारे लाल वार्डर के मार के फलस्वरूप प्रार्थी को जो चोटें आई हैं उसकी डाक्टरी मुआइना कराया जाय । न तो प्रार्थी के चोट का मुआइना कराया गया और न तो वार्डर प्यारेलाल के विरुद्ध कायदे की जरूरी कार्यवाही की गई । इस सम्बन्ध में कुछ भी

न होने का कारण यह है कि या तो यह घटना अधीक्षक जेल और जेलर के संकेत पर घटी या तो प्यारेलाल पर तथाकथित अधिकारियों की विशेष कृपा दृष्टि है। प्रार्थी दिनांक ८ जुलाई, सन् १९६३ से अनिश्चित काल के लिये भूख-हड़ताल कर रहा है जब तक प्रार्थी के साथ विशुद्ध न्याय नहीं होगा तब तक प्रार्थी भूख हड़ताल करता रहेगा। इस सम्बन्ध में जरूरी सूचना अधीक्षक जेल और जेलर को दिनांक ८ जुलाई, सन् ६३ को प्रातः लिखित दे दी गई है। प्रार्थी को सन्देह है कि प्रार्थी के भूख हड़ताल से सम्बन्धित सूचना अधीक्षक जेल फैजाबाद ने अभी तक कारापदस्थ उच्च अधिकारियों को अभी तक न दी होगी। और बन्दी बलदेव लाल की तरह ही इस घटना को भी घटाना चाहते हैं। अतः श्रीमान् जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त बर्ताओं के साथ इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये सन्तोषजनक कानूनी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करने की कृपा कर यश के भागी बनें। इस घटना की जांच गम्भीरता के साथ शीघ्र होनी चाहिये, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में होती न रहे। समयानुसार प्रार्थी प्राप्त प्रमाण प्रस्तुत करने का विश्वास दिलाता है। दिनांक ८ जुलाई सन् १९६३ को प्रार्थी ने अधीक्षक जेल और जेलर को लिखित सूचना दी थी उसकी प्रतिलिपि श्रीमान् जी की सेवा में प्रेषित है। स्मरण रहे कि इस प्रार्थना-पत्र पर अधीक्षक जेल ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। और कुछ भूख हड़ताल से सम्बन्धित सूचना को छुपाया है। बगरज जरूरी कार्यवाही प्रार्थना-पत्र सेवा में प्रेषित है।

नोट—कारागार मंत्री उत्तर प्रदेश, कारागार महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश, जिलाधीश, फैजाबाद और संपादक 'आज' वाराणसी को प्रतिलिपि प्रेषित की गई।

प्रार्थी
अ० निशानी
दिल्लीपति
मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दी,
जिला कारागार, फैजाबाद।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५३ पर)

(क) जेल मैनुअल का प्रस्तर ९५० ए:—

The Deputy Inspectors General shall function for and on behalf of the Inspector General and shall perform such duties as are entrusted to them by the Inspector General from time to time. Ordinarily, they shall, between them, inspect twice in a year every jail institution, which, normally, is not meant to be inspected by the Inspector General exclusively. In addition to this, they shall, between them, inspect all first class district jails once every year. In case of necessity, they may inspect any of the institutions normally to be inspected by the Inspector General.

(ख) १—बैन्ड मास्टर, रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ।

२—पी० टी० इन्स्ट्रक्टर, जेल ट्रेनिंग स्कूल ।

३—हेड टीचर्स।

४—टीचर्स

५—कम्पाउन्डर।

६—नर्सेज ।

७—लारी ड्राईवर्स।

८—कारागार महा निरीक्षक के कार्यालय में दफ्तरी, हेड पियून, वार्डर, आरर्डरलीज, मोटर ड्राइवर, माली व चौकीदार ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५४ पर)

No. 2052/BIXI—KH-3262-1957

FROM

SRI, P. D. CHATURVEDI,
ANU SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

To

THE DISTRICT MAGISTRATE
GORAKHPUR.

Date Lucknow, November 16, 1962

Nagarpalika (KH) Vibhag.

Subject—**Nazul land bungalows for the resident of Government officers**

SIR,

With reference to the correspondence resting with your letter no. 2409/XXV-3(54-55), dated July 28, 1961, on the subject noted above, I am directed to say that after a careful consideration of the circumstances in which and the term on which leases of extensive areas of nazul land in village Arazi Chhaoni, Gorakhpur were given free of rent to the owners of bungalows after the abolition of Cantonment and of the growing tendency on the part of the lessees to transfer these bungalows and the portions of their compound to private persons for residence or for constructing building for their residence, the Governor is pleased to lay down the following policy to be adhered to in connection with the future management of the said Nazul :

(1) The existing bungalows should according to the terms of the lease be reserved for the residence of Government officers on Rent to be fixed by the Collector and non-officials should be not allowed to reside in them.

(2) Lessees should not be permitted to construct additional houses and to sub-divide the land and such cases should individually be referred to Government for orders.

(3) No future acquisition of land either for the University or for any educational or other institution in this area be permitted in future.

I am to add that from the details given by you in respect of each bungalow and nazul plots, it appears that in fairly large number of cases a departure has been made from the original purpose either under the permission of the Collector or without even his permission and private individuals are using the bungalows in contravention of the terms on which the nazul land was given to them. I am to request that all such cases may kindly be examined in consultation with the District Government Counsel and a report submitted to Government along with District Government Counsel's opinion in each case.

Yours faithfully,
P. D. CHATURVEDI,
Anu Sachiv.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६५ पर)

सरकारी सस्ते गल्ले के उन दूकानदारों के नाम (तहसील तथा केन्द्र वार) जिन्होंने पिछले एक वर्ष से गल्ला नहीं उठाया है ।

तहसील	दूकानदार का नाम	केन्द्र	विवरण
ज्ञानपुर	१—श्री मु० हबीब ..	भदोही	अब गल्ला उठाने लगे हैं
	२—असनो सहकारी समिति..	असनो	
	३— श्री मो० युसुफ खां ..	लखनो	
	४—श्री मो० मुनीश खां ..	गोपपुर	
	५—घोसिया सहकारी संघ ..	माधौसिंह	गल्ला उठाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है ।
	६—श्री अमर बहादुर सिंह ..	लाखनपुर	
	७—श्री शम्भू सिंह ..	गहरपुर	अब गल्ला उठाने लगे हैं ।
	८—श्री सन्तप्रसाद दुबे ..	सूर्य भानपुर	
	९—श्री राम अचल दुबे ..	औराई	
	१०—श्री श्यामलाल ..	नया बाजार	अब गल्ला उठाने लगे हैं
	११—श्री लक्ष्मीकान्त दुबे ..	बन्कत	,, ,,
	१२—श्री रूपनारायण पांडे ..	कस्तूरीपुर	,, ,,
	१३—श्री बनवारी लाल ..	कौलापुर	,, ,,
	१४—श्री रघुराज सिंह ..	निदौर	
वाराणसी	१५—सहकारी संघ गंगापुर ..	गंगापुर	अब गल्ला उठाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया ।
	१६—श्री कृष्णचन्द्र सिंह ..	कैथी	
	१७—श्री बैजनाथ ..	कपिलधरा	..
	१८—श्री राम प्रसाद ..	राजा तालाब	अब गल्ला उठाने लगे हैं
	१९—श्री विश्वनाथ प्रसाद ..	बेनीपुर	,, ,,
	२०—श्री राज बहादुर सिंह ..	जनसा	,, ,,
	२१—श्री महाबीर प्रसाद ..	कन्डवा	,, ,,
	२२—श्री हरी शंकर ..	अनई	,, ,,
	२३—श्री गयाप्रसाद ..	धौकलगंज	नई नियुक्ति
	२४—श्री बद्री प्रसाद ..	पिंडरा	अब गल्ला उठाने लगे हैं
	२५—बावतपुर सहकारी संघ ..	बाबतपुर	
	२६—सर्वश्री रामभाल सिंह तथा भुलई सिंह ..	मिर्जामुराद	अब गल्ला उठाने लगे हैं

तहसील	दुकानदार का नाम	केन्द्र	विवरण
	२७—श्री उमाशंकर सिंह ..	हाथी	..
	२८—श्री मगरू साहू ..	जलहूपुर	अब गल्ला उठाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है।
	२९—श्री दीनबन्धु तिवारी ..	फूलपुर	,, ,,
	३०—श्री हरीकृष्ण प्रसाद ..	मोहर/गोला	अब गल्ला उठाने लगे हैं।
चकिया	३१—श्री रामधनी सिंह ..	सिकन्दरपुर	
	३२—श्री तुलसी राम ..	नौगढ़	
	३३—श्री श्रीनारायन सिंह ..	मसकन्द	
चन्दौली	३४—श्री सन्तराम ..	चन्दौली	
	३५—श्री रामलखन ..	,,	
	३६—श्री ईश्वर जान राय ..	कन्जरहा	
	३७—सर्वश्री दुखीराम भोलानाथ	रामगढ़	
	३८—श्री श्रीनाथ ..	गुरेरा	
	३९—श्री रामनाथ रस्तोगी ..	बेंऊदा	
	४०—श्री गरीबराम ..	हिंगूतर	
	४१—बबुरी मार्केटिंग यूनियन. .	बबुरी	गल्ला उठाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है।
	४२—श्री जबाहिर लाल ..	बबुरी	अब गल्ला उठाने लगे हैं।
	४३—श्री जगन्नाथ प्रसाद ..	सैयद पुर भुजउआ	
	४४—श्री रघुनाथ साहू ..	अलीनगर	
	४५—श्री सूर्यदेव सिनहा ..	अलीनगर	अब गल्ला उठाने लगे के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है।
	४६—श्री दलजीत सिंह ..	काली महल	अब गल्ला उठाने लगे हैं।
	४७—श्री राम सूरत पांडे ..	दरवाल	,, ,,
	४८—श्री रघुराज सिंह ..	धीना	दूकान छोड़ दी है।
	४९—श्री कुमार राम ..	बरहानी	
	५०—मुगल सराय मार्केटिंग यूनियन ..	जनसोसाहिद	

उन दूकानदारों के नाम जिन्होंने पिछले ६ मास से गल्ला नहीं उठाया है ।

चन्दौली	१—श्री लालता तिवारी ..	बलुआ	अब गल्ला उठा रहे हैं।
	२—श्री छेदी लाल ..	नई बस्ती	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६६ पर)

मुरादाबाद जिला कारागार में निम्नलिखित लेबर कैदियों से लिया जाता है।

१—अम्बर चर्खा कताई, बुनाई, रुई धुनाई।
२—निवाड़ बुनाई।
३—मूंज फट्टा बुनाई।
४—मूंज कुटाई।
५—बान वटाई व इठाई।
६—दरी बुनाई।
७—कुर्सी बुनाई।
८—पीतल लोटा ढलाई।
९—गल्ला सफाई।
१०—धोबी का काम कैदी के वास्ते।
११—भोजनालय में भोजन का काम बन्दियों के वास्ते।
१२—अन्दर जेल सड़क व मरम्मत कराना।
१३—बन्दियों के फटे कपड़ों की मरम्मत।
१४—लुहारगिरी, बढ़ईगिरी।
१५—बाग में सब्जी का काम।
१६—अस्पताल में नर्सिंग का काम।
१७—सफाई का काम।
१८—चना भुनाई का काम।
१९—गल्ला तुलाई या सफाई का काम।
२०—लकड़ी चिराई का काम।
२१—गल्ला पिसाई का काम।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६७ पर)

उत्तर प्रदेश सुगर डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर के अनुसार १ जनवरी, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६३ तक २३ व्यक्तियों को चीनी बेचने का लाइसेन्स दिया गया है।

१—श्री चतुरराम रामआसरे राम	.. ..	बस्ती
२—श्री सत्यनारायण गिगराज	.. ..	"
३—श्री साधूराम ज्ञानचन्द्र	.. ..	"
४—श्री इन्द्रपाल सुभाष चन्द	.. ..	"
५—श्री डी० सी० डी० एफ०	.. ..	"
६—श्री भीमसेन ताराचन्द	.. ..	गांधीनगर-बस्ती
७—श्री मोहनराम हीरालाल	.. ..	खलीलाबाद
८—श्री रामनिवास संतलाल	.. ..	"
९—श्री प्रह्लादराय द्वारिकादास	.. ..	"
१०—श्री चतुरराम रामआसरे राम	.. ..	"
११—डी० सी० डी० एफ०	.. ..	"
१२—श्री केदारनाथ बाबूलाल	.. ..	हरिहरपुर
१३—श्री रामदास पुत्र रामस्वरूप	.. ..	हरैया
१४—श्री रामदास राम अवध	.. ..	"
१५—श्री बाबूलाल भवानीप्रसाद	.. ..	"
१६—श्री रामप्रकाश गिरोला	.. ..	बैभनान
१७—श्री सुखईराम बजरंगी लाल	.. ..	डुमरियागंज
१८—श्री मोहन राम हीरालाल	.. ..	बांसी
१९—श्री गोरखनाथ विनय कुमार	.. ..	बढ़नी
२०—श्री भवानी दास श्री निवास	.. ..	"
२१—श्री दूधनाथ विन्ध्याचल प्रसाद	.. ..	नौगढ़
२२—श्री रामदास राम आत्मा राम	.. ..	उसका
२३—श्री भवानीदीन दुर्गा प्रसाद	.. ..	मेहदावल।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०७३ पर)

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स विधेयक, १९६३

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में होम-गार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिए विधेयक

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के नाम से एक दल के संघटन की व्यवस्था की जाय जिसकी सेवाओं का उपयोग आपातकाल में विभिन्न कर्त्तव्यों के लिए किया जा सके और जो शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस दल के सहायक के रूप में भी काम कर सकें :

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "बटालियन के कमान्डेन्ट" (commandant of battalion) का तात्पर्य नियमों के अधीन बटालियन के रूप में नामोद्दिष्ट होम-गार्ड्स में इकाई (unit) के समादेशाधिकारी (officer commanding) से है;

(ख) होम-गार्ड के रूप में "कर्त्तव्य" या "सेवा" के अन्तर्गत इस रूप में प्रशिक्षण लेना भी है;

(ग) असार्वजनिक सेवा के संबंध में "सेवायोजक" का तात्पर्य नियोजक से है, और इसके अन्तर्गत उसका अधिकृत एजेन्ट या प्रबन्धक भी है, और निगम, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (association) की दशा में, इसके अन्तर्गत उसका निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव या अन्य व्यक्ति भी है जो किसी निर्दिष्ट समय में उसके कारोबार के संचालन के लिए प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो;

(घ) "अत्यावश्यक सेवाओं" का तात्पर्य मोटर परिवहन, अग्रगामी एवं अभियंत्रण दल (pioneer and engineering corps), अग्निशामक दल (fire brigades), उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, जल एवं विद्युत् सम्भरण अधिष्ठान का परिचालन और ऐसी अन्य सेवाओं से है जो राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक जीवन के लिए अत्यावश्यक विज्ञापित की जायं;

(ङ) "होम-गार्ड" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस रूप में भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी भी है;

ऐक्ट संख्या ५, १८६१

(च) "पुलिस" का वही तात्पर्य होगा जो पुलिस ऐक्ट, १८६१ में शब्द (police) के लिए दिया गया हो;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ज) "असार्वजनिक सेवा" का तात्पर्य राज्य के अधीन सेवा से भिन्न किसी सेवा से है;

(झ) "ग्रामीण क्षेत्रों" का तात्पर्य राज्य के नागर-क्षेत्रों से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों से है;

(ञ) "राज्य के अधीन सेवा" का तात्पर्य 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद १२ में यथा पारिभाषित "राज्य" के अधीन सेवा से है और इसके अन्तर्गत परिनियत निगमों के अधीन सेवा भी है;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; और

(ठ) "नागर-क्षेत्रों" का तात्पर्य नगरों तथा ऐसी नगरपालिका, छावनी तथा अन्य क्षेत्रों से है, जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित किये जायें।

होमगार्ड्स का संघटन

३—उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स नाम से, जिसे आगे "होम-गार्ड्स" कहा गया है, एक स्वयंसेवक दल का निर्माण और अनुरक्षण किया जायगा और यह ऐसी रीति से संघटित किया जायगा जो नियत की जाय।

कृत्य

४—होम-गार्ड्स के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे;

(ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे;

(ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए, जो नियत किये जायं, आपात-कालीन दल के रूप में कार्य करेंगे;

(घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिए कार्यात्मक इकाइयों की व्यवस्था करेंगे; और

(ङ) वे लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जायं।

कमान्डेन्ट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

५—राज्य सरकार, होम-गार्ड्स के कमान्डेन्ट जनरल, जिसे आगे "कमान्डेन्ट जनरल" कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी जो नियत की जायें।

होम-गार्ड्स का अधीक्षण और प्रशासन

६—(१) होम-गार्ड्स का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा।

(२) संपूर्ण राज्य में होम-गार्ड्स का प्रशासन कमान्डेन्ट जनरल में निहित होगा, सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिस राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा अपवर्जित कर दे, और इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होम-गार्ड्स का प्रशासन करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनका कमान्डेन्ट जनरल, राज्य के शेष भाग में करें।

(३) किसी क्षेत्र में जिला मैजिस्ट्रेट के संपूर्ण नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुये, उस क्षेत्र में होम-गार्डस का नियंत्रण और निदेश ऐसे अधिकारियों में निहित होगा जो नियत किये जायें ।

भर्ती आदि

७—(१) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होम-गार्ड के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र देगा । यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना-पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिये सक्षम हो ।

(२) होम-गार्ड को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायेगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण-पत्र पायेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे जो नियत किया जायें और जिसके आधार पर उसे होम-गार्ड के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से निहित किया जायगा तथा उसे होम-गार्ड के कर्त्तव्यों का पालन करना होगा ।

(३) होम-गार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेंगे जो नियत की जाय ।

होम-गार्डस को बुलाना

८—इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) जिला मैजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिले में तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होम-गार्ड को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिये बुला सकता है,

(ख) होम-गार्डस का कमान्डेन्ट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाये, किसी होम-गार्ड को राज्य के किसी भाग में अथवा राज्य के बाहर काम के लिये बुला सकता है ।

होम-गार्ड्स के अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण

ऐक्ट संख्या ५, १८६१

९—(१) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई होम-गार्ड धारा ८ के अन्तर्गत पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिये या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिये बुलाया जाये, तो उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हों, और ऐसे अनुमेलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुये जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करे, उस पर पुलिस ऐक्ट, १८६१ और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू होंगे मानों ऐसा होम-गार्ड पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण किये था जो वह तत्समय होम-गार्ड्स में किये हुए हैं।

(२) होम-गार्ड के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करने में उसके द्वारा किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी होम-गार्ड के विरुद्ध कोई अभियोजन तब तक न चलाया जायेगा जब तक कि उस क्षेत्र पर, जहां होम गार्ड भर्ती किया गया हो या जहां उक्त कार्य किया गया हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति न ले ली जाये ।

१०—इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने वाला होम-गार्ड इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (public servant) समझा जायेगा।

होम-गार्डस लोक सेवक होंगे, किन्तु असैनिक सेवक नहीं होंगे ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

स्पष्टीकरण—होम-गार्ड के रूप में अपनी भर्ती होने के ही कारण कोई होम-गार्ड असैनिक पद धारण करने वाला न समझा जायगा।

सेवा करने का दायित्व

११—(१) होम-गार्ड एतदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक होम-गार्डस की किसी ऐसी इकाई में सेवा करने के लिये बाध्य होगा जिससे वह तत्समय सम्बद्ध हो।

(२) आरम्भिक अवधि, जिसमें होम-गार्ड से सेवा करने की अपेक्षा की जा सकती है, उसकी भरती के दिनांक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि उसकी नियत रीति से लेखबद्ध सहमति से बढ़ायी जा सकती है।

(३) प्रत्येक होम-गार्ड, जब वह नियत रीति से काम के लिये बुलाया जाये, राज्य के किसी भाग में सेवा करने के लिये बाध्य होगा। किसी भी होम-गार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि उसने ऐसी सेवा के लिये नियत रीति से अपनी सहमति न दे दी हो।

(४) काम के लिये बुलाये गये होम-गार्डों को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जायगा जो नियत किया जाय।

(५) होम-गार्डों को साधारणतया उन क्षेत्रों में जहां व भर्ती किये गये हों सेवा करने के लिये और केवल अंशकालिक काम के लिये बुलाया जायेगा।

सेवोन्मुक्ति, निलम्बन और त्याग-पत्र

१२—(१) कमान्डेन्ट जनरल या एतदर्थ नियत कोई अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होम-गार्ड्स के किसी सदस्य को सेवोन्मुक्त या निलम्बित करने का अधिकार होगा। कोई होम-गार्ड ऐसे अधिकारी को, जो नियत किया जाय, एक मास का नोटिस देकर दल से त्याग-पत्र दे सकता है।

(२) अन्तिम पूर्वगत उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक होम-गार्ड धारा ११ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होम-गार्ड्स से अपनी सेवोन्मुक्ति पाने का हकदार होगा।

(३) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण से होम-गार्डस का सदस्य न रह जाय, कमान्डेन्ट जनरल को या ऐसे अधिकारी को ऐसे स्थान पर जो नियत किया जाय या जिन्हें कमान्डेन्ट जनरल निदेशित करें, अपनी नियुक्ति का प्रमाण-पत्र और शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा (accoutrements), वस्त्र और अन्य वस्तुयें, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दिये गये हों, तुरन्त लौटा देगा।

(४) कोई मैजिस्ट्रेट, इस प्रकार न लौटाये गये किसी प्रमाण-पत्र, शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र या अन्य वस्तुओं की, जहां-जहां भी वे पाये जायें, तलाशी लेने और उन्हें अधिगृहीत करने के लिये वारंट जारी कर सकता है। इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारन्ट कोड आफ क्रिमनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा, अथवा यदि वारंट जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निष्पादित किया जायेगा।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(५) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू न समझी जायगी जो कमान्डेन्ट जनरल के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गयी हो जिसे वह दी गयी थी।

शास्तियां

१३.—(१) यदि कोई होम-गार्ड—

(क) धारा ८ के अधीन काम पर बुलाये जाने पर उपस्थित न हो या

(ख) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी (superior officer) या अन्य सक्षम अधिकारी के किसी वैध आदेश या निदेश का बिना पर्याप्त कारण के पालन करने में उपेक्षा करे या इंकार करे या जब वह काम पर हो तो होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन न करे; या

(ग) अपना पद अभित्यक्त कर दे; या

(घ) कायरता का दोषी हो; या

(ङ) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अननुमत शारीरिक बल प्रयोग (unwarranted personal violence) करे;

तो वह प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दंड से दंडित होगा जो तीन मास तक की अवधि का हो सकता है या अर्थ-दंड से दंडित होगा जो दो सौ रुपये का हो सकता है अथवा दोनों से दंडित होगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर धारा १२ की उपधारा (३) का पालन करने में उपेक्षा करे या उसका पालन न करे, तो वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर, किसी भी प्रकार के, कारावास के दंड से दंडित होगा जो तीन मास तक का हो सकता है या अर्थ-दंड से दंडित होगा जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दंडित होगा।

(३) कमान्डेन्ट जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो एतदर्थ नियत किया जाय, पूर्व स्वीकृति के बिना, उपधारा (१) या (२) के अधीन कोई अभियोजन न चलाया जायगा।

(४) बटालियन के कमान्डेन्ट के प्रतिवेदन पर, पुलिस अधिकारी किसी वारन्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा (१) या (२) के अधीन दंडनीय अपराध का अभियुक्त हो।

(५) जब अधिकारी से भिन्न होम-गार्ड्स का सदस्य उपधारा (१) के अधीन दंडनीय अपराध करता है, तो बटालियन का कमान्डेन्ट या ऐसा अन्य अधिकारी, जो नियत किया जाय, जिसके अधीन उक्त सदस्य तत्समय काम कर रहा हो, यह निदेश दे सकता है कि दोषारोपण पर औपचारिक सुनवाई के बिना कार्यवाही की जायेगी और तदुपरान्त उक्त कमान्डेन्ट या अन्य अधिकारी उसे निम्नलिखित में से कोई एक या से अधिक दंड दे सकता है, अर्थात् :—

(क) दो दिन से अनधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर अवरोध जो उपयुक्त समझा जाय;

(ख) सात दिन से अधिक अवधि के लिये क्वार्टरों में अवरोध सहित या अवरोध रहित दंड-स्वरूप कवायद (ड्रिल), अतिरिक्त कार्य, कठोर परिश्रम (फैटीग) या अन्य काम; और

(ग) भत्तों की जब्ती।

१४--(१) उस स्थिति के अधीन रहते हुये जो नियत की जाय प्रत्येक सेवायोजक ऐसे होम-गार्ड को जो तत्समय उसके द्वारा या उसके अधीन सेवायोजित किया जा रहा हो, होम-गार्ड के रूप में अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमति देगा और किसी प्रचलित विधि या ऐसे अनुबन्ध में जो उसके और ऐसे होम-गार्ड के बीच हों, किसी बात के होते हुये भी उसकी कार्य अवधि, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायें, ऐसे सेवायोजन में व्यतीत की गयी अवधि समझी जायगी। होम-गार्ड को कार्य ग्रहण करने की अनुमति देने पर सेवायोजक की आपत्ति

(२) कोई भी सेवायोजक किसी कर्मचारी को उसके होम-गार्ड्स का सदस्य होने के कारण न तो पदच्युत करेगा, न हटायेगा, न उसे निलम्बित करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जो ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

(३) जो कोई उपधारा (१) या (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ-दण्ड से दण्डित किया जायगा जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकता है और जिस न्यायालय द्वारा सेवायोजक इस धारा के अधीन सिद्ध-दोष ठहराया जाय वह सेवायोजक को यह भी आदेश दे सकता है कि वह उक्त कर्मचारी को उस दर पर, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक सेवायोजक द्वारा उसे देय था या तीन मास से अनधिक के पारिश्रमिक का भुगतान करे और भुगतान किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिये गये आदेश की कोई धनराशि उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थ-दण्ड हो।

(४) इस धारा की कोई बात किसी सेवायोजक पर तब तक लागू न होगी जब तक उसने कि सम्बद्ध कर्मचारी का होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिये प्रार्थना-पत्र आगे न बढ़ाया हो, या कर्मचारी ने उसको सेवा योजन के लिये प्रार्थना-पत्र देते समय होम-गार्ड्स का सदस्य होने की सूचना न दे दी हो।

१५--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये और इसके उपबन्धों को सामान्यतया प्रभावी बनाने के लिये नियम बना सकती है। नियम और विनियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है या उन्हें विनियमित किया जा सकता है, अर्थात्:--

(क) होम-गार्डों का संघटन, उनकी अर्हताएं, भर्ती की रीति, स्वास्थ्य परीक्षा, कृत्य, अनुशासन, शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र और वर्दी और रीति जिसके अनुसार वे सेवा के लिये बुलाए जायें या उनसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाय;

(ख) धारा ६ की उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये होम-गार्डों द्वारा पुलिस अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करना और होम-गार्डों तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच पदों की अनुरूपता;

(ग) होम-गार्ड्स के साथ, उत्तर प्रदेश रक्षक दल और अन्य वर्तमान दलों का पूर्णतः या अंशतः एकीकरण और उनके सदस्यों का होम-गार्ड्स में संविलयन;

(घ) शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके किसी विशेष उपबन्ध के अधीन किसी आभार या दायित्व से मुक्त किया जा सकता है;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों और कृत्यों का कमान्डेन्ट जनरल और अन्य प्राधिकारियों को प्रतिनिधान; और

(च) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

प्रथम अनुसूची

[धारा ७ (२)]

घोषणा का प्रपत्र

मैं ----------आत्मज----------निवासी----------एतद्-द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में भर्ती किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी है (यह अवधि मेरी सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी जा सकती है), वस्तुतः सेवा करूंगा और मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बढ़ाई गयी अवधि में उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के सदस्य के रूप में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर सेवा करूंगा यदि मुझे ऐसी अवधि में काम पर बुलाया गया। मैं होम-गार्ड्स के सदस्य के कर्त्तव्यों का पालन पूरी दक्षता और जानकारी से करूंगा।

पता.....

हस्ताक्षर ।

द्वितीय अनुसूची

[धारा ७ (२)]

नियुक्ति के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

नाम----------आत्मज---------- निवासी---------- को उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, १९६३ की धारा ७(२) के अधीन उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। जब वह वैधतः काम पर हो तो पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करने या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिये बुलाये जाने पर, उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस के तदनुरूप पद के किसी अधिकारी को प्राप्त हो और ऐसे अनुकूलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार उसमें करे उस पर पुलिस ऐक्ट, १८६१ और उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

नियुक्ति का दिनांक-------

स्थान----------

दिनांक----------

नियत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

उद्देश्य और कारण

वर्तमान आपात-कालीन स्थिति के प्रसंग में और भारत सरकार की सलाह से, यह निर्णय किया गया है कि इस राज्य में होम-गार्डों का एक परिनियत स्वैच्छिक संघटन आयोजित किया जाय। ताकि ऐसे व्यक्तियों का एक दल बनाया जा सके जिनकी सेवाओं का उपयोग आपात-काल में विभिन्न कार्यों के लिये और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिये किया जा सके। यह संघटन देश की संकट की घड़ी में क्लेश और संकट का सामना करने की जनता की इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के लिये एक शक्तिशाली साधन होगा। होम-गार्डों का निर्माण संघटन, अनुशासन तथा प्रशिक्षण ऐसे सामान्य ढांचे पर होगा जिसका सुझाव भारत सरकार द्वारा किया गया है; इसके अतिरिक्त संघटनों की बाहुल्यता को बचाने के उद्देश्य से, प्रान्तीय रक्षक दल का एकीकरण होम-गार्ड्स के साथ करने का विचार है। विधेयक के खंड १५ में इसके संबंध में आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स विधेयक, १९६३ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स विधेयक, १९६३ में निम्नलिखित उपबन्धों के संबंध में व्यय अन्तर्ग्रस्त है:—

खंड ५—इस खंड में यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य सरकार होम-गार्ड्स के कमान्डेन्ट जनरल और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेगी।

होम-गार्ड्स संघटन में पर्यवेक्षण करने, प्रशिक्षण देने और उनके कार्यालयों को स्थापित करने के निमित्त, मुख्यालय, संभागीय (रोजनल) और जिला स्तर पर अपेक्षित संख्या में अधिकारियों तथा अतिरिक्त (Supernumerary) कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति पर नया व्यय करना होगा।

खंड ७—उप-खंड (३)—इस उप-खंड में होम-गार्डों और अधिकारियों द्वारा ऐसी वर्दियां पहनने की व्यवस्था की गयी है जो नियत की जायं।

होम-गार्डों को नियत वर्दियां देने में व्यय होगा।

खंड ११—उप-खंड (४)—इस उप-खंड में काम के लिये बुलाये गये होम-गार्डों को नियत भत्ते दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

खंड १५—उप-खंड (२) (क)—इस खंड में ऐसे शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा आदि देने की व्यवस्था की गयी है जो नियमों द्वारा नियत की जायं और उक्त सभी मदों पर व्यय करना होगा।

२—चालू वित्तीय वर्ष में, योजना को कार्यान्वित करने में अनुमानित व्यय ८४,३५,५७५ रुपये अनावर्त्तक और ९८,४२,४२५ रुपये आवर्त्तक होगा अर्थात् कुल व्यय १,८२,७८,००० रुपये होगा और होम-गार्ड्स के निर्माण में प्रति व्यक्ति औसत व्यय लगभग १२८ रुपये (जिसके अन्तर्गत अनावर्त्तक व्यय भी है) होगा।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स विधेयक, १९६३ के ऐसे उपबन्ध जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स विधेयक, १९६३ में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें विधायन अधिकारों के कुछ प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं। विधेयक के खंड १५ के उपखंड (१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामान्यतया विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये और विशेषतया उक्त खंड के उप-खंड (२) में दी गयी बातों के लिये नियम बनाये। ये नियम, विधेयक में दिये गये शासी निदेशों को ध्यान में रखते हुये और उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त बनाये जायेंगे। विधान मंडल को इन नियमों का परीक्षण और उसमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि खंड १५ के उप-खंड (३) में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे समस्त नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करना चाहे। खंड १५ के अतिरिक्त, विधेयक के अन्य खंडों में प्रतिनिहित विधायन की प्रस्थापनायें हैं, जिन्हें नीचे दिया गया है:--

खंड ३--में नियत रीति से एक स्वयं सेवक दल अर्थात् उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स का निर्माण और अनुरक्षण करने की व्यवस्था की गयी है।

खंड ४--(ग)--में नियम बनाने की व्यवस्था की गयी है जिनमें लोक-कल्याण के ऐसे कार्य नियत किये जायेंगे, जिनके संबंध में होम-गार्डों को काम पर बुलाया जा सके।

खंड ५--में यह व्यवस्था की गयी है कि कमान्डेन्ट जनरल तथा अन्य अधिकारियों की सेवा की शर्तें नियमों में निर्धारित की जायेंगी।

खंड ७--में यह व्यवस्था की गयी है कि वे शर्तें जिन पर होम-गार्ड के रूप में भरती के लिये कोई व्यक्ति प्रार्थना-पत्र दे सके, नियमों में नियत की जायेंगी।

खंड ८--में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार होम-गार्डों को काम पर बुलाने को विनियमित करने के लिये नियम बना सकती है।

खंड ९--इस खंड के उप-खंड (१) में राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाने और ऐसी विज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार दिया गया है जिनमें होम-गार्ड्स पर जब वह पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिये बुलाया जाय उनकी प्रवृत्ति के संबंध में पुलिस ऐक्ट और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों का अनुसेलन तथा परिष्कार किया गया हो।

खंड ११--इस खंड के उप-खंड (१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह नियमों में होम-गार्ड के किसी इकाई में सेवा करने के दायित्व की शर्तों की व्यवस्था करे।

खंड ११--इस खंड के उप-खंड (२) और (३) में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार होम-गार्ड की सहमति, उसकी सेवा तीन वर्ष के पश्चात् बढ़ाने के लिये या राज्य के बाहर सेवा करने के लिये लेखबद्ध की जा सके।

खंड ११--इस खंड के उप-खंड (४) में राज्य सरकार को वे भत्ते नियत करने का अधिकार दिया गया है जो होम-गार्डों को जब वे काम के लिये बुलाये जायें, दिये जायेंगे।

खंड १२--इस खंड के उप-खंड (१) और (३) में राज्य सरकार को कतिपय आनुशासिक प्रयोजनों के लिये अधिकारी नियत करने का अधिकार दिया गया है।

खंड १४—इस खंड के उप-खंड (१) और (२) में सेवायोजकों को लिये उनके अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो उनकी सहमति से होम-गार्ड स में सम्मिलित हुए हों काम पर बुलाये जाने पर होम-गार्ड के रूप में काम करने की अनुमति देने और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा नियत की जायें इस अवधि को सेवायोजन में व्यतीत की गयी अवधि समझने के कतिपय दायित्व निर्धारित किये गये हैं। यह दायित्व भी ऐसे अपवादों के अधीन होगा जो नियमों द्वारा नियत किये जायं।

प्रतिनिहित विधायन की सभी उपर्युक्त प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

विधान सभा

पी०एंस० यू० पी०—ए० पी०—१४० एल० ए०—१९६३—८६०।